



भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

प्राक्कथन	(v)	
कार्यपालिक सारांश	(vii)	
अध्याय I		
राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध		
1.1	प्रस्तावना	2
1.2	वर्ष 2018-19 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश	3
1.3	राज्य के वित्तीय संसाधन	14
1.4	राजस्व प्राप्तियाँ	16
1.5	पूँजीगत प्राप्तियाँ	27
1.6	लोक लेखा	28
1.7	संसाधनों का उपयोग	29
1.8	व्यय की गुणवत्ता	38
1.9	सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	42
1.10	परिसम्पत्तियाँ और देयताएं	49
1.11	राजकोषीय असंतुलन	61
1.12	ऋण प्रबंधन	68
1.13	अनुपालन	71
अध्याय II		
वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण		
2.1	प्रस्तावना	73
2.2	विनियोग लेखाओं का सारांश	73
2.3	वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबंधन	74
2.4	चयनित अनुदानों की समीक्षा	87
2.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमिततायें	96
अध्याय III		
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग		
3.1	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	103
3.2	स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	106
3.3	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	108
3.4	दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि	109
3.5	निजी निक्षेप खाते	110
3.6	ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष	116
3.7	लेखों में अस्पष्टता	117

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	भाग-अ: राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक संकेतक भाग-ब: राज्यों की उपलब्धियां	121 122
परिशिष्ट 1.2	भाग-अ: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप भाग-ब: वित्त लेखों का खाका	123 124
परिशिष्ट 1.3	वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	126
परिशिष्ट 1.4	राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आँकड़े	129
परिशिष्ट 1.5	31 मार्च 2019 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	132
परिशिष्ट 1.6	वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक आँकड़े	134
परिशिष्ट 1.7	कर्जदारों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	137
परिशिष्ट 1.8	सरकारी निवेश, जिनके लेखे प्रस्तुत नहीं किये, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	138
परिशिष्ट 1.9	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	139
परिशिष्ट 1.10	पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन के परिणाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र	141
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था	142
परिशिष्ट 2.2	व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 45 प्रतिशत से भी अधिक था)	143
परिशिष्ट 2.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधान से ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	144
परिशिष्ट 2.4	विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र, जहाँ वर्ष 2016-19 के दौरान निरन्तर बचतें कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही	153
परिशिष्ट 2.5	प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	154
परिशिष्ट 2.6	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ 1 करोड़ से अधिक था)	155
परिशिष्ट 2.7	₹ 1 करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	158
परिशिष्ट 2.8	एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक था)	159
परिशिष्ट 2.9	योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	165
परिशिष्ट 2.10	वर्ष 2018-19 तक बकाया सारांशीकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	169
परिशिष्ट 3.1	निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये	171

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 3.2	स्वायत्त निकायों द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने तथा लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	173
परिशिष्ट 3.3	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र	174
परिशिष्ट 3.4	दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2019 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)	175
परिशिष्ट 3.5	सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	176
परिशिष्ट 3.6	वर्ष 2014-19 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप (पीडी) खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	177
परिशिष्ट 4.1	पदों की पारिभाषिक शब्दावली	178
परिशिष्ट 4.2	सारांशों की सूची	181

1. यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I और II में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्रमशः राज्य सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। जहाँ कहीं आवश्यक था, राजस्थान सरकार से भी सूचना प्राप्त की गई है।
3. अध्याय III 'वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग', चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना के विहंगम दृश्य एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों में लेनदेनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और सांविधिक निगमों, मण्डलों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर आक्षेपों से युक्त प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये अन्य वित्तीय आँकड़ों के आधार पर किया गया है।

प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया है।

अध्याय I राजस्थान सरकार के वित्त लेखों पर आधारित है एवं 31 मार्च 2019 को राज्य की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह प्राप्तियों, व्यय की प्रवृत्तियों, उधार के पैटर्न इत्यादि की जानकारी देता है।

अध्याय II राजस्थान सरकार के विनियोग लेखों पर आधारित है तथा यह विभिन्न अनुदानों में विनियोगों का विश्लेषण एवं चयनित अनुदानों की समीक्षा को दर्शाता है।

अध्याय III राज्य सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों की अनुपालना की स्थिति है।

राज्य सरकार की उपलब्धियाँ

राज्य सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिम लिए बिना या ओवरड्राफ्ट स्थिति के बिना सकारात्मक नकदी संतुलन बनाए रखा।

(अनुच्छेद 1.10.3)

वर्ष 2018-19 के दौरान, बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (33.8 प्रतिशत) एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर रहा।

(अनुच्छेद 1.10.5)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य की राजकोषीय स्थिति

जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में, राजस्व प्राप्तियों एवं पूँजीगत व्यय में कमी रही जबकि राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में मामूली रूप से बढ़ोतरी हुई।

(अनुच्छेद 1.2)

वर्ष 2018-19 के दौरान यद्यपि, राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (33.51 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (35.0 प्रतिशत) के भीतर था, तथापि, यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित सीमा (24.4 प्रतिशत) से काफी अधिक था। इसके अतिरिक्त, यह एमटीएफपीएस के लक्ष्य (32.76 प्रतिशत) से भी अधिक था जैसाकि स्वयं राज्य सरकार द्वारा अनुमानित किया गया था। इसके अलावा, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा वार्षिक उधारों के लिए निर्धारित सीमा (₹ 28,203 करोड़) से राज्य सरकार की वार्षिक वृद्धिजन्य उधारों (₹ 30,192 करोड़) अधिक थी।

(अनुच्छेद 1.10.2)

जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 में 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3.71 प्रतिशत हो गया, जोकि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। राज्य को निरन्तर राजस्व घाटा रहा जोकि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 28,900 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे के अनुपात में वृद्धि, वर्ष 2017-18 के 14.6 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 21 प्रतिशत थी। यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की उत्पलावकता में वृद्धि के कारण थी, जोकि राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

सिफारिश: बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के साथ वृहत राजस्व घाटे की स्थिति (83.8 प्रतिशत) अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी उधारों पर राज्य सरकार की बढ़ती निर्भरता का द्योतक है। राज्य सरकार को प्राथमिकता से अपने राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.11)

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक

राजस्व प्राप्तियों गत वर्ष की तुलना में ₹ 10,565.84 करोड़ (8.3 प्रतिशत) से बढ़ी, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 13,790 करोड़ (9.1 प्रतिशत) एवं ₹ 10,311 करोड़ (7.0 प्रतिशत) से कम थी।

राजस्व व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 20,931.67 करोड़ (14.4 प्रतिशत) से बढ़ा, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 2,345 करोड़ (1.4 प्रतिशत) एवं ₹ 6,236 करोड़ (3.6 प्रतिशत) से कम रहा।

पूँजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 985.08 करोड़ (4.8 प्रतिशत) की कमी हुई, जो कि बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः ₹ 6,102 करोड़ (23.7 प्रतिशत) एवं ₹ 1,423 करोड़ (6.8 प्रतिशत) से कम रहा।

सिफारिश: सरकार को बजट में शामिल अनुमानों को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए बजट का निर्माण युक्तिसंगत करना चाहिए ताकि राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे के मापदण्डों को एफआरबीएम अधिनियम की निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके।

(अनुच्छेद 1.2.2)

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग

एक जेंडर आधारित योजना में शून्य व्यय तथा दो अन्य योजनाओं में 25 एवं 42 प्रतिशत का व्यय, जेंडर उत्तरदायी बजटिंग के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की ओर से प्रयासों में कमी को इंगित करता है।

(अनुच्छेद 1.2.3)

वर्ष 2018-19 के बजट भाषण की प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों तथा उन पर की गई कार्यवाही की स्थिति

बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों की अनुवर्ती कार्यवाही में धीमी गति और कार्यों को प्रारम्भ करने में देरी, बेहतर निगरानी एवं अनुसरण में कमी की ओर इंगित करता है।

सिफारिश: प्रत्येक वर्ष बजट भाषण में की गई घोषणाओं के महत्व एवं जन लेखा समिति द्वारा बार-बार की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित विभागों को इन योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन और प्रारम्भ करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.2.4)

वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण का स्वचालित तंत्र स्थापित हो जाने के साथ, लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखानरीक्षक के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए, सभी संव्यवहारों की नमूना जाँचों को एक विस्तृत जाँच में परिवर्तित किया जाना लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। डाटाबेस तक अपेक्षित पहुंच अभी भी दी जानी है। जीएसटी प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा करने में जीएसटी के सभी संव्यवहारों से सम्बन्धित डाटा की

उपलब्धता नहीं होना एक रूकावट है। इसलिए एकबार अपवाद के रूप में वर्ष 2018-19 हेतु लेखे नमूना जाँच के आधार पर प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि रिकार्ड को मैनुअल रूप से रखे जाने पर किया जाता था।

सिफारिश: राज्य सरकार को एसजीएसटी के अन्तर्गत राजस्व संग्रहण के प्रमाणीकरण के लिए महालेखाकार¹ (लेखापरीक्षा-I) को एसजीएसटी ऑकड़े तक पहुँच शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करानी चाहिये।

(अनुच्छेद 1.4.1.2)

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

राजस्थान सरकार द्वारा पिछली किशतों के उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं निष्पादन अनुदानों के लिए शर्तों की अनुपालना नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि ₹ 1,933.16 करोड़ की राशि जारी नहीं की गई।

सिफारिश: राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पूर्णरूपेण निर्गम सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में समय पर उपयोगिता प्रमाण प्राप्त/प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रणाली तथा निर्धारित लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा प्रणाली तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.4.3)

पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय ₹ 19,638.20 करोड़ था। पूँजीगत व्यय का कुल व्यय पर प्रतिशत वर्ष 2017-18 के 12.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 10.5 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 19,638.20 करोड़ के पूँजीगत व्यय में से ₹ 4,080.79 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 21 प्रतिशत) का निवेश सरकारी कम्पनियों और सहकारी समितियों/बैंकों/समितियों में किया। इसमें से, सरकार द्वारा संचित हानि ₹ 95,506 करोड़ एवं कुल ऋणात्मक लागत ₹ 59,097.74 करोड़ वाली पाँच विद्युत कम्पनियों में ₹ 3,822.30 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 19.5 प्रतिशत) में निवेश किया।

सिफारिश: चूँकि उन कम्पनियों में जहाँ संचित घाटे के परिणामस्वरूप कुल लागत का क्षरण हुआ है, किए गये निवेश पर प्रतिलाभ प्राप्त करने की संभावना, अल्प है, राज्य सरकार इन कम्पनियों को भविष्य में भुगतान अंश पूंजी के बजाय अनुदान के रूप में करने पर विचार कर सकती है।

(अनुच्छेद 1.7.2)

¹ दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय के पूर्ववर्ती नाम प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) को बदलकर महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) किया गया है।

नवीन अंशदायी पेंशन योजना

31 मार्च 2019 तक, राज्य सरकार ने नेशनल सिक्क्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को ₹ 46.43 करोड़ की शेष लीगेसी राशि हस्तान्तरित नहीं की है।

सिफारिश: राज्य सरकार को सम्बन्धित एनपीएस लाभार्थियों की पहचान कर एनपीएस की शेष लीगेसी राशि एनएसडीएल को हस्तान्तरित कर देनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत लाभार्थियों को उनके उचित लाभों से वंचित नहीं किया गया है।

(अनुच्छेद 1.7.3.2)

व्यय के उपयोग की दक्षता

राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर संचालन एवं अनुरक्षण का अंश वर्ष 2017-18 में 0.91 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.59 प्रतिशत रह गया।

सिफारिश: राज्य सरकार को व्यय की दक्षता में सुधार करने और भविष्य में राजस्व सृजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कुल व्यय से पूंजीगत व्यय के अनुपात में सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.8.2)

अपूर्ण परियोजनाएँ

₹ 26,408.96 करोड़ की राशि 279 अपूर्ण परियोजनाओं पर व्यय की गई जो राज्य के संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 1,88,108.83 करोड़) का 14 प्रतिशत था। 43 परियोजनाओं पर कुल लागत वृद्धि ₹ 12,510 करोड़ (129 प्रतिशत) थी। निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण समाज को मिलने वाले सम्भावित लाभ में विलम्ब हुआ एवं गत वर्षों में परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 1.9.2)

निवेश एवं प्रतिलाभ

राज्य सरकार के निवेश में 40 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 47,711.58 करोड़ का निवेश सम्मिलित है, जिनमें से केवल आठ कम्पनियों ने ₹ 290.77 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 44.72 करोड़ का लाभांश घोषित किया गया।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 तक पाँच बिजली कम्पनियों में ₹ 45,265.06 करोड़ (कुल निवेश का 91 प्रतिशत) निवेश किया था।

राज्य सरकार ने चार कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 152.12 करोड़ का निवेश ऋण एवं अंशपूजी के रूप में किया। तथापि, इन कंपनियों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर पिछले एक से दो वर्षों तक के अपने लेखे अंतिमीकृत नहीं किए हैं। इसलिए, इन कंपनियों के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रमाणीकरण के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही।

सिफारिश: राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वृहद् हानियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए जिससे इनकी हानियों को कम किया जा सके तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा सकें।

(अनुच्छेद 1.9.3)

उपकर/अधिभार संग्रहण

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान चार आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 1,564.30 करोड़ की राशि का कम हस्तान्तरण कर नियमों की अवहेलना की तथा, इस प्रकार, आगामी वर्षों के लिए अपनी वर्तमान वर्ष की देयता को स्थगित कर दिया, जो राजकाषीय घाटे को समतुल्य राशि द्वारा समझने का प्रभाव रखता है।

सिफारिश: राज्य सरकार को इन निधियों के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ साथ राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण सुनिश्चित करने के लिए सभी बकाया प्राप्तियों को संवैधानिक आरक्षित निधियों/जमा निधियों में हस्तान्तरण करने पर विचार करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.10.4)

ऋण प्रबन्धन

वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 2,33,238.88 करोड़) का ₹ 79,529.46 करोड़ (34.1 प्रतिशत) 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था।

सिफारिश: राज्य सरकार को अपनी बढ़ती देयता दायित्वों को पूरा करने लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक “समेकित सिंकिंग निधि” उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.12)

व्यय का प्रवाह

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल व्यय (₹ 2,04,439 करोड़) का 35.25 प्रतिशत (₹ 72,055 करोड़) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया। यद्यपि, कुल प्राप्तियों (₹ 1,90,898 करोड़) का 33.17 प्रतिशत (₹ 63,324 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में किये गये व्यय में गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 5.23 प्रतिशत (₹ 3,980 करोड़) की कमी हुई। इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय की गयी राशि उत्तरोत्तर व्यय पर कम नियंत्रण को इंगित करता है।

सिफारिश: विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति तथा अंतिम तिमाही/महीने के दौरान व्यय के एक समान प्रवाह पर निगरानी बनाए रख सकते हैं।

(अनुच्छेद 2.3.2)

बचतें/निरन्तर बचतें

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 2,29,078.32 करोड़ के कुल अनुदानों और विनियोगों के विरुद्ध ₹ 19,302.05 करोड़ की बचतें छोड़ते हुए ₹ 2,09,776.27 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान लिया गया ₹ 11,645.19 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को इन निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की संभावना को छोड़ते हुए, ₹ 18,329.95 करोड़ अभ्यर्पित किये गये। इसके अलावा, 123 प्रकरणों में, ₹ 9,069.71 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 6,960.31 करोड़ (76.7 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.2 एवं 2.3.8)

गत तीन वर्षों के दौरान 6 अनुदानों के 7 मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक निरन्तर बचतें 10.5 प्रतिशत से 55.5 प्रतिशत के मध्य रही। विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा गत वर्षों के दौरान व्यय के प्रवाह तथा व्यय की प्रवृत्तियों के उचित अनुश्रवण तथा बिना पर्याप्त संवीक्षा के विनियोग विधेयक में निधियों का आवश्यकता से अधिक निर्धारण की सूचक थी।

जन लेखा समिति ने अपने 86वें (मार्च 2016) तथा 153वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरन्तर बचतों के मामलों से बचने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने की

सिफारिश की थी। यद्यपि, इन सिफारिशों के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरन्तर बचतों के प्रकरण जारी रहे।

(अनुच्छेद 2.3.4)

बकाया विस्तृत आकस्मिक बिल

मार्च 2019 तक आहरित किये गये राशि ₹ 62.03 करोड़ के 167 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल 30 जून 2019 को बकाया थे।

(अनुच्छेद 2.5)

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुत नहीं करना

वर्ष 2018-19 के दौरान, राशि ₹ 2.34 करोड़ के 62 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 30 जून 2018 को प्रस्तुतीकरण हेतु बकाया थे। तुलनात्मक रूप से, वर्ष 2018-19 के दौरान, राशि ₹ 5.97 करोड़ के 195 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुतीकरण हेतु बकाया थे।

वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य/विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ₹ 29,868.64 करोड़ के उपलब्ध कराये गए सहायतार्थ अनुदान के विरुद्ध, मार्च 2019 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदानग्रहिता विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत नहीं किये गए थे। इस सूचना के अभाव में, वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 29,868.64 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान से सम्बन्धित लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखाओं में प्रकट नहीं किये जा सके।

सिफारिश: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभाग निर्धारित समय में सहायतार्थ अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत करें तथा यह आश्वस्त करे कि अनुदान निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गये हैं।

(अनुच्छेद 3.1)

लेखाओं का प्रस्तुतीकरण: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा किये जाने वाले स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलम्ब पाया गया। वर्ष 2017-18 तक देय 64 निकायों/प्राधिकरणों के 96 वार्षिक लेखे प्रस्तुतीकरण हेतु जून 2019 तक गत एक से छः वर्षों से बकाया थे।

(अनुच्छेद 3.2)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

राज्य सरकार द्वारा 10 उपक्रमों में उस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जब तक कि उनके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया, राशि ₹ 16,885.63 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से, विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लगातार हानि में चल रहे आठ उपक्रमों की संचित हानि ₹ 13,857.86 करोड़ रही।

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा उनकी व्यावसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते हैं। मार्च 2019 तक, 10 में से केवल एक उपक्रम ने वर्ष 2017-18 तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया एवं एक उपक्रम ने वर्ष 2018-19 तक के लेखाओं को प्रस्तुत किया।

सिफारिश: विभागों के प्रमुख को लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारणों का पता लगाने तथा इन उपक्रमों की दक्षता और जवाबदेयता में सुधार के लिए समय से लेखे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता हेतु सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने चाहिये।

(अनुच्छेद 3.3)

दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

राशि ₹ 79.45 करोड़ के दुर्विनियोजन, चोरी एवं राजकीय धन की हानि के 831 बकाया प्रकरणों में से राशि ₹ 39.37 करोड़ के 308 प्रकरणों में विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित थी। इसके अलावा, ₹ 33.96 करोड़ के 447 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे।

सिफारिश: जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निपटायी जानी चाहिये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

(अनुच्छेद 3.4)

निजी निक्षेप खाते

वर्ष 2018-19 के दौरान, निजी निक्षेप खाते में राशि ₹ 31,821.06 करोड़ हस्तान्तरित/जमा की गयी, जो कि कुल व्यय (₹ 1,87,524 करोड़) का 16.9 प्रतिशत थी। इसमें से, ₹ 5,002.11 करोड़ (20.08 प्रतिशत) की राशि केवल मार्च 2019 में निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित/जमा की गई। कुल हस्तान्तरित राशि में से, 1,899 पीडी खातों में ₹ 13,325.59 करोड़ के अव्ययीत शेष थे। 31 मार्च 2019 को, राशि ₹ 0.18 करोड़ के कुल 20 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2014-19) से अप्रचलित थे।

सिफारिश: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन पीडी खातों में पड़ी निधियों को इन खातों में अवरूद्ध रखने की बजाय इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

(अनुच्छेद 3.5)

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

31 मार्च 2019 तक, 10 मुख्य शीर्षों म. राशि ₹ 1,457.92 करोड़ के 65 प्रकरणों म. ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष थे, जिनमें से ₹ 1,376.65 करोड़ नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के कर्मचारियों की पश्चान निधि के अन्तर्गत थे।

सिफारिश: ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के 65 प्रकरणों में प्रतिकूल शेषों की राशि ₹ 1,457.92 करोड़ का प्राथमिकता से अंक मिलान एवं समायोजन करने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 3.6)

लेखों में अस्पष्टता

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 10,692.43 करोड़ लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 5.74 प्रतिशत था।

सिफारिश: वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा व हक) के परामर्श से लेखों को अस्पष्टता से बचाने के लिए लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदर्शित होने वाले सभी मदों के लिए व्यापक समीक्षा आयोजित करनी चाहिये तथा भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को उचित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

(अनुच्छेद 3.7)

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय I

राज्य सरकार का वित्त प्रबन्ध

राज्य के सामाजिक संकेतक

भौगोलिक क्षेत्रफल (342.24 हजार वर्ग किलोमीटर) की दृष्टि से राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवां राज्य है। राज्य की जनसंख्या सामान्य श्रेणी राज्यों¹ की औसत दशकीय वृद्धि दर 12.46 प्रतिशत के विरुद्ध 15.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये वर्ष 2009 में 6.63 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019 में 7.64 करोड़ हो गई। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या 14.7 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.9 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता दर 60.4 प्रतिशत (2001 की जनगणना) से बढ़कर 66.1 प्रतिशत (2011 की जनगणना) हो गई, तथापि, यह इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत अंक नीचे थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय ₹ 1,21,581 थी जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,43,002 की तुलना में कम थी। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक संकेतक **परिशिष्ट 1.1 (अ)** में दिए गए हैं। 18 सामान्य श्रेणी के राज्यों के मध्य तुलना को **परिशिष्ट 1.1 (ब)** में दर्शाया गया है।

राज्य के आर्थिक संकेतक

राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद² (जीएसडीपी) की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को दर्शाती है। स्थिर मूल्यों के साथ-साथ वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर की प्रवृत्ति को तालिका 1.1 में इंगित किया गया है।

तालिका 1.1: जीएसडीपी की तुलना में जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य					
भारत की जीडीपी [#] (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874 [#]	1,53,62,386 ^{##}	1,70,95,005 ^{&}	1,90,10,164 [£]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य की जीएसडीपी [@] (₹ करोड़ में)	6,15,642	6,81,485	7,58,809 [#]	8,35,558 ^{##}	9,29,124 [§]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.73	10.70	11.35	10.11	11.20

1 सामान्य श्रेणी राज्य: (i) आन्ध्र प्रदेश, (ii) बिहार, (iii) छत्तीसगढ़, (iv) गोवा, (v) गुजरात, (vi) हरियाणा, (vii) झारखण्ड, (viii) कर्नाटक, (ix) केरल, (x) मध्य प्रदेश, (xi) महाराष्ट्र, (xii) उड़ीसा, (xiii) पंजाब, (xiv) राजस्थान, (xv) तमिलनाडु, (xvi) तेलंगाना (xvii) उत्तर प्रदेश तथा (xviii) पश्चिम बंगाल।

2 एक निर्धारित समयावधि में राज्य के भीतर आधिकारिक तौर पर मान्य उत्पादित सभी अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) है।

संशोधित अनुमान-III

संशोधित अनुमान-II

& संशोधित अनुमान-I

£ अनन्तिम अनुमान

§ द्वितीय अग्रिम अनुमान

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीडीपी में राज्य का अंशदान	4.94	4.95	4.94	4.89	4.89
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत की जीडीपी [#] (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493 [#]	1,22,98,327 ^{##}	1,31,79,857 ^{&}	1,40,77,586 [£]
जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य की जीएसडीपी [@] (₹ करोड़ में)	5,21,509	5,63,340	5,95,100 [#]	6,32,921 ^{##}	6,79,314 [§]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.26	8.02	5.64	6.36	7.33
जीडीपी में राज्य की भागीदारी	4.95	4.95	4.84	4.80	4.83

@ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

स्रोत: # दिनांक 01.08.2019 को भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से लिये गये जीएसडीपी के आंकड़ें।

वर्ष 2018-19 के दौरान, स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी की वृद्धि दर (7.33 प्रतिशत) भारत की जीडीपी वृद्धि दर (6.81 प्रतिशत) की तुलना में अधिक थी। तथापि, वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी वृद्धि दर एवं जीएसडीपी की वृद्धि दर (11.20 प्रतिशत) समान थी। पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जीडीपी में राज्य का योगदान लगातार 5 प्रतिशत के भीतर रहा।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्थान सरकार के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य तथा गत पाँच वर्षों की समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष के सम्बन्ध में मुख्य राजकोषीय समग्रों में दृष्टिगत् परिवर्तनों के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। राजस्थान सरकार के वार्षिक लेखों में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखाओं के प्रारूपों को दो खण्डों (खण्ड I में सरकार के सारांशीकृत वित्तीय विवरण है तथा खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है) में विभाजित किया गया है। **परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)** में सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप को दर्शाया गया है एवं **परिशिष्ट 1.2 (भाग ब)** में वित्त लेखों का खाका दर्शाया गया है।

इस अध्याय की संरचना चार भागों में है।

- राजकोषीय संव्यवहारों के सारांश एवं समीक्षा वर्णित है।

(अनुच्छेद 1.2)

- राज्य के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं लोक लेखे प्राप्तियों के विवरणों को समाविष्ट किया गया है।

(अनुच्छेद 1.3 से 1.6)

संशोधित अनुमान-III

संशोधित अनुमान-II

& संशोधित अनुमान-I

£ अनन्तिम अनुमान

§ द्वितीय अग्रिम अनुमान

- संसाधनों का उपयोग व्यय की गुणवत्ता तथा सरकारी व्यय एवं निवेश के वित्तीय विश्लेषण से सम्बन्धित है।

(अनुच्छेद 1.7 से 1.9)

- वित्तीय स्थिति में परिसम्पत्तियों और देयताएँ, राजकोषीय असन्तुलन तथा ऋण प्रबन्धन सम्मिलित है।

(अनुच्छेद 1.10 से 1.12)

1.2 वर्ष 2018-19 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश राजकोषीय स्थिति का परिदृश्य प्रस्तुत करता है, बजट अनुमानों की वास्तविक से तुलना, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग तथा प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों की समीक्षा एवं बजट भाषण (2018-19) पर की गई कार्यवाही की स्थिति के बारे में विस्तृत विवरण **उप अनुच्छेदों 1.2.1 से 1.2.4** में दिया गया है।

तालिका 1.2, गत वर्ष (2017-18) की तुलना में वर्तमान वर्ष (2018-19) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय संव्यवहारों के संक्षिप्त विवरण को प्रस्तुत करती है, जबकि **परिशिष्ट 1.3** वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के सारांश को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.2: वर्ष 2018-19 में राजकोषीय संव्यवहारों का सारांश

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियाँ		संवितरण	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
अनुभाग-अ: राजस्व लेखा				
कर राजस्व	50,605.41	57,380.34	सामान्य सेवायें	43,450.36
कर-भिन्न राजस्व	15,733.72	18,603.01	सामाजिक सेवायें	53,064.07
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	37,028.01	41,852.35	आर्थिक सेवायें	49,326.98
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	23,940.04	20,037.32	सहायतार्थ-अनुदान एवं अंशदान	0.11
योग अनुभाग-अ राजस्व प्राप्तियाँ	1,27,307.18	1,37,873.02	योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय	1,45,841.52
अनुभाग-ब : पूँजीगत लेखा एवं अन्य				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	16.61	20.13	पूँजीगत परिव्यय	20,623.28
कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,133.41	15,158.41	संवितरित कर्जें तथा अग्रिम	1,334.02
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	28,556.57	37,846.82	लोक ऋण की पुनर्दायगी *	11,673.66
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	1,56,811.26	1,70,527.88	लोक लेखा संवितरण#	1,47,088.02
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	8,112.46	9,376.99	अन्तिम रोकड़ शेष	9,376.99
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	2,08,630.31	2,32,930.23	योग अनुभाग-ब संवितरण	1,90,095.97
कुल योग (अ+ब)	3,35,937.49	3,70,803.25	कुल योग (अ+ब)	3,35,937.49

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* मार्गोपाय अग्रिम और अधिविकर्ष के अन्तर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर।

लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरणों की राशि सकल आधार पर तालिका 1.2 में दर्शाई गई है, जबकि अन्य तालिकाओं/अनुच्छेदों में, इन्हें निवल आधार पर दर्शाया गया है।

वर्ष 2018-19 में राजकोषीय संव्यवहारों की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं:

- गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 8.3 प्रतिशत (₹ 10,565.84 करोड़) की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 14.4 प्रतिशत (₹ 20,931.67 करोड़) की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में पूँजीगत परिव्यय में 4.8 प्रतिशत (₹ 985.08 करोड़) की कमी हुई।
- लोक ऋण प्राप्तियों एवं लोक ऋण की पुर्नअदायगी में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 32.5 प्रतिशत (₹ 9,290.25 करोड़) एवं 44.9 प्रतिशत (₹ 5,241.41 करोड़) की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं लोक लेखा संवितरणों में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.7 प्रतिशत (₹ 13,716.62 करोड़) तथा 9.2 प्रतिशत (₹ 13,482.20 करोड़) की वृद्धि हुई।
- गत वर्ष की तुलना में रोकड़ शेष में 38.2 प्रतिशत (₹ 3,583.24 करोड़) की कमी हुई।

जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियों को वर्तमान के साथ-साथ स्थिर मूल्यों³ पर तालिका 1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.3: जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्ययों की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	6,15,642	6,81,485	7,58,809	8,35,558	9,29,124
जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	5,21,509	5,63,340	5,95,100	6,32,921	6,79,314
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
राजस्व प्राप्तियाँ वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
वर्तमान मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.63	9.81	8.72	16.77	8.30
राजस्व प्राप्तियाँ स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	77,363	82,899	85,504	98,433	1,00,804
स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.73	7.16	3.14	15.12	2.41
राजस्व प्राप्तियाँ/जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर	14.83	14.73	14.37	15.24	14.84
जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व व्यय					
राजस्व व्यय वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
वर्तमान मूल्यों पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	25.20	12.37	19.67	14.71	14.35
राजस्व व्यय स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	80,086	87,821	99,710	1,10,473	1,21,933

³ राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय के लिए स्थिर मूल्यों के आँकड़े एक अपस्फीति कारक अर्थात्, प्रत्येक वर्ष के लिए स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी का वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी के अनुपात का उपयोग करके आते हैं।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	20.20	9.66	13.54	10.79	10.37
राजस्व व्यय/जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर	15.36	15.59	16.76	17.45	17.95
जीएसडीपी के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
पूँजीगत व्यय वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	16,103	21,986	16,980	20,623	19,638
वर्तमान मूल्यों पर पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.85	36.53	(-) 22.77	21.45	(-) 4.78
पूँजीगत व्यय स्थिर मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	13,641	18,174	13,317	15,622	14,358
स्थिर मूल्यों पर पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.14	33.24	(-) 26.73	17.31	(-) 8.09
पूँजीगत व्यय/जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर	2.62	3.23	2.24	2.47	2.11

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति एवं पूँजीगत व्यय में कमी हुई जबकि राजस्व व्यय में मामूली वृद्धि हुई।

राजकोषीय संकेतकों की स्थिति अर्थात् राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटे पर चर्चा *अनुच्छेदों 1.2.1 एवं 1.11* में की गई है।

1.2.1 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने एवं राजवित्तीय स्थिरता बनाये रखने के लिये, राज्य सरकार द्वारा अपना “राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005” अधिनियमित किया। यह वर्ष 2011 एवं 2016 में संशोधित हुआ। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग ने भी राज्य के लिये राजकोषीय सुदृढीकरण के लिए रोडमैप का सुझाव दिया।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुये:

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे को प्राप्त करना था और उसके बाद उसे बनाये रखना अथवा राजस्व अधिशेष को प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार ने केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13 में ही राजस्व अधिशेष को बनाए रखा और उसके बाद, वर्ष 2018-19 तक लगातार छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटा/अधिशेष के संदर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों की स्थिति को तालिका 1.4 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.4: राजस्व घाटा/अधिशेष के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18		2018-19	
					उदय सहित	उदय रहित	उदय सहित	उदय रहित
बजट अनुमान	(+)1,026	(+)738	(+) 557	(-) 8,802	(-)13,528	(-)1,528	(-)17,455	(-)5,455
संशोधित अनुमान	(-)2,505	(-)4,220	(-)5,232	(-)17,838	(-)20,166	(-)8,166	(-)24,825	(-)12,825
वास्तविक	(-)1,039	(-)3,215	(-) 5,954	(-)18,114	(-)18,535	(-)6,535	(-)28,900	(-)16,900

*उदय के प्रभाव सहित⁴

जैसाकि उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 28,900 करोड़ रहा, जो कि बजट अनुमान (₹ 17,455 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 24,825 करोड़) में अनुमानित से अधिक रहा। उपरोक्त तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष 2013-14 से 2018-19 के लिए बजट अनुमान कम प्रतिपादित किये गये क्योंकि इन वर्षों के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों और वास्तविकों में नियमित एवं सार्थक गिरावट रही।

राज्य सरकार, वर्ष 2018-19 के दौरान बजट अनुमानों के आंकलित राजस्व घाटे को प्राप्त करने में असमर्थ रही क्योंकि ₹ 1,51,663 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 1,37,873 करोड़ अर्थात् 9.09 प्रतिशत (₹ 13,790 करोड़) से कम रही, जबकि ₹ 1,69,118 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 1,66,773 करोड़ अर्थात् 1.39 प्रतिशत (₹ 2,345 करोड़) से कम रहा।

इस प्रकार, बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट एवं व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियन्त्रण राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण रहा।

उक्त स्थिति यह इंगित करती है कि राज्य को अपनी राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने एवं राजस्व व्यय को तर्कसंगत बनाने के प्रयास करने होंगे।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6(ख) (जैसा कि 2011 में संशोधित हुआ) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक प्राप्त करने तथा उसके आगे अनुपात बनाये रखने या इसे कम करने की परिकल्पना की गई थी। चौदहवें वित्त आयोग ने भी राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत तक बनाए रखने की सिफारिश की थी। गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त राजकोषीय घाटे/जीएसडीपी अनुपात को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

⁴ राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय कुप्रबन्धन के स्थाई समाधान के इरादे से वित्तीय कार्यापलट तथा पुर्नजीवन पैकेज के लिए भारत सरकार द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ की गई।

तालिका 1.5: राजकोषीय घाटे के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2016-17	3.00 (उदय रहित) 5.62 (उदय सहित)	3.37 (उदय रहित) 6.36 (उदय सहित)	3.15 (उदय रहित) 6.10 (उदय सहित)
2017-18	2.99	3.46	3.03
2018-19	2.98	3.41	3.71

यह दृष्टिगत हुआ है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी अनुपात के प्रतिशत की तुलना में एफआरबीएम अधिनियम और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किये गये तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 34,473 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमान (₹ 28,011 करोड़) एवं संशोधित अनुमान (₹ 31,473 करोड़) में अनुमानित लक्ष्य से अधिक था।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल बकाया देयताओं की सीमा जीएसडीपी अनुपात के 35.0 प्रतिशत तक निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम, 2005 की धारा 6(ग) के प्रावधानों में संशोधन (अप्रैल 2016) किया गया।

यद्यपि, वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (33.5 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा में था, तथापि, यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (24.4 प्रतिशत) से काफी अधिक था। उदय के अन्तर्गत देयताओं को छोड़कर, ऋण-जीएसडीपी अनुपात 28.0 प्रतिशत रहा, जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक था।

1.2.2 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों तथा व्यय के अनुमानों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। समग्र आर्थिक प्रबन्धन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में, प्राप्तियों एवं व्यय के आंकलन में सटीकता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की अप्राप्ति का सूचक है जो कि विभिन्न कारणों यथा कुछ सरकार के नियंत्रणाधीन एवं कुछ नियंत्रण से बाहर होने के कारण होता है।

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों के साथ वास्तविक प्राप्तियों/व्ययों की तुलना तालिका 1.6 में एवं विस्तृत तुलना (मुख्य शीर्ष वार) परिशिष्ट 1.6 में दी गयी है।

तालिका 1.6: वर्ष 2018-19 के लिये बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की वास्तविक के साथ तुलना

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय मापदंड	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक एवं बजट अनुमान में अन्तर	वास्तविक एवं संशोधित अनुमान में अन्तर
1	2	3	4	5 (4-2)	6(4-3)
कर राजस्व	58,099	61,907	57,380	(-) 719	(-) 4,527
कर-भिन्न राजस्व	20,397	19,966	18,603	(-) 1,794	(-) 1,363
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	43,310	41,853	41,853	(-) 1,457	0
भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	29,857	24,458	20,037	(-) 9,820	(-) 4,421
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,51,663	1,48,184	1,37,873	(-) 13,790	(-) 10,311
कुल राजस्व व्यय	1,69,118	1,73,009	1,66,773	(-) 2,345	(-) 6,236
ब्याज अदायगियाँ	21,413	21,737	21,695	282	(-) 42
पूँजीगत व्यय	25,740	21,061	19,638	(-) 6,102	(-) 1,423
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 17,455	(-) 24,825	(-) 28,900	(-) 11,445	(-) 4,075
राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 28,011	(-) 31,473	(-) 34,473	(-) 6,462	(-) 3,000
प्राथमिक घाटा ⁵ (-)/अधिशेष (+)	(-) 6,598	(-) 9,736	(-) 12,778	(-) 6,180	(-) 3,042

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्ययों एवं पूँजीगत व्ययों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

1.2.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ, बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से क्रमशः ₹ 13,790 करोड़ (9.1 प्रतिशत) एवं ₹ 10,311 करोड़ (7.0 प्रतिशत) कम रही। संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में पर्याप्त गिरावट मुख्यतः भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान: ₹ 4,421 करोड़ (18.08 प्रतिशत); बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 1,709 करोड़ (10.36 प्रतिशत); मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क: ₹ 864 करोड़ (18.19 प्रतिशत); अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग: ₹ 699 करोड़ (11.65 प्रतिशत); राज्य उत्पाद शुल्क: ₹ 606 करोड़ (6.52 प्रतिशत) तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर: ₹ 562 करोड़ (2.39 प्रतिशत) में कमी के कारण रही।

1.2.2.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व व्यय बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों से क्रमशः ₹ 2,345 करोड़ (1.4 प्रतिशत) एवं ₹ 6,236 करोड़ (3.6 प्रतिशत) कम रहा। संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में यह गिरावट मुख्यतः अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम: ₹ 1,948 करोड़ (24.04 प्रतिशत); सामान्य शिक्षा: ₹ 700 करोड़ (2.01 प्रतिशत); शहरी विकास: ₹ 495 करोड़ (10.65 प्रतिशत); कृषि फसल कर्म: ₹ 490 करोड़ (17.49 प्रतिशत); पोषण: ₹ 488 करोड़ (21.81 प्रतिशत) तथा सड़क एवं सेतु: ₹ 296 करोड़ (19.25 प्रतिशत) में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कमी के कारण हुई।

⁵ प्राथमिक घाटा= राजकोषीय घाटा (-) ब्याज अदायगियाँ

1.2.2.3 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान की तुलना में क्रमशः ₹ 6,102 करोड़ (23.7 प्रतिशत) एवं ₹ 1,423 करोड़ (6.8 प्रतिशत) से कम रहा। संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में यह गिरावट मुख्यतः जलापूर्ति तथा सफाई: ₹ 418 करोड़ (9.75 प्रतिशत); अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों: ₹ 131 करोड़ (36.09 प्रतिशत); सड़क एवं सेतु: ₹ 107 करोड़ (2.51 प्रतिशत); चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य: ₹ 82 करोड़ (14.11 प्रतिशत); शहरी विकास: ₹ 80 करोड़ (5.81 प्रतिशत); मुख्य सिंचाई: ₹ 79 करोड़ (4.35 प्रतिशत); शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति: ₹ 76 करोड़ (8.44 प्रतिशत) तथा अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों: ₹ 64 करोड़ (18.71 प्रतिशत) में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कमी के कारण हुई।

सिफारिश 1:

सरकार को बजट में शामिल अनुमानों को और अधिक वास्तविक बनाने के लिए बजट का निर्माण युक्तिसंगत करना चाहिए ताकि राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे के मापदण्डों को एफआरबीएम अधिनियम की निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके।

1.2.3 जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग

जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत रूप से आवंटन किया गया है ताकि विशेष जेंडर समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2009-10 के बजट भाषण के दौरान, जीआरबी तैयार करने की घोषणा की ताकि प्रत्येक विभाग के बजट का जेंडर आधारित विश्लेषण हो सके। तदनुसार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन (अगस्त 2009) किया गया तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में सितम्बर 2009 में एक जेंडर प्रकोष्ठ का गठन किया गया। जीआरबी के कार्यों एवं उद्देश्यों में से एक, सरकार के बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना था कि जेंडर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2010 के दौरान विभिन्न जीआरबी पहलों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में जेंडर डेस्कों का भी गठन किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से बजट अनुमान तैयार करने के लिए नयी एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली में जेंडर बजट प्रविवरण का समावेश करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011) गया।

राज्य में जेंडर बजटिंग को राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुच्छेद 13.27 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है, जो वार्षिक जेंडर बजट विवरण तैयार करने हेतु के निर्दिष्ट विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा जारी बजट परिपत्र में दिए गए प्रारूप में जानकारी प्रदान करने के आदेश

उपलब्ध कराता है। इस प्रारूप में महिला उन्मुख आयोजनागत योजनाओं/कार्यक्रमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। श्रेणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अ	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से अधिक व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
ब	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 70 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
स	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के मध्य व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।
द	योजनाएँ जिनके अन्तर्गत महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत से कम व्यय के लक्ष्य निर्धारित किये गये।

वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किये गये बजट के अनुसार श्रेणीवार आवंटन को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: श्रेणीवार जेंडर बजटींग का बजट आवंटन एवं वास्तविक

(₹ करोड़ में)

वर्ष		श्रेणी 'अ'	श्रेणी 'ब'	श्रेणी 'स'	श्रेणी 'द'	योग
2014-15	बजट अनुमान	4,241.11	21,143.72	2,887.26	38.49	28,310.58
	वास्तविक व्यय	5,767.98	18,329.41	1,093.63	1,315.92	26,506.94
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	136.0	86.7	37.9	3418.9	93.6
2015-16	बजट अनुमान	5,963.18	30,381.26	2,264.05	42.63	38,651.12
	वास्तविक व्यय	7,814.04	20,263.82	2,176.33	49.76	30,303.95
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	131.0	66.7	96.1	116.7	78.4
2016-17	बजट अनुमान	5,771.71	37,876.75	3,251.84	40.64	46,940.94
	वास्तविक व्यय	3,524.88	23,211.34	2,450.84	89.69	29,276.75
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	61.1	61.3	75.4	220.7	62.4
2017-18	बजट अनुमान	5,870.89	44,428.87	2,372.26	118.19	52,790.21
	वास्तविक व्यय	8138.65	36,910.61	2,225.33	34.06	47,308.65
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	138.6	83.1	93.8	28.8	89.6
2018-19	बजट अनुमान	4,418.46	54,651.13	1,882.37	51.98	61,003.94
	वास्तविक व्यय	4,745.99	42,577.04	1,994.14	44.45	49,361.62
	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	107.4	77.9	105.9	85.5	80.9

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जेंडर बजट की तुलना में कुल व्यय 93.6 प्रतिशत से घटकर 80.9 प्रतिशत रह गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, उपरोक्त श्रेणियों में 123 बजट अन्तिमीकरण समितियाँ आई, जिन्होंने 1,248 योजनाओं/कार्यक्रमों को सम्मिलित किया। जेंडर बजट के उपयोग की सीमा के आंकलन की दृष्टि से, महिलाओं के लिए शत प्रतिशत आवंटन के साथ 'अ' श्रेणी की 34 योजनाओं की नमूना जाँच की गई थी जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का बजट आवंटन था। ध्यान में आई मुख्य अनियमितताओं को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग

(अ) "मिशन ग्राम्य शक्ति" (एमजीएस) योजना को महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सुदृढ़ तथा स्थिर करने एवं उन्हें सूक्ष्मवित्त प्रदान कर उनके संस्थागत विकास के लिए विकसित किया जाना था। यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 10.70 करोड़ के बजट आवंटन के समक्ष कोई व्यय नहीं हुआ।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि वित्त विभाग द्वारा कार्ययोजना अनुमोदित नहीं किये जाने के कारण योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। यह विचारणीय है कि योजना के अन्तर्गत "शून्य" व्यय के तथ्य को विगत पाँच वर्षों से निरंतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य वित्त में उल्लेखित किया जाता रहा है।

इस प्रकार, कार्ययोजना का लगातार गैर अनुमोदन एक 'अ' श्रेणी की योजना के अन्तर्गत निधि जारी करने की वित्त विभाग की अनिच्छा को दर्शाता है।

(ब) एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) की प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईजी): आईसीडीएस की नीति, प्रणाली, प्रक्रियाओं एवं क्षमता को मजबूती प्रदान करने में सहायता हेतु तथा पोषण परिणामों में सुधार के लिए अभिसारी क्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को प्रारम्भ किया गया था।

यह दृष्टिगत हुआ कि ₹ 174.50 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष मात्र ₹ 42.95 करोड़ (25 प्रतिशत) की राशि व्यय की गयी। विभाग ने सूचित किया कि आईसीटी- रियल टाइम मॉनिटरिंग (आरटीएम) उपकरणों एवं ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस की खरीद नहीं होने के कारण, आईसीटी-आरटीएम मास्टर ट्रेनिंग तथा कॉमन एप्लीकेशन सिस्टम (सीएस) के माध्यम से निगरानी सम्बन्धित गतिविधियाँ नहीं होने के परिणामस्वरूप निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

(2) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्-राजीविका (आरजीएवीपी) द्वारा अप्रैल 2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का क्रियान्वन किया जा रहा था। यह अक्टूबर 2010 में स्थापित, ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक

नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्था है। एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय के स्रोतों को बढ़ाना है ताकि ग्रामीण महिलाओं को एसएचजी में संगठित करके गरीबी से बाहर लाया जा सके एवं उन्हें ऋण वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए बैंकों से जोड़ा जा सके ताकि उनके जीविकोपार्जन के लिए अधिक धन उपलब्ध हो सके। यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान एनआरएलएम के अन्तर्गत ₹ 279 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष मात्र ₹ 115.84 करोड़ (42 प्रतिशत) की राशि खर्च की गयी। इस योजना पर कम व्यय भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना एवं इसी के अनुरूप कम राज्यांश जारी करने के कारण हुआ।

इस प्रकार एक जेंडर आधारित योजना में शून्य व्यय तथा शेष दो अन्य योजनाओं में 25 एवं 42 प्रतिशत का व्यय, जेंडर उत्तरदायी बजटिंग के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की ओर से प्रयासों में कमी को इंगित करता है।

1.2.4 वर्ष 2018-19 के बजट भाषण की प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों एवं की गई कार्यवाही की स्थिति

वर्ष 2018-19 के लिए बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने कई योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। मुख्य नीतिगत पहलों पर की गई कार्यवाही की स्थिति से सम्बंधित विभागों द्वारा सूचित किया गया (जून-सितम्बर 2019)। तथापि, लेखा परीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुआ कि निम्नलिखित परियोजना/नीतिगत पहलों के सम्बन्ध में, सीमित या कोई प्रगति नहीं की गई:

बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
25	परिवहन	सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु ₹ 10 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा।	वर्ष 2018-19 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। यहां तक कि अब तक (अगस्त 2019) जमीन भी आवंटित नहीं की गयी है।
28	जल संसाधन	बीसलपुर बाँध के लिए ब्राहमणी बनास में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ₹ 6,000 करोड़ की लागत से परियोजना प्रस्तावित थी। इस योजना से जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले लाभांशित होंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2019) किया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न मिलने के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट (ईओआई) आमन्त्रित की जानी है।
31		जीआईसीए, विश्व बैंक एवं न्यू डवलपमेन्ट बैंक द्वारा प्रायोजित ₹ 1,658 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं के कार्य 26 जिलों में आगामी वर्ष में आरम्भ किये जायेंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2019) किया कि ₹ 1,658 करोड़ के समक्ष राशि ₹ 814 करोड़ (49 प्रतिशत) के 31 निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
33		सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से चम्बल, बीसलपुर, गंग नहर, भाखडा नहर, सिद्धमुख नोहर एवं अमर सिंह उप शाखा परियोजनाओं पर आगामी वर्ष में ₹ 220 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।	₹ 220 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 2.00 करोड़ नाममात्र के आवंटित किए, जिसमें से वर्ष 2018-19 में ₹ 1.91 करोड़ (0.87 प्रतिशत) का व्यय हुआ।
42	जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी	पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देते हुए सितम्बर 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा जायेगा।	परियोजना अभी तक प्रगतिरत है एवं मार्च 2020 तक पूरा होने की सम्भावना है।
86 एवं 87	चिकित्सा शिक्षा	एसएमएस चिकित्सालय के सम्बद्ध चिकित्सालयों में बढ़ते रोगीभार को देखते हुए, ₹ 6 करोड़ की लागत से एक नवीन कैथ लैब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में बढ़ते रोगीभार को देखते हुए, ₹ 6 करोड़ के व्यय से एक नवीन कैथ लैब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।	वर्ष 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण नवीन कैथ लैब खरीदी नहीं जा सकी। निविदाये आमन्त्रित की गई परन्तु तकनीकी आधार पर निविदाये खारिज की गई। अब निविदाओं को नये सिरे से आमन्त्रित किया जाना है (अगस्त 2019)।
98	शिक्षा	प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के दूसरे चरण में, वर्ष 2018-19 में 1,163 आदर्श विद्यालयों में 3,379 अतिरिक्त कक्षाओं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 360 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी।	वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 360 करोड़ के समक्ष ₹ 200 करोड़ आवंटित किए गये, जिसमें से मात्र ₹ 107.80 करोड़ (30 प्रतिशत) का व्यय हुआ। 1,163 विद्यालयों में से मात्र 220 विद्यालयों (19 प्रतिशत) में कार्य पूर्ण हुआ।
113	अल्पसंख्यक मामलात	मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए आदर्श मदरसा योजना प्रारम्भ की जाएगी। इस योजना के तहत पंजीकृत "ए" श्रेणी मदरसों में से 500 मदरसों का चयन करके आधुनिकीकरण पर ₹ 25.18 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी।	वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 25.18 करोड़ के आवंटित बजट के समक्ष मात्र ₹ 9.48 करोड़ (37.65 प्रतिशत) का व्यय हुआ।
115	रोजगार	29 जिलों के रोजगार कार्यालयों को आदर्श आजिविका केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए ₹ 45 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।	कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था।
121	खेलकूद	जगतपुरा, जयपुर में शूटिंग रेन्ज को अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स क्रय करने हेतु ₹ 5 करोड़ खर्च किए जायेंगे।	बजट आवंटन ₹ 5 करोड़ के समक्ष मात्र ₹ 97.38 लाख (19.48 प्रतिशत) का ही व्यय हुआ था (अगस्त 2019)।
156	खनिज	राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए आगामी वर्ष में ₹ 1,000 करोड़ की राशि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा व्यय की जाएगी।	वर्ष 2018-19 में, ₹ 1,000 करोड़ के समक्ष मात्र ₹ 407.32 करोड़ (40.73 प्रतिशत) का व्यय हुआ था।

बजट भाषण की अनुच्छेद संख्या	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का सारांश	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
185	पुरातत्व एवं संग्रहालय	कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरु, बीकानेर, बारां, उदयपुर एवं भरतपुर में स्थित 19 स्मारकों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्यों पर आगामी वर्ष में ₹ 33.25 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है।	बजट आवंटन ₹ 22.17 करोड़ में से वर्ष 2018-19 में ₹ 6.81 करोड़ का व्यय हुआ था।
187	पर्यटन	पर्यटन विकास के लिए बांसवाड़ा के माही बौध क्षेत्र में ₹ 10 करोड़ की लागत से 100 द्वीप विकसित किए जाएंगे।	वर्ष 2018-19 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया।

उपरोक्त प्रकरणों में, अनुवर्ती कार्यवाही एवं कार्य प्रारम्भ करने में धीमी गति, बजट भाषण के दौरान की गयी घोषणाओं के अनुश्रवण एवं प्रयास करने में कमी का द्योतक है। अधिकांश प्रकरणों में, निर्धारित अवधि में काम शुरू भी नहीं हुआ था।

सिफारिश 2:

प्रत्येक वर्ष बजट भाषण में की गई घोषणाओं के महत्व एवं जन लेखा समिति द्वारा बार-बार की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सम्बन्धित विभागों को इन योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन और प्रारम्भ करना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.3 राज्य के वित्तीय संसाधन


वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के वित्तीय संसाधन

राज्य सरकार की प्राप्तियों को दो श्रेणियों अर्थात् राजस्व प्राप्तियों⁶ एवं पूँजीगत प्राप्तियों⁷ में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अपने घाटे के वित्त पोषण करने हेतु लोक लेखे (निवल में संवितरण के बाद) में उपलब्ध निधियों का भी उपयोग किया जाता है। राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों तथा उप-घटकों को निम्नलिखित प्रवाह संचित्र (फ्लोचार्ट) में प्रदर्शित किया गया है:


⁶ राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संचायी करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल होते हैं।

⁷ पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ, कर्जे और अग्रिमों की वसूलियाँ, ऋण प्राप्तियाँ (बाजार से कर्जे, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से कर्जे और अग्रिम शामिल हैं।


वित्तीय संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को **संचित्र 1.1** में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को **संचित्र 1.2** में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे




वर्ष 2014-19 के दौरान, कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) 19 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज से वर्ष 2014-15 में ₹ 1,14,809 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,00,856 करोड़ हो गई एवं वर्ष 2018-19 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में यह 11 प्रतिशत से बढ़ी।


वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान राजस्व प्राप्तियों का (69 प्रतिशत) रहा एवं गत पाँच वर्षों के दौरान भी रहा। जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल प्राप्तियों में लोक लेखा प्राप्तियों का 5 प्रतिशत हिस्सा रहा, कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का 26 प्रतिशत योगदान रहा। राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखा प्राप्तियों एवं पूँजीगत प्राप्तियों के घटकों की विवेचना अनुच्छेद 1.4, 1.5 एवं 1.6 में की गयी है।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों में सरकार का स्व-राजस्व (कर एवं कर-भिन्न राजस्व), केन्द्र सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान शामिल है। वर्ष 2014-19 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं संयोजन को परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत किया गया है तथा संचित्र 1.3 एवं संचित्र 1.4 में भी दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों, 13 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्ष 2014-15 में ₹ 91,327 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-19 के दौरान, औसतन 54 प्रतिशत राजस्व राज्य के स्व-संसाधनों से आया तथा शेष राशि भारत सरकार से संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश एवं सहायतार्थ-अनुदान के रूप में आयी।

वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश क्रमशः 40 एवं 42 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि कर-भिन्न राजस्व का अंश क्रमशः 10 एवं 15 प्रतिशत के मध्य रहा। राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व का अंश वर्ष 2017-18 के 40 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 42 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों एवं कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.8 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.8: राजस्व प्राप्तियों एवं कर राजस्व की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	22.6	9.8	8.7	16.8	8.3
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.5	10.4	3.9	14.0	13.4

उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात, आधार परिवर्ती (वेरिएबल) में दिये गये परिवर्तन के संदर्भ में किसी राजकोषीय परिवर्ती की प्रतिक्रिया की मात्रा या लचीलेपन को दर्शाता है। इस अनुपात का एक से अधिक मान आधार परिवर्ती से राजकोषीय परिवर्ती की उच्च स्तर की प्रतिक्रिया को इंगित करता है। जैसे-जैसे जीएसडीपी बढ़ती है, सरकार की

राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। राज्य के जीएसडीपी में परिवर्तन के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता को तालिका 1.9 दर्शाती है ।

तालिका 1.9: उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उत्प्लावकता अनुपात					
जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर (₹ करोड़ में)	6,15,642	6,81,485	7,58,809	8,35,558	9,29,124
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.7	10.7	11.3	10.1	11.2
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	14.8	14.7	14.4	15.2	14.8
जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.9	0.9	0.8	1.7	0.7
जीएसडीपी के संदर्भ में कर राजस्व उत्प्लावकता	1.3	1.0	0.3	1.4	1.2
राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में कर राजस्व उत्प्लावकता	0.7	1.1	0.5	0.8	1.6
जीएसडीपी के संदर्भ में कर भिन्न राजस्व उत्प्लावकता	(-) 0.2	(-) 1.6	0.6	3.5	1.6
जीएसडीपी के संदर्भ में केन्द्रीय करों में राज्यांश उत्प्लावकता	0.5	3.8	1.8	1.0	1.2
जीएसडीपी के संदर्भ में भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान उत्प्लावकता	10.6	(-) 0.4	0.4	2.3	(-) 1.5

स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व उत्प्लावकता, जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के लिए राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से दृष्टिगत होता है कि राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट वर्ष 2017-18 में 16.8 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 8.3 प्रतिशत हो जाने के कारण राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2017-18 में 1.7 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.7 प्रतिशत हो गई। जीएसडीपी के सापेक्ष कर-भिन्न राजस्व उत्प्लावकता में बड़ी गिरावट वर्ष 2017-18 में 3.5 से वर्ष 2018-19 में 1.6 कर भिन्न राजस्व में गत वर्ष की वृद्धि दर 35.5 प्रतिशत की तुलना में कम वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत रह जाने के कारण हुई। राजस्व प्राप्ति उत्प्लावकता में गिरावट का मुख्य कारण जीएसडीपी से सहायतार्थ अनुदान उत्प्लावकता गत वर्ष की तुलना में 2.3 से गिरकर वर्ष 2018-19 में (-)1.5 रह जाना रहा। इस प्रकार वर्ष 2018-19 के दौरान सहायतार्थ अनुदान से 16.3 प्रतिशत की कमी आई जो गत वर्ष में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्ति-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2017-18 के 15.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में 14.8 प्रतिशत रह गया ।

1.4.1 राज्य के स्व-संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश एवं सहायतार्थ-अनुदानों का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया गया जिससे कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित थे।

चौदहवें वित्त आयोग तथा मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) द्वारा किये गये आंकलन के समक्ष राज्य के वास्तविक कर एवं कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.10 में दिया गया है:

तालिका 1.10: वर्ष 2018-19 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ
(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट अनुमान/ एमटीएफपीएस	वास्तविक प्राप्तियाँ	बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	
				राशि	प्रतिशत
कर राजस्व	90,241	58,099	57,380	(-) 719	1.24
कर-भिन्न राजस्व	23,708	20,397	18,603	(-) 1,794	8.80

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये मानक आंकलनों की तुलना में कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ क्रमशः 36.41 प्रतिशत (₹ 32,861 करोड़) एवं 21.53 प्रतिशत (₹ 5,105 करोड़) से कम रही। वास्तविक कर-राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व बजट अनुमान से भी कम था।

1.4.1.1 कर-राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सम्बन्ध में सकल संग्रह की घटक वार स्थिति तालिका 1.11 एवं संचित्र 1.5 में दी गई है:

तालिका 1.11: राज्य के स्व कर-राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,170	26,345	28,558	19,008	14,791	(-) 22.2
माल तथा यात्री कर	956	848	803	341	51	(-) 85.0
मनोरंजन कर तथा विलासिता कर (वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क के अन्तर्गत)	114	171	220	64	5	(-) 92.2
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	12,137	22,938*	89.0
योग	25,240	27,364	29,581	31,550	37,785	19.8
राज्य उत्पाद शुल्क	5,586	6,713	7,054	7,276	8,694	19.5
वाहनों पर कर	2,830	3,199	3,623	4,363	4,576	4.9
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,189	3,234	3,053	3,675	3,886	5.7
भू-राजस्व	289	272	315	364	290	(-) 20.3
अन्य कर ⁸	1,539	1,931	746 ⁹	3,377 ¹⁰	2,149 ¹¹	(-) 36.4
कुल योग	38,673	42,713	44,372	50,605	57,380	13.4

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


* अप्रमाणित आँकड़े।

8 अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर तथा विलासिता कर को छोड़कर) शामिल है।

9 इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की ₹ 738 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल है।

10 इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की ₹ 3,376 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल है।

11 इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की ₹ 2,148 करोड़ की प्राप्तियाँ शामिल है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार द्वारा जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन करने के कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियों में गत वर्ष से 22.2 प्रतिशत की कमी रहने के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्तियाँ क्रमशः 26 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में कर-राजस्व का मुख्य अंश रहे। तथापि, करों (बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल तथा यात्री कर, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर) से समग्र प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 19.8 प्रतिशत से बढ़ी।

जबकि 'अन्य कर' शीर्ष के अर्न्तगत विद्युत पर कर एवं शुल्क वर्ष 2017-18 के ₹ 3,376 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,148 करोड़ रह गया, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क का योगदान कर-राजस्व का 15 प्रतिशत था, गत वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत हो गया। मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 3,886 करोड़) में गत वर्ष (₹ 3,675 करोड़) की तुलना में वर्ष 2018-19 में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा वाहनों पर कर (₹ 4,576 करोड़) में भी गत वर्ष (₹ 4,363 करोड़) की तुलना में वर्ष 2018-19 में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.4.1.2 वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, जीएसटी लागू होने के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति केन्द्र सरकार 5 वर्ष के लिए राज्य सरकारों को करेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹ 17,158.62 करोड़ पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की आंकलित वृद्धि दर लागू करते हुये राजस्थान के लिए वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 25,421.25 करोड़ राजस्व निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत राजस्व के रूप में ₹ 22,938.33 करोड़ (₹ 2,638.85 करोड़ समेकित वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम विभाजन को शामिल करते हुए) प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने ₹ 1,875 करोड़ (वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 301 करोड़ के पिछले वर्ष से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति को छोड़कर) जीएसटी के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान के मुआवजे के रूप में जारी किये गए। वर्ष 2018-19 की अवधि से सम्बन्धित मुआवजे के रूप में ₹ 405 करोड़ की राशि भी मई 2019 में प्राप्त हुई। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, राज्य द्वारा एकत्रित वास्तविक राजस्व को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण/प्रमाणित किया जाना है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण का स्वचालित तंत्र स्थापित हो जाने के साथ, लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखानरीक्षक के संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिए, सभी संव्यवहारों की नमूना जाँचों को एक विस्तृत जाँच में परिवर्तित किया जाना लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हो गया है। डाटाबेस तक अपेक्षित पहुंच अभी भी दी जानी है। जीएसटी प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा करने में जीएसटी के सभी संव्यवहारों से सम्बन्धित डाटा की उपलब्धता नहीं होना एक रूकावट है। इसलिए एकबार अपवाद के रूप में वर्ष 2018-19 हेतु लेखे नमूना जाँच के आधार पर प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि रिकार्ड को मैनुअल रूप से रखे जाने पर किया जाता था।

इसलिए, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी के रूप में दर्शाये गये राजस्व की राशि ₹ 22,938.33 करोड़ को अनन्तिम और लेखा परीक्षा के अध्यक्षीन माना जाना चाहिए।

सिफारिश 3:

राज्य सरकार को एसजीएसटी के अन्तर्गत राजस्व संग्रहण के प्रमाणीकरण के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) को एसजीएसटी ऑकड़ों तक पहुँच शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करानी चाहिये।

संग्रहण की लागत

वाहनों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क के सकल संग्रहण पर व्यय एवं वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 के दौरान सकल संग्रहण पर इसके प्रतिशत को अखिल भारतीय औसत संग्रहण लागत के साथ उनके सम्बन्धित वर्षों के समक्ष तालिका 1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: संग्रहण की लागत

प्राप्ति शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता में
		(₹ करोड़ में)			
राज्य वस्तु एवं सेवा कर सहित बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2016-17	28,558	123	0.43	0.69
	2017-18	31,145	163	0.52	0.69
	2018-19	37,729	199	0.53	उपलब्ध नहीं
राज्य उत्पाद शुल्क	2016-17	7,054	131	1.86	2.01
	2017-18	7,276	142	1.95	1.83
	2018-19	8,694	160	1.84	उपलब्ध नहीं
वाहनों पर कर	2016-17	3,623	71	1.96	2.61
	2017-18	4,363	69	1.58	2.61
	2018-19	4,576	81	1.77	उपलब्ध नहीं
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	2016-17	3,053	65	2.13	2.99
	2017-18	3,675	72	1.96	2.96
	2018-19	3,886	85	2.19	उपलब्ध नहीं

@ राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त लघुशीर्ष 101- वसूली प्रभार के अन्तर्गत दर्ज किए गए व्यय को संग्रहण की लागत माना जाता है।

राज्य में, वर्ष 2016-19 की अवधि के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर सभी प्राप्ति लेखा शीर्षों में सकल संग्रहण से संग्रहण की लागत का प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में अखिल भारतीय औसत से कम रहा।

1.4.1.3 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व के मुख्य घटकों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.13 एवं संचित्र 1.6 में दर्शाया गया है।


तालिका 1.13: कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	(₹ करोड़ में)					गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि/ कमी (प्रतिशत में)
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
ब्याज प्राप्ति	2,065	1,982	1,933	4,859	5,791	19.2
पेट्रोलियम से राजस्व ¹²	4,850	2,342	2,332	2,579	3,883	50.6
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,636	3,782	4,234	4,522	5,302	17.2
लाभांश एवं लाभ	63	97	68	67	56	(-) 16.4
अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	2,615	2,725	3,048	3,707	3,571	(-) 3.7
योग	13,229	10,928	11,615	15,734	18,603	18.2

स्रोत: वित्त लेखे

¹² बाड़मेर-सांचौर बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल पर रॉयल्टी से राजस्व।

संवित्र 1.6: वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक
(अंश प्रतिशत में)



वर्ष 2018-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व (₹ 18,603 करोड़), जो राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत था, गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत (₹ 2,869 करोड़) से बढ़ा यह पेट्रोलियम से ₹ 1,304 करोड़ (51 प्रतिशत), सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियाँ ₹ 932 करोड़ (19 प्रतिशत) एवं अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग ₹ 780 करोड़ (17 प्रतिशत) के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ।

1.4.2 केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान सहित केन्द्र सरकार से हस्तान्तरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों में राज्यों के 32 प्रतिशत हिस्से (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय करों के निवल आगमों एवं सेवा करों के निवल आगमों में राज्य का हिस्सा क्रमशः 5.50 प्रतिशत एवं 5.65 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। भारत सरकार से केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा सहायतार्थ-अनुदान के घटकों को तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान के विभिन्न घटकों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश					
सीमा शुल्क	3,205	4,464	4,620	3,735	2,966
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,810	3,731	5,275	3,905	1,971
सेवा कर	2,921	4,864	5,433	4,227	389
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	520	10,329
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	3,736	824
निगम कर	6,920	8,760	10,739	11,334	14,553
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,942	6,073	7,464	9,571	10,718

केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
धन कर	19	2	25	- ¹³	5
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	-	22	- ¹⁴	- ¹⁵	22
अन्य	-	-	-	-	76
योग (अ)	19,817	27,916	33,556	37,028	41,853
आयोजना-भिन्न अनुदान	4,527	5,241	5,928	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	14,885	12,957	13,462	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं सहित)	196	530	93	-	-
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं	-	-	-	16,104	13,317
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	4,262	3,121
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	-	3,574	3,599
योग (ब)	19,608	18,728	19,483	23,940	20,037
कुलयोग (अ) + (ब)	39,425	46,644	53,039	60,968	61,890

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,825 करोड़ से बढ़ा एवं यह राजस्व प्राप्तियां का 30 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार से कुल अन्तरण (कर हस्तान्तरण एवं सहायतार्थ-अनुदान सहित) मुख्यतः निगम कर में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में 1.5 प्रतिशत (₹ 922 करोड़) बढ़ा।

1.4.3 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग

चौदहवें वित्त आयोग ने 01 अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षीय अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 में प्रस्तुत की। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015-2020 के दौरान भारत सरकार ने राज्य सरकार को सहायतार्थ अनुदान राशि ₹ 24,240.75 करोड़ (राज्य आपदा मोचन निधि में राज्य के हिस्से सहित) का आवंटन किया।

सहायतार्थ अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11 जनवरी 2016 को एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति (एचएलएमसी) गठित की। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान, अनुदान के उपयोग के अनुश्रवण या मूल्यांकन के लिए एचएलएमसी द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों, भारत सरकार द्वारा जारी की गई तथा राज्य सरकार द्वारा अनुवर्ती अंतरणों की स्थिति तालिका 1.15 में दी गई है।

¹³ ₹ (-) 0.34 करोड़।

¹⁴ ₹ 0.09 करोड़।

¹⁵ ₹ (-) 0.01 करोड़।

तालिका 1.15: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित, वास्तविक जारी की गई तथा अन्तरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अन्तरण	वर्ष 2015-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
			2015-16 से 2017-18	2018-19	योग	2015-16 से 2017- 18	2018-19 (कालम 5 का प्रतिशत)	योग	2015-16 से 2017- 18	2018-19	योग (कालम 9 का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	स्थानीय निकाय										
	(i) पीआरआई को अनुदान	13,633.63	6,434.94	3,067.80	9,502.74	6,434.94	1,362.11 (44.40)	7,797.05	6,434.94	1,362.11	7,797.05 (100.00)
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	12,270.27	5,865.04	2,724.22	8,589.26	5,865.04	1,362.11 (50.00)	7,227.15	5,865.04	1,362.11	7,227.15 (100.00)
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	1,363.36	569.90	343.58	913.48	569.90	- (0.00)	569.90	569.90	-	569.90 (100.00)
	(ii) यूएलबी को अनुदान	4,513.12	2,103.08	1,029.07	3,132.15	1,902.78	801.60 (77.90)	2,704.38	1,902.78	801.60	2,704.38 (100.00)
	(अ) सामान्य मूल अनुदान	3,610.50	1,725.78	801.60	2,527.38	1,725.78	801.60 (100.00)	2,527.38	1,725.78	801.60	2,527.38 (100.00)
	(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	902.62	377.30	227.47	604.77	177.00	- (0.00)	177.00	177.00	-	177.00 (100.00)
	योग (1)	18,146.75	8,538.02	4,096.87	12,634.89	8,337.72	2,163.71 (52.81)	10,501.43	8,337.72	2,163.71	10,501.43 (100.00)
2	राज्य आपदा मोचन निधि*	6,094.00	3,477.00	1,277.00	4,754.00	3,477.00	1,277.00 (100.00)	4,754.00	3,477.00	1,181.22	4,658.22 (97.99)
	महायोग (1 से 2)	24,240.75	12,015.02	5,373.87	17,388.89	11,814.72	3,440.71 (64.03)	15,255.43	11,814.72	3,344.93	15,159.65 (99.37)

* कुल अनुदान में राज्यांश के 25 प्रतिशत सहित।

स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे

पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को अंतरण

- वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रथम किशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) देरी से प्रस्तुत (6 मार्च 2019) किए जाने के कारण भारत सरकार ने सामान्य मूल अनुदान की द्वितीय किशत राशि ₹ 1,362.11 करोड़ पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को जारी नहीं की। तथापि, इसे आगामी वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2019) में जारी कर दिया गया था।
- भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए पीआरआई को सामान्य निष्पादन अनुदान राशि ₹ 343.58 करोड़ भारत सरकार द्वारा निर्धारित दो अनिवार्य शर्तों, यथा (i) लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना एवं (ii) स्वयं के स्रोतों से राजस्व में वृद्धि करने, की अनुपालना नहीं करने के कारण जारी नहीं की। यद्यपि, भारत सरकार को अपेक्षित सूचना बाद में (20 जून 2019) प्रेषित कर दी गई थी, लेकिन सामान्य निष्पादन अनुदान (अगस्त 2019) अभी तक प्रतीक्षित था।
- भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर स्थानीय निकाय अनुदान को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्वाचित स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किया जाना था। यद्यपि राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थानों के लिए दिनांक 13 जून 2018 को प्रथम किशत की राशि ₹ 1,362.11 करोड़ प्राप्त हुई थी परन्तु इसे ग्राम पंचायतों को 11 जुलाई 2018 को अर्थात् 14 दिन

की देरी से हस्तांतरित किया गया था। अनुदान के देरी से हस्तान्तरण के कारण, चौदहवें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 3.39 करोड़ के जुर्माना ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को हस्तान्तरण

1. चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान के भाग जिसे निर्धारित अवधि में वितरित नहीं किया जा सका था, पर ब्याज के हस्तान्तरण नहीं करने के कारण भारत सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 200.30 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 227.47 करोड़ का सामान्य निष्पादन अनुदान जारी नहीं किया।
2. यह भी देखा गया कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मूल अनुदान के रूप में ₹ 2,527.38 करोड़ प्राप्त किये जिसके समक्ष मात्र ₹ 1,496.22 करोड़ (59.20 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगस्त 2019 तक प्राप्त किए।

इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त ₹ 177 करोड़ के निष्पादन अनुदानों के समक्ष मात्र ₹ 122.03 करोड़ (68.94 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए। इससे यह इंगित होता है कि अधिकांश प्राप्त अनुदान अनूपयोजित है।

राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) को हस्तान्तरण के बारे में विवरण अनुच्छेद 1.10.4.1 में दिया गया है।

राजस्थान सरकार द्वारा पिछली किशतों के उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं निष्पादन अनुदानों के लिए शर्तों की अनुपालना नहीं होने के कारण भारत सरकार द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि ₹ 1,933.16 करोड़ {पंचायती राज संस्थानों को सामान्य मूल अनुदान की द्वितीय किशत के ₹ 1,362.11 करोड़ एवं पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदानों के ₹ 571.05 करोड़ } जारी नहीं की गई ।

सिफारिश 4:

राज्य सरकार को चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का पूर्णरूपेण निर्गम सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों में समय पर उपयोगिता प्रमाण प्राप्त/प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रणाली तथा निर्धारित लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा प्रणाली तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

1.5 पूँजीगत प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.16: पूँजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत प्राप्तियाँ (सीआर)	19,160	62,470	45,630	43,707	53,025
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	15	25	28	16	20
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,004	1,447	1,713	15,134	15,158
लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,141	60,998	43,889	28,557	37,847
ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	25.2	236.2	(-) 28.0	(-) 34.9	32.5
गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	212.6	44.5	18.3	770.2	0.2
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.3	226.0	(-) 27.0	(-) 4.2	21.3

स्रोत: वित्त लेखे

1.5.1 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण एवं गैर-ऋण प्राप्तियाँ) वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 44 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी तथा वर्ष 2018-19 के दौरान, यह गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत बढ़ी।

1.5.2 कर्ज एवं अग्रिम की वसूलियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ गत वर्ष के ₹ 15,134 करोड़ से ₹ 24 करोड़ बढ़कर 2018-19 में ₹ 15,158 करोड़ हो गईं। ₹ 15,158 करोड़ में से ₹ 15,000 करोड़ उदय योजना के अन्तर्गत दिए गए कर्ज के समायोजन के पेटे थी। उदय योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम को वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान दिए गए कर्ज को वर्ष 2018-19 के दौरान इक्विटी और सब्सिडी में परिवर्तित कर दिया गया।

1.5.3 लोक ऋण प्राप्तियाँ

इसमें मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण प्राप्तियाँ यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं।

• आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, लोक ऋण प्राप्तियों के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण प्राप्तियों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि से उधार में गत वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत (₹ 9,290 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसमें से बाजार ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 8,264 करोड़ से बढ़ी।

• **भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम**

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य के लिए खण्ड ऋणों¹⁶ की अधिक प्राप्तियों के कारण भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम की प्राप्तियाँ (₹ 2,642 करोड़) गत वर्ष (₹ 1,557 करोड़) की तुलना में 70 प्रतिशत (₹ 1,085 करोड़) बढ़ी।

1.6 लोक लेखा

कुछ व्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचन्त, प्रेषण से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं संवितरणों, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैकर के रूप में कार्य करती है और संवितरणों के बाद शेष राशि का उपयोग करती है। गत पाँच वर्षों के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: वर्षों के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों के घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) लोक लेखा प्राप्तियाँ					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	7,082	7,967	8,620	9,346	12,849
ब. आरक्षित निधियाँ	1,724	3,678	3,068	3,466	4,150
स. जमा तथा अग्रिम	1,07,067	1,25,570	1,44,292	1,42,603	1,51,092
द. उचन्त तथा विविध	22	78	(-) 67	51	08
य. प्रेषण	10,487	9,617	132	1,345	2,429 ¹⁷
योग (अ)	1,26,382	1,46,910	1,56,045	1,56,811	1,70,528
(ब) लोक लेखा संवितरण					
अ. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	4,100	4,700	5,240	6,145	7,466
ब. आरक्षित निधियाँ	1,752	2,760	2,409	2,630	3,583
स. जमा तथा अग्रिम	1,05,658	1,23,315	1,41,050	1,36,900	1,47,036
द. उचन्त तथा विविध	62	19	52	78	65
य. प्रेषण	10,488	9,637	135	1,335	2,420
योग (ब)	1,22,060	1,40,431	1,48,886	1,47,088	1,60,570
निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (अ-ब)	4,322	6,479	7,159	9,723	9,958

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 13,717 करोड़ (8.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः जमा तथा अग्रिमों में ₹ 8,489 करोड़ से, अल्प बचत, भविष्य निधि आदि में ₹ 3,503 करोड़ से तथा प्रेषणों में ₹ 1,084 करोड़ से हुई।

¹⁶ मुख्य शीर्ष 6004- भारत सरकार से कर्जे के अन्तर्गत 'खण्ड ऋण' एक लघु शीर्ष है।

¹⁷ इसमें खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नकद प्रेषण: ₹ 2,420.14 करोड़, लोक निर्माण प्रेषण: ₹ 9.28 करोड़ तथा वन प्रेषण: ₹ 0.02 करोड़ शामिल है।

वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ 33 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2014-15 के ₹ 4,322 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 9,958 करोड़ हो गयी। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में केवल 2.4 प्रतिशत से बढ़ी।

1.7 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की रूपरेखा के दायरे में, घाटे अथवा उधारों से वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय रूकावटें होती हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि राज्य स्तर पर चल रहे राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया कहीं व्यय, विशेषतया सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय में कमी के कारण तो नहीं है।

1.7.1 कुल व्यय

नीचे दी गई तालिका, पाँच वर्षों (2014-19) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है और संचित्र 1.7 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाती है।


कुल व्यय के घटक- सापेक्ष भाग

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
पूँजीगत व्यय	16,103	21,986	16,980	20,623	19,638
कर्ज एवं अग्रिम	701	36,602	12,965	1,334	1,113
कुल व्यय	1,11,346	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान 17 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ा। वर्ष 2018-19 के दौरान, इसमें गत वर्ष से 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, पूँजीगत व्यय की कुल व्यय से प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के 14.5 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018-19 में 10.5 प्रतिशत रह गयी।




1.7.2 गतिविधियों के संदर्भ में कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय को ब्याज अदायगियों सहित सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ तथा कर्ज एवं अग्रिम के व्यय शामिल माने जा सकते हैं। कुल व्यय में इन सम्बन्धित घटकों के सापेक्ष अंश को नीचे तालिका एवं संचित्र 1.8 में दर्शाया गया है।

कुल व्यय के घटक-सापेक्ष अंश

	(प्रतिशत में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएँ	25.5	19.1	25.2	26.2	29.3
जिसमें से, ब्याज अदायगियों	9.4	7.3	11.3	11.8	11.6
सामाजिक सेवाएँ	39.2	29.9	35.4	35.9	38.7
आर्थिक सेवाएँ	34.7	28.8	31.1	37.1	31.4
कर्ज एवं अग्रिम	0.6	22.2	8.3	0.8	0.6
स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे					

संचित्र 1.8: कुल व्यय: प्रवृत्तियाँ एवं गतिविधि वार संयोजन (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि:

- वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल व्यय में सामान्य एवं सामाजिक सेवाओं के सापेक्ष अंश में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ, ब्याज अदायगियों, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, पुलिस तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई, तथापि, आर्थिक सेवा के सापेक्ष अंश में कमी अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विद्युत एवं ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।

- वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम के सापेक्ष अंश में भी कमी राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम जारी करने में कमी के कारण हुई।

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने एवं पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है और इसी कारण, राज्य के आधारभूत ढाँचे एवं सेवाओं के तंत्र में किसी प्रकार की वृद्धि में योगदान नहीं देता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 88.9 प्रतिशत था। यह वर्ष 2014-15 के ₹ 94,542 करोड़ से 19 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,66,773 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 14.4 प्रतिशत (₹ 20,931 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹ 7,870 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ (₹ 6,471 करोड़), सहकारिता (₹ 3,222 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 1,975 करोड़), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹ 1,862 करोड़), पुलिस (₹ 1,445 करोड़), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 1,196 करोड़), तथा जनगणना सर्वे एवं सांख्यिकी (₹ 874 करोड़) के अन्तर्गत वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 19,638.20 करोड़ था। कुल व्यय पर पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2017-18 के 12.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 10.5 प्रतिशत रह गया। यह वर्ष 2014-15 के ₹ 16,103 करोड़ से 5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 19,638 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, पूँजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत (₹ 985 करोड़) की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 721 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 422 करोड़) तथा सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय (₹ 378 करोड़) के अन्तर्गत हुई।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 19,638.20 करोड़ में से राज्य सरकार ने सरकारी कम्पनियों और सहकारी समितियों/बैंकों/समितियों में ₹ 4,080.79 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 21 प्रतिशत) का निवेश किया। इसमें से, सरकार द्वारा संचित हानि ₹ 95,506 करोड़ एवं ऋणात्मक कुल मूल्य ₹ 59,097.74 करोड़ वाली पाँच विद्युत कम्पनियों अर्थात् राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ₹ 3,822.30 करोड़ (पूँजीगत व्यय का 19.5 प्रतिशत) निवेश किया गया (परिशिष्ट 1.9) ।

सिफारिश 5:

चूँकि उन कम्पनियों में जहाँ संचित घाटे के परिणामस्वरूप कुल लागत का क्षरण हुआ है, किए गये निवेश पर प्रतिलाभ प्राप्त करने की संभावना, अल्प है, राज्य सरकार इन कंपनियों को भविष्य में भुगतान अंश पूंजी के बजाय अनुदान के रूप में करने पर विचार कर सकती है।

1.7.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते में राज्य सरकार का प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः ब्याज अदायगियों, वेतन तथा मजदूरी पर व्यय, पेन्शन भुगतान तथा अर्थ-सहाय्य से बनता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय ₹ 1,13,421 करोड़ हुआ, जो कि कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत रहा। तालिका 1.18, वर्ष 2014-19 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

	(₹ करोड़ में)				
प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वेतन एवं मजदूरी	23,498 (25.7)	25,871 (25.8)	30,016 (27.5)	37,611 (29.6)	49,790* (36.1)
ब्याज अदायगियाँ	10,463 (11.5)	12,008 (12.0)	17,677 (16.2)	19,720 (15.5)	21,695 (15.7)
पेन्शन पर व्यय	9,629 (10.6)	10,864 (10.8)	12,296 (11.3)	13,925 (10.9)	20,396 (14.8)
अर्थ-सहाय्य	8,626 (9.4)	10,461 (10.4)	17,208 (15.8)	23,674 (18.6)	21,540 (15.6)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	52,216 (57.2)	59,204 (59.0)	77,197 (70.8)	94,930 (74.6)	1,13,421 (82.2)
अन्य घटक	42,326 (46.3)	47,035 (46.9)	49,943 (45.8)	50,912** (40.0)	53,352** (38.7)
कुल राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
राजस्व प्राप्तियाँ	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
राजस्व व्यय से प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	55.2	55.7	60.7	65.1	68.0
टिप्पणी: कोष्ठक में दी गयी संख्या राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाती है।					
* वेतन: ₹ 49,138 करोड़ एवं मजदूरी ₹ 652 करोड़।					
** वित्तीय सहायता (सहायतार्थ अनुदान): ₹ 29,171 करोड़; सहायतार्थ अनुदान सामान्य (वेतन): ₹ 5,691 करोड़; समेकित निधि से लोक लेखा में निधियों का अंतरण: ₹ 4,485 करोड़ तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत: ₹ 717 करोड़ पर व्यय सम्मिलित है।					

स्रोत: वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में अंश वर्ष 2014-15 के 55.2 प्रतिशत से लगातार बढ़कर वर्ष 2018-19 में 68.0 प्रतिशत हो गया। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात भी वर्ष 2014-15 के 57.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 82.2 प्रतिशत हो गया।

1.7.3.1 वेतन तथा मजदूरी

वेतन तथा मजदूरी पर व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 23,498 करोड़ से 28 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 49,790 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, वेतन तथा मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि रही, जोकि वर्ष 2017-18 में 25 प्रतिशत थी। यह एमटीएफपीएस (₹ 48,949 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा किये गये आंकलन से ₹ 841 करोड़ अधिक था।

1.7.3.2 पेन्शन भुगतान

समग्र पेन्शन भुगतानों पर व्यय वर्ष 2014-15 के ₹ 9,629 करोड़ से 28 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 20,396 करोड़¹⁸ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, पेन्शन भुगतान पर गत वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत की वृद्धि दर, पेन्शनरों की कुल संख्या¹⁹ में 10,852 (2.7 प्रतिशत) की बढ़ोतरी के कारण अभिलेखित की गई। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर व्यय, वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल राजस्व व्यय का 12.2 प्रतिशत (वर्ष 2017-18 में 9.5 प्रतिशत) था।

चौदहवें वित्त आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस में किये गये अनुमान/आंकलन के साथ वास्तविक पेन्शन भुगतान का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि वास्तविक पेन्शन भुगतान (₹ 20,396 करोड़) चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक आंकलन (₹ 13,233 करोड़) से 64.8 प्रतिशत अधिक रहा तथा एमटीएफपीएस में राज्य सरकार द्वारा किये गये आंकलन (₹ 19,712 करोड़) से मामूली रूप से 3.5 प्रतिशत अधिक रहा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ष 2018-19 के दौरान, एकमात्र वेतन एवं पेन्शन पर किए गए भुगतान का अंश कुल राजस्व व्यय का 42.1 प्रतिशत (गत वर्ष 35.33 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों का 50.9 प्रतिशत (गत वर्ष 40.50 प्रतिशत) था।

- **नवीन अंशदायी पेंशन योजना**²⁰

राजस्थान में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे नवीन अंशदायी पेंशन योजना

¹⁸ इसमें 31 दिसम्बर 2003 या इससे पहले के भर्ती राज्य सरकार के कर्मचारियों पर "पेन्शन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ" के पेटे वर्तमान वर्ष के दौरान हुये व्यय ₹ 18,597.16 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के ₹ 1,799.10 करोड़ शामिल है।

¹⁹ पेन्शनरों की संख्या 2017-18: 4,02,444 एवं 2018-19: 4,13,296

²⁰ दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक पेंशन योजना प्रारम्भ की, जिसे राजस्थान में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है।

(एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, लागू की जा चुकी है। दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान प्रत्येक महीने देना अनिवार्य है तथा इसके लिए सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान दिया जाना है। अंशदान विवरण तथा निर्दिष्ट राशियों को नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट द्वारा नियुक्त निधि प्रबंधकों को हस्तान्तरित किया जाना है।

राजस्थान सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूपित नवीन पेंशन योजना आर्किटेक्चर को नामित किया तथा 09 नवम्बर 2010 को एनएसडीएल के साथ एवं 02 दिसम्बर 2010 को नवीन पेंशन योजना ट्रस्ट के साथ समझौता किया। अंशदान विवरण तथा निर्दिष्ट राशियों को नवम्बर 2011 से एनएसडीएल तथा ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरित किया जा रहा है। नवम्बर 2011 से पहले, पेंशन लेखे में कर्मचारियों के अंशदान एवं सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान (वर्ष 2011-12 तक सम्बन्धित वेतन शीर्ष खाते से) को सम्बन्धित कोषागार अधिकारियों द्वारा संधारित ब्याज सहित निजी निक्षेप (पीडी) खाते में बजट शीर्ष 8011-106-103-01 में जमा किया जा रहा था, जिसे लीगेसी राशि भी कहा जाता है।

निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि (एसआईपीएफ), द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 31 अक्टूबर 2011 को ₹ 1,393.92 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 620.34 करोड़, नियोक्ता अंशदान ₹ 620.34 करोड़ तथा ब्याज ₹ 153.24 करोड़) की लीगेसी राशि²¹ पीडी खाते में पड़ी हुई थी। एनएसडीएल को लीगेसी राशि के हस्तान्तरण का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: एनएसडीएल को हस्तान्तरित लीगेसी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लीगेसी राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हस्तान्तरित की गई कुल राशि	अहस्तान्तरित लीगेसी राशि	लीगेसी राशि शेष पर ब्याज	हस्तान्तरण योग्य शेष लीगेसी राशि
31/10/2011 तक	1,393.92	0.00	1,393.92	0.00	1,393.92
01/11/2011 से 31/03/2012	1,393.92	0.00	1,393.92	97.41	1,491.33
2012-13	1,491.33	613.58	877.75	56.20	933.95
2013-14	933.95	363.97	569.98	60.00	629.98
2014-15	629.98	297.31	332.67	37.09	369.76
2015-16	369.76	131.66	238.10	34.97	273.07
2016-17	273.07	161.70	111.37	9.46	120.83
2017-18	120.83	65.04	55.79	7.34	63.13
2018-19	63.13	20.72	42.41	4.02	46.43

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च 2019 को, लीगेसी राशि के पेटे ₹ 46.43 करोड़ की शेष राशि एनएसडीएल को हस्तान्तरण के लिए लम्बित है। इसके अलावा, यह पाया गया कि जावक एवं आवक प्रविष्टियों के मिलान नहीं

²¹ 1 जनवरी 2004 से 31 अक्टूबर 2011 की अवधि के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों का अंशदान।

होने के कारण नौ जिला कोषागार कार्यालयों²² में राशि ₹ 7.33 करोड़ के ऋणात्मक शेष थे और जिनके मिलान करने की आवश्यकता है।

निदेशालय, एसआईपीएफ ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि 01 अक्टूबर 2019 को, पी.आर.ए.एन. संख्या के मेल न खाने, कटौती विवरणों की अनुपलब्धता आदि समाशोधन मुद्दों के कारण ₹ 40.65 करोड़ की लीगेसी राशि हस्तान्तरण के लिए लम्बित है।

नवम्बर 2011 से, राजस्थान सरकार अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों के अंशदान के लिए मुख्य शीर्ष 8342-117 तथा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के अंशदान के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8011-106 संचालित करती है। एसआईपीएफ विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2012 से कर्मचारियों के अंशदान को सम्बन्धित शीर्ष में हस्तान्तरित किया जा रहा है तथा सरकार के अंशदान को मुख्य शीर्ष 2071-01-117-01-89 से आहरित कर आगे एनएसडीएल एवं एनपीएस ट्रस्ट को हस्तान्तरण के लिए दिया जा रहा है।

यह देखा गया कि मार्च 2019 तक कर्मचारियों की अंशदान राशि ₹ 105.75 करोड़ एनएसडीएल को हस्तान्तरण करने के लिए लम्बित है। विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2019) कि एनपीएस में नियमित अंशदान का हस्तान्तरण प्रक्रियागत मुद्दों के कारण लम्बित है।

इस प्रकार, राशि ₹ 257.93 करोड़ (लीगेसी राशि ₹ 46.43 करोड़, कर्मचारियों का अंशदान: ₹ 105.75 करोड़ तथा नियोक्ता का समतुल्य सह-अंशदान: ₹ 105.75 करोड़) मार्च 2019 तक एनएसडीएल को हस्तान्तरण करने के लिए लम्बित थी।

वर्तमान दायित्व आगामी वर्षों के लिए स्थगित किये गये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा एनएसडीएल को हस्तांतरित नहीं की गई राशि पर ब्याज का दायित्व निर्मित कर लिया गया। सरकार ने अपने कर्मचारियों से संबंधित निधियों का अनुचित रूप से उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को प्रतिलाभ दर में/सरकार को परिहार्य वित्तीय दायित्व म. संभावित अनिश्चितता तथा अंततोगत्वा योजना की विफलता हो सकती है ।

सिफारिश 6:

राज्य सरकार को सम्बन्धित एनपीएस लाभार्थियों की पहचान कर एनपीएस की शेष लीगेसी राशि एनएसडीएल को हस्तान्तरित कर देनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना के तहत लाभार्थियों को उनके उचित लाभों से वंचित नहीं किया गया है।

²² सवाई माधोपुर: ₹ 2.58 लाख, बूंदी: ₹ 12.19 लाख, कोटा: ₹ 25.45 लाख, झुंझुनु: ₹ 48.33 लाख, झालावाड़: ₹ 58.56 लाख, उदयपुर शहर: ₹ 76.35 लाख, भीलवाड़ा: ₹ 106.46 लाख, अलवर: ₹ 117.53 लाख तथा करौली: ₹ 285.07 लाख।

1.7.3.3 ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ वर्ष 2014-15 के ₹ 10,463 करोड़ से 27 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 21,695 करोड़ हो गई। ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष (₹ 19,720 करोड़) की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान (₹ 21,695 करोड़) 10 प्रतिशत बढ़ी जो मुख्यतः आन्तरिक ऋण में ₹ 26,822 करोड़ एवं अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि के कोष में ₹ 3,758 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात, राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का अनुपात वर्ष के दौरान 15.7 प्रतिशत रहा, जो कि गत वर्ष (15.5 प्रतिशत) से मामूली रूप से अधिक रहा।

वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज अदायगियाँ (₹ 21,695 करोड़) एमटीएफपीएस (₹ 21,413 करोड़) एवं चौदहवें वित्त आयोग (₹ 17,363 करोड़) में किये गये आंकलनों से भी अधिक रही।

1.7.3.4 अर्थ-सहाय्य

एक कल्याणकारी राज्य में समाज के साधनहीन वर्गों को अर्थ-सहाय्य प्रदान किया जाता है। वित्त लेखे का परिशिष्ट II दर्शाता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 21,540 करोड़ का प्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य जो कि मुख्यतः विद्युत: ₹ 21,204 करोड़ एवं फसल कृषि-कर्म: ₹ 301 करोड़ क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया। यद्यपि वर्ष 2018-19 (₹ 21,540 करोड़) के दौरान अर्थ-सहाय्यों पर भुगतान गत वर्ष (₹ 23,674 करोड़) की तुलना में 9 प्रतिशत से कम रहा, यह वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 13 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 16 प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र को प्रदान किया गया अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य का 98.8 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान, विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य मुख्यतः विद्युत शुल्क हेतु अनुदान (₹ 1,493 करोड़), विद्युत दरों में वृद्धि न करने हेतु अनुदान (₹ 7,681 करोड़) तथा उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों को सहायता (₹ 12,000 करोड़) हेतु प्रदान की गई थी। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र की अर्थ-सहाय्य वर्ष 2009-10 से 2018-19 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल अर्थ-सहाय्य के 88 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य रही (परिशिष्ट 1.10)।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य (₹ 21,204 करोड़) गत वर्ष (₹ 23,391 करोड़) की तुलना में 9.3 प्रतिशत (₹ 2,187 करोड़) से कम हुई जो मुख्य रूप से “विद्युत

दरों में वृद्धि न करने हेतु अनुदान” ₹ 1,077.82 करोड़²³ एवं “विद्युत शुल्क हेतु अनुदान” में ₹ 1,119.88 करोड़²⁴ की कमी के कारण हुई।

तथापि, फसल कृषि-कर्म में अर्थ-सहाय्य वर्ष 2017-18 के ₹ 251 करोड़ से 20 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 301 करोड़ हो गया।

1.7.4 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 2018-19 में, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में ₹ 34,862.21 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। गत वर्ष (₹ 34,985.10 करोड़) की तुलना में सहायता की समग्र मात्रा में सीमान्त कमी (1.77 प्रतिशत) रही जो कि मुख्य रूप से पीआरआई को सहायता में 20 प्रतिशत की कटौती के कारण हुई।

वर्ष 2014-19 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदान एवं कर्जों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता की मात्रा को तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ	2,450.65	3,063.89	3,839.93	3,695.48	3,811.13
पंचायती राज संस्थाएँ	13,833.28	15,981.85	14,472.66	18,550.27	14,834.25
योग (अ)	16,283.93	19,045.74	18,312.59	22,245.75	18,645.38
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थाएँ (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादि)	1,128.22	1,239.54	1,671.13	1,283.29	1,452.88
विकास अभिकरण	6.93	6.19	7.61	11.68	13.65
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	169.47	116.62	77.41	918.96	1,241.07
अन्य संस्थाएँ	10,740.54	11,316.72	12,823.46	10,525.42	13,509.23 ²⁵
योग (ब)	12,045.16	12,679.07	14,579.61	12,739.35	16,216.83
योग (अ+ब)	28,329.09	31,724.81	32,892.20	34,985.10	34,862.21
राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	30	30	26	24	21

स्रोत: वित्त लेखे

23 (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 234.67 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 120.01 करोड़ तथा (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 723.14 करोड़।

24 (i) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 487.23 करोड़, (ii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 332.64 करोड़ तथा (iii) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 300.01 करोड़।

25 इसमें (i) सहकारी संस्थाओं: ₹ 3,700 करोड़; (ii) शिक्षा: ₹ 2,214 करोड़; (iii) परिवार कल्याण: ₹ 1,906 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत: ₹ 1,492 करोड़; तथा (v) फसल कृषि-कर्म: ₹ 1,037 करोड़ के लिए दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार में मूलतः तीन दृष्टिकोण, यथा व्यय की पर्याप्तता (लोक सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान), दक्षता तथा प्रभावोत्पादकता (चयनित सेवाओं के लिए परिव्यय-परिणाम के सम्बन्धों का निर्धारण) शामिल होते हैं।

1.8.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत ढाँचे से सम्बन्धित व्यय की राज्य सरकारों को सौपी गयी जिम्मेदारियां मुख्यतया राज्य के विषय है। मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय को बढ़ाये। किसी एक क्षेत्र विशेष में न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात) इसे सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से नीचे कर देती है।

तालिका 1.21, वर्ष 2014-15, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में राज्य सरकार की समग्र व्यय, विकासात्मक व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.21: वर्ष 2014-15, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	समग्र व्यय/ जीएसडीपी	सामाजिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/ समग्र व्यय	विकासात्मक व्यय # / समग्र व्यय	पूँजीगत व्यय/ समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/ समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) वर्ष 2014-15	16.0	36.2	32.3	68.5	14.0	16.5	4.9
राजस्थान (अनुपात) वर्ष 2014-15	18.1	39.4	35.1	74.5	14.5	17.4	5.8
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) वर्ष 2017-18	16.1	36.7	31.2	67.9	14.4	15.5	5.1
राजस्थान (अनुपात) वर्ष 2017-18	20.1	36.1	37.7	73.8	12.3	16.2	6.0
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) वर्ष 2018-19	16.1	36.6	30.4	67.0	14.3	15.0	5.1
राजस्थान (अनुपात) वर्ष 2018-19	20.2	38.8	31.9	70.7	10.5	18.9	6.3

विकासात्मक व्यय में विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है। शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

स्रोत: (i) राजस्थान की जीएसडीपी के लिए वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना।

तालिका 1.21 निम्नानुसार इंगित करती है:

- वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य में जीएसडीपी से समग्र व्यय का अनुपात (20.2 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों (16.1 प्रतिशत) की तुलना में अधिक था।
- राज्य के समग्र व्यय से सामाजिक क्षेत्र व्यय का अनुपात, समग्र व्यय से आर्थिक क्षेत्र व्यय का अनुपात, एवं समग्र व्यय से विकासात्मक व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के समग्र व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात (10.5 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों (14.3 प्रतिशत) की तुलना में कम था।
- राज्य के समग्र व्यय से शिक्षा क्षेत्र में व्यय का अनुपात एवं समग्र व्यय से स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय का अनुपात वर्ष 2018-19 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक था।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से विकास शीर्षों पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय सुव्यवस्थीकरण के समुचित उपायों को अपनायें और कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मेरिट गुड्स²⁶ के प्रावधान पर बल दें। विकासात्मक व्यय²⁷ के लिए आवंटन में सुधार के अतिरिक्त, व्यय के उपयोग की दक्षता पूँजीगत व्यय का कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से अनुपात और विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन एवं रख रखाव पर किये जा रहे राजस्व व्यय के समानुपात द्वारा भी परिलक्षित होती है। कुल व्यय (एवं/अथवा जीएसडीपी) से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 1.22 वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के समग्र व्यय के सापेक्ष उस वर्ष के बजटीय एवं गत वर्षों के वास्तविक की तुलना में विकासात्मक व्यय की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.22: विकासात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)					
विकासात्मक व्यय के घटक (सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अ. विकासात्मक राजस्व व्यय	66,674 (59.9)	75,223 (45.6)	87,937 (56.0)	1,02,391 (61.0)	1,12,409 (59.9)
ब. विकासात्मक पूँजीगत व्यय	15,569 (14.0)	21,545 (13.1)	16,543 (10.5)	20,096 (12.0)	19,050 (10.2)
स. विकासात्मक कर्जे एवं अग्रिम	701 (0.6)	36,602 (22.2)	12,965 (8.3)	1,334 (0.8)	1,113 (0.6)

²⁶ शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

²⁷ शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

विकासात्मक व्यय के घटक (सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
विकासात्मक व्यय (अ से स) (विकासात्मक व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में)	82,944 (74.5)	1,33,370 (80.9)	1,17,445 (74.8)	1,23,821 (73.8)	1,32,572 (70.7)
गत वर्ष से विकासात्मक व्यय की वृद्धि दर	25.6	60.8	(-) 11.9	5.4	7.1

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट प्रपत्र

विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम शामिल हैं। इसकी कुल व्यय से प्रतिशतता, वर्ष 2014-15 के 74.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 70.5 प्रतिशत हो गयी।

तालिका 1.23, चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 1.23: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	2017-18			2018-19		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय से अनुपात	राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी	संचालन एवं अनुरक्षण
(अ) सामाजिक सेवायें						
सामान्य शिक्षा	1.70	77.48	0.01	2.30	80.26	0.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.57	52.18	0.12	4.21	60.00	0.12
जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	43.32	19.85	0.97	40.50	23.24	1.51
योग (अ)	11.98	51.85	0.37	9.52	56.43	0.24
(ब) आर्थिक सेवायें						
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	7.10	33.54	0.57	4.62	25.20	0.22
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	51.55	20.71	8.08	58.69	29.92	7.90
विद्युत एवं ऊर्जा	14.31	0.01	-	15.77	0.01	-
परिवहन	67.58	5.95	24.49	69.50	8.35	19.19
योग (ब)	20.70	5.46	1.49	20.62	7.00	1.09
कुल योग (अ+ब)	16.41*	29.50	0.91	14.49*	35.88	0.59

स्रोत: वित्त लेखे

* (सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय + आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय)/कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत व्यय) * 100)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय का अंश वर्ष 2017-18 में 29.50 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 35.88 प्रतिशत हो गया।

- कुल व्यय से पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2017-18 में 16.41 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 14.49 प्रतिशत रह गया।
- राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर संचालन एवं अनुरक्षण का अंश वर्ष 2017-18 में 0.91 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2018-19 में 0.59 प्रतिशत रह गया।

सिफारिश 7:

राज्य सरकार को व्यय की दक्षता में सुधार करने और भविष्य में राजस्व सृजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए, कुल व्यय से पूँजीगत व्यय के अनुपात में सुधार करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1.8.3 केन्द्रीय सहायता योजनाएँ

राज्य सरकार के बजट 2018-19 के अनुसार, राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत 68 योजनाएँ विद्यमान हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान इन 68 योजनाओं के अन्तर्गत बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति को तालिका 1.24 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.24: केन्द्रीय सहायता

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं/ कार्यक्रमों की संख्या	राज्य के लिए बजट प्रावधान	राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा जारी राशि	व्यय
68	31,393.18	18,772.96	12,730.27	27,394.06

राज्य के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत उनके बजट आवंटन (केन्द्रीय एवं राज्य के हिस्से सहित) के विरुद्ध किये गये व्यय का विश्लेषण किया गया।

उपरोक्त 68 योजनाओं में से, निम्नलिखित सात प्रमुख योजनाओं में बजट प्रावधान के समक्ष व्यय में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी रही, जैसा कि तालिका 1.25 में दिया गया है।

तालिका 1.25: केन्द्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय में कमी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	कुल व्यय	व्यय में कमी	कमी (प्रतिशत में)
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	500.00	201.17	-298.83	60
2	निर्मल भारत अभियान (एनबीए)	2,397.96	720.42	-1,677.54	70
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	3,186.16	2,224.45	-961.71	30
4	एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	560.85	350.61	-210.24	37

क्र. सं.	कार्यक्रमों/योजनाओं के नाम	बजट प्रावधान	कुल व्यय	व्यय में कमी	कमी (प्रतिशत में)
5	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	448.96	144.90	-304.06	68
6	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	794.98	426.19	-368.79	46
7	प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना	333.39	148.53	-184.86	55
	योग	8,222.30	4,216.27	-4,006.03	49

प्रमुख योजनाओं में समुचित निधियों का उपयोग न केवल योजनाओं के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सम्बन्धित विभाग की विफलता को दर्शाता है, बल्कि योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को उनके लाभ से भी वंचित करता है।

1.9 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

एफआरबीएम फ्रेमवर्क के बाद, राज्य से अपने राजकोषीय घाटे को निर्धारित स्तरों पर रखने के साथ अपने पूँजीगत व्यय/निवेश (कर्जे तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके साथ ही, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के संक्रमण हेतु, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करने एवं उधार लिए गए कोषों की लागत को, अपने बजट में अप्रत्यक्ष अर्थ-सहाय्य के रूप में दिखाने के स्थान पर वसूल करने के उपाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित उपाय करने की आवश्यकता होती है। यह भाग गत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश तथा अन्य पूँजीगत व्यय के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है।

1.9.1 पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम

छ: मुख्य²⁸ एवं 11 मध्यम²⁹ पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों से प्रकट हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान इन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व (₹ 77.98 करोड़) पूँजीगत व्यय (₹ 7,541.44 करोड़) का मात्र 1.03 प्रतिशत था। यह प्रत्यक्ष कार्यचालन व्ययों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं था। कार्यचालन एवं अनुरक्षण व्यय (₹ 238.50 करोड़) तथा ब्याज प्रभार (₹ 535.08 करोड़) को पूरा करने के पश्चात्, परियोजनाओं को ₹ 695.60 करोड़ की निवल हानि हुई।

²⁸ (i) भोंखड़ा नांगल परियोजना; (ii) चम्बल परियोजना; (iii) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना; (iv) गुड़गांव नहर; (v) जाखम परियोजना तथा (vi) गंग नहर।

²⁹ (i) जवाई नदी परियोजना सेई विपथन योजना; (ii) मेजा परियोजना; (iii) पार्वती परियोजना; (iv) गुढ़ा परियोजना; (v) मोरेल परियोजना; (vi) अलनिया परियोजना; (vii) पश्चिमी बनास परियोजना; (viii) बल्लभ नगर परियोजना; (ix) बढगाँव पाल परियोजना; (x) औरई सिंचाई परियोजना तथा (xi) वैगन विपथन योजना।

1.9.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.26 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.26: अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की कुल संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की मूल स्वीकृति लागत	43 परियोजनाओं जिन्हें संशोधित किया गया, की मूल अनुमानित लागत		43 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	43 संशोधित परियोजनाओं की लागत वृद्धि	31 मार्च 2019 को सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर संचित वास्तविक व्यय
			संख्या	राशि			
जल संसाधन विभाग	77	8,403.00	25	3,849.77	13,027.62	9,177.85	7,508.74
सार्वजनिक निर्माण विभाग	128	4,632.00	3	78.31	128.94	50.63	2,110.90
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	74	22,038.61	15	5,763.12	9,044.37	3,281.25	16,789.32
योग	279	35,073.61	43	9691.20	22,200.93	12,509.73	26,408.96

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2019 को 279 अपूर्ण परियोजनाएँ (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थी, जिन पर ₹ 26,409 करोड़ की राशि का व्यय किया हुआ था। 279 परियोजनाओं में से 43 परियोजनाओं³⁰ में ₹ 12,510 करोड़ (129 प्रतिशत) की लागत वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 88 परियोजनाएँ (₹ 21,181.93 करोड़) विगत 5 से 25 वर्षों से अपूर्ण थीं।

सभी अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 26,408.96 करोड़ का व्यय किया गया था जो कि राज्य के कुल संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 1,88,108.83 करोड़) का 14 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के दौरान 28 परियोजनाओं (जल संसाधन विभाग: 08, सार्वजनिक निर्माण विभाग: 19 एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग: 01) पर कोई व्यय नहीं हुआ था।

निर्धारित समय में परियोजनाओं के पूर्ण नहीं होने के कारण, समाज को सम्भावित लाभ मिलने में विलम्ब हुआ एवं गत वर्षों में परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि हुई।

³⁰ (i) जल संसाधन विभाग की परवन परियोजना की लागत ₹ 2,360.43 करोड़ से 212 प्रतिशत (₹ 4,994.80 करोड़) बढ़कर ₹ 7,355.23 करोड़ हो गई जबकि नर्मदा जालौर परियोजना की लागत ₹ 467.53 करोड़ से 568 प्रतिशत (₹ 2,656.47 करोड़) बढ़कर ₹ 3,124 करोड़ (ii) सार्वजनिक निर्माण विभाग की आरओबी श्रीमहावीरजी एल. सी. संख्या 195 डब्लूसीआर परियोजना की लागत ₹ 18.77 करोड़ से 100 प्रतिशत (₹ 18.79 करोड़) बढ़कर ₹ 37.56 करोड़ तथा (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की आपनी योजना फेज II परियोजना की लागत ₹ 362.22 करोड़ से 168 प्रतिशत (₹ 608.99 करोड़) बढ़कर ₹ 971.21 करोड़ में महत्वपूर्ण लागत वृद्धि हुई।

1.9.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखे के विवरण संख्या 19 में सरकार के निवेश का विवरण निहित है। विवरण पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2019 को, 44 सरकारी कम्पनियों (₹ 47,715.98 करोड़), सात सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 10 संयुक्त सांझी कम्पनियों (₹ 546.37 करोड़), 23 संयुक्त पूँजी कम्पनियों (₹ 139.66 करोड़), एक साझेदारी व्यापार संस्था³¹ और सहकारी बैंकों एवं समितियों (₹ 621.35 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 49,861.39 करोड़ था। उक्त निवेश में तीन अकार्यशील सांविधिक निगमों में ₹ 19.37 करोड़ तथा तीन अकार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 0.27 करोड़ का निवेश भी शामिल है। वर्ष 2014-19 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.3 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने इनके उधारों पर 6.7 से 7.6 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज चुकाया (तालिका 1.27), जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम रहा।

उधार ली गई निधियों का ऐसे निवेशों के लिए लगातार उपयोग, जिससे पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है, भविष्य में एक अस्थिर वित्तीय स्थिति की ओर ले जायेगा।

तालिका 1.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	27,909.59	37,417.62	41,733.94	45,780.60	49,861.39
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	63.33	97.41	67.80	66.76	55.80
प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर ³² (प्रतिशत)	7.5	6.7	7.6	7.3	7.3
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अन्तर (प्रतिशत)	7.3	6.4	7.4	7.2	7.2

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार का सरकारी कम्पनियों, ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों और समितियों में निवल निवेश ₹ 4,080.79 करोड़ था। इसमें से, ₹ 3,822.30 करोड़ (94 प्रतिशत) का निवेश ₹ 95,506 करोड़ की संचित हानि वाली पाँच बिजली कम्पनियों में किया गया था। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 तक पाँच बिजली कम्पनियों में ₹ 45,265.06 करोड़ (कुल निवेश का 91 प्रतिशत) निवेश किया था।

राज्य सरकार के निवेश में 40 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में ₹ 47,711.58 करोड़ का निवेश सम्मिलित है, जिनमें से केवल आठ कम्पनियों ने ₹ 290.77 करोड़ के निवेश के समक्ष कुल ₹ 44.72 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

³¹ केवल ₹ 20,833

³² गणना की पद्धति के लिए शब्दावली पृष्ठ 178 पर देखें।

वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखे के विवरण पत्र संख्या 19 के अनुसार पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 1900-01 से 1997-98 की अवधि के मध्य दो सांविधिक निगमों, तीन सरकारी कम्पनियों, 15 संयुक्त पूँजी कम्पनियों तथा एक साझेदारी व्यापार संस्था में ₹ 5.99 करोड़ का निवेश किया था, लेकिन कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया। इन अधिकतर मामलों में, लेखाकन की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण से सभी संयुक्त पूँजी कम्पनियों की अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, इन अधिकतर इकाइयों में परिसमापन की स्थिति का भी पता नहीं लगाया जा सका है। इस स्थिति का राज्य सरकार द्वारा अंकमिलान एवं पुष्टि किया जाना आवश्यक है। इसका विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है।

- **संयुक्त पूँजी कम्पनियों में निवेश**

31 मार्च 2019 तक, राज्य सरकार ने ₹ 49,861.39 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 139.66 करोड़ (कुल निवेश का 0.3 प्रतिशत) का निवेश 23 संयुक्त पूँजी कम्पनियों में किया। राज्य सरकार के संयुक्त पूँजी कम्पनियों में किये गये निवेश में राजस्थान सड़क ढांचागत विकास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के ₹ 137.50 करोड़ (98 प्रतिशत) शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार को संयुक्त पूँजी कम्पनियों से कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, नौ संयुक्त पूँजी कम्पनियों परिसमापनाधीन हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 तक ₹ 0.23 करोड़ का निवेश किया गया था।

- **हानि के कारण पूँजी का अपक्षरण**

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, राज्य के 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (10 सहायक कंपनियों सहित) की कुल चुकता पूँजी ₹ 49,290.18 करोड़ थी जिसमें राज्य सरकार का ₹ 48,402.59 करोड़ (98.2 प्रतिशत) का निवेश शामिल था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संचित हानि ₹ 97,773.89 करोड़ (**परिशिष्ट 1.9**) थी। पूँजीगत निवेश की तुलना में संचित हानियों की उच्च मात्रा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल पूँजी पूर्णतः अपक्षरित हो गई और ₹ 48,483.71 करोड़ की नकारात्मक निवल संपत्ति में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा निवेश और संचित हानियों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 16 में यह क्षरण (₹ 64,464.69 करोड़) हुआ। विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने मुख्य रूप से निवेश के अपक्षरण में योगदान दिया। विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 45,700.40 करोड़ के पूँजी निवेश के समक्ष संचित हानि ₹ 96,597.14 करोड़ थी।

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को अकार्यशील कम्पनियों को बन्द करने के लिए मार्च 2011 तक एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश की थी। तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि सरकार ने छः अकार्यशील सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों³³ के सम्बन्ध में कोई रोडमैप तैयार नहीं किया।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 के अन्त तक चार कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 152.12 करोड़ का निवेश (राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर: ₹ 56.45 करोड़, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नगरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर: ₹ 50.00 करोड़, राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत ढाँचा लिमिटेड: ₹ 33.51 करोड़ तथा राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, जयपुर: ₹ 12.16 करोड़) ऋण एवं अंशपूँजी के रूप में किया हुआ है। तथापि, इन कंपनियों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का घोर उल्लंघन कर पिछले एक से दो वर्षों तक के अपने लेखे अंतिमीकृत नहीं किए हैं। इसलिए लेखापरीक्षा, इन कंपनियों के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रमाणीकरण के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहा।

सिफारिश 8:

राज्य स्वामित्व वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वृहद् हानियों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार को उनके कामकाज की समीक्षा करने पर विचार करना चाहिए जिससे इनकी हानियों को कम किया जा सके तथा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा सकें।

1.9.4 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से अनेक संस्थाओं/संगठनों को कर्जे तथा अग्रिम भी प्रदान कर रही है। तालिका 1.28, 31 मार्च 2019 को बकाया कर्जे तथा अग्रिम और विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज प्रप्तियों के साथ-साथ ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

तालिका 1.28: सरकार द्वारा दिए गये कर्जों पर प्राप्त औसत ब्याज

	(₹ करोड़ में)		
कर्जों की मात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधारों की लागत	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारम्भिक शेष	39,856	51,108	37,308
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	12,965	1,334	1,113
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	1,713	15,134	15,158
अन्तिम शेष	51,108	37,308	23,263

³³ (i) राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर: (₹ 19.36 करोड़), (ii) राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर: (₹ 0.65 लाख), (iii) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम, जयपुर: (₹ 0.08 लाख), (iv) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 16.75 लाख), (v) राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख) एवं (vi) राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम, जयपुर (₹ 5.00 लाख)।

कर्जों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधारों की लागत	2016-17	2017-18	2018-19
निवल वृद्धि	11,252	(-) 13,800	(-) 14,045
ब्याज प्राप्तियों	172	3,020	4,390
बकाया कर्ज तथा अग्रिम के औसत से प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों	0.4	6.8	14.5
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से ब्याज अदायगियों का प्रतिशत	7.6	7.3	7.3
ब्याज प्राप्तियों तथा ब्याज अदायगियों में अन्तर (प्रतिशत)	(-) 7.2	(-) 0.5	(+) 7.2

स्रोत: वित्त लेखे

कुल ₹ 23,263 करोड़ के कर्ज एवं अग्रिम में, विद्युत परियोजनाओं को दिये गये ₹ 18,677 करोड़ (80 प्रतिशत) के कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष के दौरान संवितरित कर्जों तथा अग्रिमों की राशि वर्ष 2017-18 के ₹ 1,334 करोड़ से कम होकर वर्ष 2018-19 में ₹ 1,113 करोड़ (आर्थिक सेवाओं: ₹ 877 करोड़ तथा सामाजिक सेवाओं: ₹ 236 करोड़) रह गयी।

वर्तमान वर्ष के दौरान ऋण का बड़ा भाग राजस्थान राज्य सहकारी विपणन महासंघ (राजफेड): ₹ 500 करोड़, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन: ₹ 185 करोड़, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड: ₹ 177 करोड़ एवं राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि: ₹ 100 करोड़, को दिया गया था। ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में, यह देखा गया है कि गत 16 या अधिक वर्षों से ₹ 67 करोड़ से अधिक के ऋण (परिशिष्ट 1.7) बकाया थे।

1.9.5 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव हेतु भारत सरकार के उर्जा मन्त्रालय ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) (नवम्बर 2015) का शुभारम्भ किया।

वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि के दौरान, डिस्कॉम की प्रसारण एवं वितरण हानियों 24 प्रतिशत से 31 प्रतिशत के मध्य रही, जिसमें प्रसारण एवं वितरण हानियों का मुख्य भाग वितरण हानियों के कारण था। मार्च 2019 तक, प्रसारण एवं वितरण हानि 26 प्रतिशत रही, जिसमें 81 प्रतिशत हिस्सा वितरण हानियों का था। इसके अतिरिक्त, पिछले दशक में डिस्कॉमों की संचयी हानियाँ बढ़कर ₹ 89,853.85 करोड़ हो गईं। वर्ष 2018-19 में शुद्ध लाभ ₹ 2,606.67 करोड़ का हुआ (परिशिष्ट 1.10)।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम की परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं विद्युत वितरण कम्पनियों अर्थात् अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया (27 जनवरी 2016)। यह योजना

राजस्थान सरकार को डिस्कॉमों के 30 सितम्बर 2015 को बकाया ऋण के 75 प्रतिशत को दो वर्षों में अधिग्रहण करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

तीनों डिस्कॉमों का बकाया ऋण 30 सितम्बर 2015 को ₹ 83,230 करोड़ था। राजस्थान सरकार ने उदय के अन्तर्गत ₹ 8,700 करोड़ अंशपूँजी निवेश के रूप में, ₹ 44,722 करोड़ ऋण तथा ₹ 9,000 करोड़ अर्थ-सहाय्य के रूप में डिस्कॉम के ₹ 62,422 करोड़³⁴ (₹ 83,230 करोड़ का 75 प्रतिशत) के ऋण को अधिग्रहित किया। राज्य सरकार द्वारा उर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया कि उदय योजना में दी गई छूट के अनुसार डिस्कॉम को दिया गया ऋण (₹ 44,722 करोड़) आगामी तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 तक अनुदान तथा अंशपूँजी में परिवर्तित किया जायेगा। तदनुसार, वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 30,000 करोड़ के ऋण को ₹ 6,000 करोड़ अंशपूँजी तथा ₹ 24,000 करोड़ को अर्थ-सहाय्य में परिवर्तित कर दिया, इस प्रकार, बकाया ऋण की राशि ₹ 14,721.96 करोड़ शेष रही। विवरण तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29: उदय के अन्तर्गत अंशपूँजी/ऋण/ अर्थ-सहाय्य की स्थिति

वर्ष	अंशपूँजी निवेश	ऋण	अर्थ-सहाय्य	योग
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
Total	8,700.00	44,721.96	9,000.00	62,421.96
2017-18	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2018-19	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
31-03-2019 को स्थिति	14,700.00 (23.55%)	14,721.96 (23.58%)	33,000.00 (52.87%)	62,421.96

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि मार्च 2019 तक उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम के ऋण को अधिग्रहण करते हुए राजस्थान सरकार ने ₹ 14,700 करोड़ का निवेश अंशपूँजी के रूप में, ₹ 14,722 करोड़ ऋण के रूप में तथा ₹ 33,000 करोड़ का अर्थ-सहाय्य इन तीन डिस्कॉमों को प्रदान किया। उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम के ऋण के अधिग्रहण हेतु राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान ₹ 62,422 करोड़ (2015-16 के दौरान ₹ 40,050 करोड़ एवं 2016-17 के दौरान ₹ 22,372 करोड़) की निधियाँ जुटाईं। मार्च 2019 के अन्त तक उदय के अन्तर्गत गैर वैधानिक तरलता अनुपात बॉण्ड तथा जब्ती बॉण्ड के रूप में राज्य की बकाया उधारी ₹ 51,636 करोड़ थी।

1.9.6 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है जो आधारभूत विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए ढाँचा

³⁴ वर्ष 2015-16 के दौरान: ₹ 40,050 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 22,372 करोड़।

प्रदान करती है। पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना (जुलाई 2007) राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में की गई थी। यह निजी जन सहभागिता के लिए राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय एवं अनुरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एवं राज्य में पीपीपी से संबंधित सभी सूचनाओं के भण्डार के रूप में कार्य करता है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (जून 2019) के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक ₹ 14,706.46 करोड़ की 175 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं एवं ₹ 4,906.00 करोड़ की 45 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित ₹ 24,825.05 करोड़ की 95 परियोजनाएँ भविष्य के लिये विचाराधीन हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिशील एवं भविष्य में लिये जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है:

तालिका 1.30: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण हो चुकी		प्रगतिशील		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	63	6,300.10	12	2,878.64	67	9,029.77
2.	शहरी आधारभूत संरचना	22	402.94	13	646.37	15	12,843.55
3.	विद्युत	11	7,097.90	8	1,310.92	1	20.00
4.	जल	1	46.00	-	-	2	2,165.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	62	645.14	11	46.41	7	298.43
7.	अन्य	15	160.37	1	23.66	3	468.30
	योग	175	14,706.46	45	4,906.00	95	24,825.05

वर्ष 2018-19 के बजट दस्तावेजों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं में गत वर्ष में किये गये निवेश से सम्बंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व का बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना संभव नहीं था। वर्तमान वर्ष के दस्तावेजों में भी राज्य सरकार से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं के सम्बन्ध में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किये जाने वाले अनुमानित निवेश का पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

1.10 परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को आवश्यक रूप से समाहित करते हैं। 31 मार्च 2018 की

सहप्रत्यक्षी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.5** में प्रस्तुत किया गया है। इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक कर्जे, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष समाविष्ट हैं।

एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अधिप्रायः राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधायी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

1.10.1 परिसम्पत्तियों और देयताओं का संयोजन एवं वृद्धि

परिसम्पत्तियों और देयताओं के घटकों की वृद्धि दर का सार तालिका 1.31 में दिया गया है।

तालिका 1.31: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देयताएँ			परिसम्पत्तियाँ				
		2017-18	2018-19	वृद्धि प्रतिशत			2017-18	2018-19	वृद्धि प्रतिशत
समेकित निधि		2,12,306.86	2,33,238.88	9.9	समेकित निधि		2,05,798.57	2,11,371.32	2.7
अ	आन्तरिक ऋण	2,00,243.86	2,19,311.48	9.5	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,68,490.76	1,88,108.83	11.6
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	12,063.00	13,927.40	15.5	ब	ऋण एवं अग्रिम	37,307.81	23,262.49	(-) 37.6
आकस्मिकता निधि		500.00	500.00	-					
लोक लेखा		71,841.90	81,846.96	13.9	लोक लेखा		164.51	211.91	28.8
अ	अल्प बचते, भविष्य निधियाँ, आदि	42,095.22	47,478.08	12.8	अ	अग्रिम	3.21	3.21	-
ब	जमाये	24,762.22	28,817.51	16.4	ब	प्रेषण	11.47	2.05	(-) 82.1
स	आरक्षित निधियाँ	4,984.46	5,551.37	11.4	स	उच्चत तथा विविध	149.83	206.65	37.9
द	प्रेषण	-	-	-		नकद शेष (चिन्हित निधियों में निवेश सहित)	9,376.99	5,793.75	(-) 38.2
						योग	2,15,340.07	2,17,376.98	0.9
						राजस्व लेखे में घाटा	69,308.69	98,208.86	41.7
योग		2,84,648.76	3,15,585.84	10.9	योग		2,84,648.76	3,15,585.84	10.9

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, परिसम्पत्तियाँ 0.9 प्रतिशत बढ़ी, जबकि देयताएँ गत वर्ष की तुलना में 10.9 प्रतिशत बढ़ी।

1.10.2 राजकोषीय देयताएँ

जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.32 में दर्शायी गयी है:


तालिका 1.32: राजकोषीय देयताएँ-मूलभूत मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय देयताएँ	1,47,609	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374
वृद्धि दर	13.6	41.9	21.8	10.3	10.7
जनसंख्या (करोड़ में)	7.20	7.29	7.39	7.49	7.58
प्रति व्यक्ति ऋण (₹ में)	20,501	28,722	34,504	37,541	41,078
राजकोषीय देयताएँ प्रतिशतता के रूप में					
जीएसडीपी से	24.0	30.7	33.6	33.6	33.5
राजस्व प्राप्तियों से	161.6	208.8	233.9	220.9	225.8
स्व-संसाधनों से	284.4	390.3	455.5	423.9	409.8

स्रोत: वित्त लेखे

गत वर्ष के समक्ष चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं के संघटकों को संचित्र 1.9 तथा संचित्र 1.10 म. प्रस्तुत किया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, आन्तरिक ऋण में 10 प्रतिशत (₹ 19,068 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 13 प्रतिशत (₹ 9,260 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में 15 प्रतिशत (₹ 1,864 करोड़) की वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयताएँ गत वर्ष की तुलना म. 11 प्रतिशत (₹ 30,192 करोड़) बढ़ गई।

31 मार्च 2019 को विद्यमान राजकोषीय देयताय. ₹ 3,11,374 करोड़ की रही, जिसमें राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण के अन्तर्गत जारी गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड के रूप में उदय के अन्तर्गत बकाया उधार राशि के ₹ 51,636 करोड़ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, यद्यपि राजकोषीय देयताओं (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (33.51 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (35.0 प्रतिशत) के भीतर था, तथापि, यह चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित सीमा (24.4 प्रतिशत) से काफी अधिक था। इसके अतिरिक्त, यह एमटीएफपीएस के लक्ष्य (32.76 प्रतिशत) जिसका राज्य सरकार ने स्वयं अनुमान लगाया, से अधिक था। इसके अलावा, राज्य सरकार की वार्षिक वृद्धिजन्य उधार³⁵ (₹ 30,192 करोड़), चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा वार्षिक उधारों के लिए निर्धारित सीमा (₹ 28,203 करोड़) से अधिक थी।

1.10.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.33, वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों में से किये गये निवेशों को दर्शाती है।

तालिका 1.33: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

	प्रारम्भिक शेष 1 अप्रैल 2018 को	अन्तिम शेष 31 मार्च 2019 को	वृद्धि/कमी (-)
(₹ करोड़ में)			
(अ) सामान्य रोकड़ शेष			
कोषालयों में रोकड़	0.05	0.05	-
रिजर्व बैंक में जमा	11.09	(-) 64.45	(-) 75.54
स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	(-) 6.51	(-) 12.32	(-) 5.81
योग	4.63	(-) 76.72	(-) 81.35
रोकड़ शेष निवेश खाते में रखे गये निवेश	6,401.72	2,154.46	(-) 4,247.26
योग (अ)	6,406.35	2,077.74	(-) 4,328.61
(ब) अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् सार्वजनिक निर्माण विभागीय अधिकारियों, वन विभागीय अधिकारियों, जिलाधिकारियों के पास रोकड़	1.03	0.87	(-) 0.16
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	2.90	2.86	(-) 0.04
चिन्हित निधियों में निवेश	2,966.71	3,712.28	745.57
योग (ब)	2,970.64	3,716.01	745.37
कुल योग (अ)+(ब)	9,376.99	5,793.75	(-) 3,583.24

स्रोत: वित्त लेखे

वर्तमान वर्ष के अन्त में राज्य सरकार का रोकड़ शेष ₹ 5,794 करोड़ था। यह गत वर्ष की तुलना में ₹ 3,583 करोड़ (38.2 प्रतिशत) कम हुआ है।

³⁵ इसम. खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित केन्द्रीय सरकार से ऋण, राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, अल्प बचत के अन्तर्गत लोक लेखे से अन्तरण से उत्पन्न अन्य देयताएँ, प्रावधानी निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएँ इत्यादि शामिल है।

• रोकड़ शेषों का निवेश

तेरहवें वित्त आयोग के साथ ही साथ चौदहवें वित्त आयोग ने सुझाया कि वृहद रोकड़ शेषों वाले राज्यों को नये उधार लेने से पूर्व अपने विद्यमान नकद शेषों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिये था। एक स्तर से अधिक रोकड़ संचयन अकुशल प्रबंधन का द्योतक है, क्योंकि इससे ऋण एवं परिहार्य ब्याज दायित्व का भार बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस तथ्य को दोहराया है एवं राज्यों को सलाह दी है कि अपने रोकड़ शेषों का अधिक कुशलता से प्रबंधन करें।

नकद शेषों³⁶, लिये गये बाजार ऋणों एवं बजटीय व्यय की वर्षवार स्थिति तालिका 1.34 म. दी गई है।

तालिका 1.34: नकद शेषों, बाजार ऋणों और बजटीय व्ययों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1 अप्रैल को नकद शेष	10,446.44	8,949.28	8,397.27	8,112.46	9,376.99
31 मार्च को नकद शेष	8,949.28	8,397.27	8,112.46	9,376.99	5,793.75
भारत सरकार के कोषालय बिलों/ प्रत्याभूतियों में निवेशित नकद शेष	7,628.42	5,915.95	5,585.10	6,401.72	2,154.46
लिये गये बाजार ऋण	12,300	15,800	16,054	24,914	33,178
कुल बजटीय व्यय	1,26,470	1,32,883	1,66,541	1,70,073	1,95,439
मासिक औसत बजटीय व्यय	10,539	11,074	13,878	14,173	16,287

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

राज्य सरकार के अधिशेष रोकड़ शेष पाँच प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिवसीय कोषालय बिलों में स्वतः ही निवेशित हो जाते हैं एवं आंशिक रूप से 91, 181 एवं 364 दिवसीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के नीलामी वाले कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2018-19 के अंत तक, ₹ 2,154.46 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 281.20 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया। इसके अलावा, ₹ 3,712.28 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

राज्य सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिम लिए बिना या ओवरड्राफ्ट स्थिति के बिना सकारात्मक नकदी संतुलन बनाए रखा।

1.10.4 आरक्षित निधियाँ

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियाँ राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखे) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ राज्य की समेकित निधि या बाह्य

³⁶ इसमें कोषालयों में रोकड़, रिजर्व बैंक में जमा, स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण, विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़, स्थायी अग्रिम, नगद शेषों से निवेश तथा चिन्हित निधियों से निवेश सम्मिलित है।

एजेन्सियों से प्राप्त अंशदान अथवा अनुदान द्वारा बनाई जाती है। इन निधियों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ। राज्य की समेकित निधि के संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर ये निधियाँ बनाई जाती हैं। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2019 को, ब्याज वाली ₹ 738.24 करोड़ की तीन निधियों सहित लोक लेखे में राशि ₹ 5,551.37 करोड़³⁷ की 26 आरक्षित निधियाँ थी।

• **संचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की 22 संचालित आरक्षित निधियों में ₹ 4,150.19 करोड़ जमा किये गये थे जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,103.68 करोड़³⁸), गारन्टी मोचन निधि (₹ 713.48 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 260.34 करोड़), अन्य विकास एवं कल्याण निधि (₹ 809.35 करोड़) तथा पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि (₹ 261.00 करोड़) शामिल थी।

• **असंचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे के अनुसार, चार आरक्षित निधियाँ (₹ 4.24 करोड़) पाँच वर्षों से अधिक समय से असंचालित थी। यद्यपि, राज्य बजट नियमावली में असंचालित आरक्षित निधि को बन्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। इनमें से एक निधि³⁹ (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली तथा शेष तीन निधियाँ⁴⁰ (₹ 4.04 करोड़) बिना ब्याज वाली थी।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2019 को ब्याज वाली ₹ 67.48 करोड़ की दो निधियों (एक संचालित: ₹ 67.28 करोड़ तथा एक असंचालित: ₹ 0.20 करोड़) पर ₹ 5.06 करोड़ के ब्याज भुगतान (परम्परागत रूप से अनुमानित 7.5 प्रतिशत, मार्गोपाय

³⁷ इसमें (अ) ब्याज वाली (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 670.76 करोड़; (ii) द्वारा आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल निर्माण कार्य: ₹ 67.28 करोड़ तथा (ब) बिना ब्याज वाली (i) गारन्टी मोचन निधि: ₹ 4,080.16 करोड़; (ii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.88 करोड़; (iii) राजस्थान परिवहन आधारभूत अवसंरचना विकास निधि: ₹ 150.24 करोड़; (iv) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि: ₹ 142.55 करोड़; (v) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधि: ₹ 117.35 करोड़ तथा (vi) जल संरक्षण उपकर निधि: ₹ 53.64 करोड़ शामिल थे।

³⁸ इसमें एनडीआरएफ के ₹ 832.26 करोड़ (वर्ष 2017-18 के ₹ 306.12 करोड़ सहित) शामिल थे।

³⁹ झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख।

⁴⁰ (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से सघन प्रजनन तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख एवं (iii) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 402.08 लाख।

अग्रिम की औसत ब्याज दर) की आवश्यकता थी। यद्यपि, यह देखा गया है कि राशि को जमा नहीं किया गया था।

इन संचालित आरक्षित निधियों में से कुछ का विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है:

1.10.4.1 राज्य आपदा मोचन निधि

विद्यमान आपदा सहायता निधि को प्रतिस्थापित करते हुए दिनांक 1 अप्रैल 2010 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) संस्थापित की गयी। चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि निधि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 प्रतिशत के अनुपात में वार्षिक अंशदान दिया जाना था। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,277 करोड़ (₹ 957.75 करोड़ केन्द्रीय अंशदान तथा ₹ 319.25 करोड़ राज्यांश) राज्य आपदा मोचन निधि को हस्तान्तरित करना था। तथापि, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को पूरी राशि हस्तान्तरित कर दी गई, इसमें से राज्य आपदा मोचन निधि को केवल ₹ 1,181.22 करोड़ (केन्द्रीय अंशदान: ₹ 861.97 करोड़ तथा राज्यांश: ₹ 319.25 करोड़) की राशि हस्तान्तरित हुई, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय अंशदान ₹ 95.78 करोड़ का कम हस्तान्तरण हुआ।

राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान, गत वर्ष की बकाया राशि ₹ 306.12 करोड़ सहित भारत सरकार से प्राप्त ₹ 526.14 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि भी राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) को हस्तान्तरित की। आपदा राहत कार्यों के लिये किये गये व्यय ₹ 1,516.19 करोड़ के बाद 31 मार्च 2019 को एसडीआरएफ में निवल शेष (राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि सहित) ₹ 670.76 करोड़ था।

राज्य आपदा मोचन निधि के प्रशासन के लिए दिशा निर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि की वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों, नीलामी वाले कोषालय बिलों तथा ब्याज अर्जित जमाओं एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधिक जमाओं में निवेश किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के केवल एक भाग को ट्रेजरी बिलों में निवेशित किया तथा शेष राशि को अपने उपयोग के लिए रखा।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ट्रेजरी बिलों में निधि की अप्रयुक्त राशि का निवेश करके ब्याज के रूप में ₹ 10.36 करोड़ अर्जित किए। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए गैर-निवेशित राशि पर ₹ 31.75 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 के लिए गैर-निवेशित राशि पर छमाही ब्याज के रूप में ₹ 16.59 करोड़ भुगतान किया। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान, अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के लिए गैर-निवेशित राशि पर ब्याज जमा नहीं किया।

1.10.4.2 राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि

राजस्थान सरकार ने राज्य सड़कों के विकास एवं राज्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2004 में जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि का गठन किया था। अधिनियम में मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल एवं उच्च गति डीजल तेल के रूप में जाना जाता है) के विक्रय पर उपकर लगाने तथा संग्रह करने का प्रावधान है। दिनांक 15 जनवरी 2016 से उपकर की प्रभावी दर ₹ 1.75 प्रति लीटर है। इस निधि का गठन एक गैर ब्याज वाले आरक्षित निधि के रूप में लोक लेखे में किया गया तथा इसे राज्य सरकार के लेखों में शीर्ष 8225-101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि के अर्न्तगत वर्गीकृत किया गया।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकर के संग्रहण एवं राज्य सड़क एवं सेतु निधि में हस्तान्तरण की स्थिति तालिका 1.35 में दी गई है।

तालिका 1.35: उपकर के संग्रहण एवं निधि में हस्तान्तरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तान्तरित राशि का प्रारम्भिक शेष	उपकर संग्रहण	योग (3+4)	निधि को हस्तान्तरित	अहस्तान्तरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014-15	208.31	407.01	615.32	280.00	335.32
2	2015-16	335.32	951.75	1,287.07	572.74	714.33
3	2016-17	714.33	1,311.78	2,026.11	0	2,026.11
4	2017-18	2,026.11	1,394.37	3,420.48	425.00	2,995.48
5	2018-19	2,995.48	1,409.62	4,405.10	260.34	4,144.76
	योग		5,474.53		1,538.08	

यह देखा गया कि संग्रहित उपकर की राशि को इनमें से किसी भी वर्ष में पूरी तरह से निधि में हस्तान्तरित नहीं किया गया। वर्ष 2014-19 के दौरान, कुल संग्रहित उपकर ₹ 5,474.53 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 1,538.08 करोड़ (28.1 प्रतिशत) की राशि निधि में हस्तान्तरित की गई थी।

तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,409.62 करोड़ में से राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में मार्च 2019 तक ₹ 1,149.28 करोड़ की राशि राज्य की संचित निधि में से हस्तान्तरित करने के लिए लम्बित रही।

1.10.4.3 राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 3(ब) के अनुसार राज्य सरकार ने गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए 08 मार्च 2016 से अधिभार का प्रस्ताव किया था। इसके अतिरिक्त, गोपालन विभाग, राजस्थान सरकार ने नवम्बर 2016 में “राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि” का गठन किया तथा इस निधि के प्रशासन हेतु “राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि”

नियम, 2016 जारी किये गये। इस निधि का मुख्य उद्देश्य गायों की सुरक्षा एवं विकास तथा गौशालाओं तथा कांजी हाउस के लिये स्थायी प्रकृति की परिसम्पत्तियों का निर्माण करना था।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राजस्थान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार मूल्य वर्धित कर पर अधिभार लागू किया था, जिसका उपयोग गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से किया जाएगा। इन नियमों के अनुसार, अधिनियम के तहत संग्रहित अधिभार को निधि में हस्तान्तरित किया जाएगा। इस निधि में से, गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक व्यय के लिए एक प्रतिशत राशि खर्च की जा सकती है।

राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि के लिए संग्रहित अधिभार तथा निधि में हस्तान्तरण की वर्षवार स्थिति तालिका 1.36 में दी गई है।

तालिका 1.36: निधि में अधिभार के संग्रहण/हस्तान्तरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अहस्तान्तरित राशि का प्रारम्भिक शेष	अधिभार की प्राप्तियाँ	योग (3+4)	निधि को हस्तान्तरित राशि	अहस्तान्तरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2015-16	-	13.16	13.16	-	13.16
2	2016-17	13.16	138.45	151.61	103.84	47.77
3	2017-18	47.77	257.98	305.75	173.68	132.07
4	2018-19*	132.07	536.25	668.32	261.00	407.32

* वैंट पर अधिभार की प्राप्तियों सहित।

तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 536.25 करोड़ में से ₹ 275.25 करोड़ की राशि मार्च 2019 तक राज्य की संचित निधि में से राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि में हस्तान्तरित करने के लिए लम्बित रही।

विभाग ने बताया कि निधि में हस्तान्तरित राशि बजट प्रावधानों के अनुसार थी तथा विभाग की आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान किए जाते हैं। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार गत वर्ष की शेष राशि एवं वर्तमान वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों को प्रत्येक वर्ष हस्तान्तरित किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान ₹ 240.57 करोड़ की राशि राजस्थान गौ संरक्षण तथा संवर्द्धन निधि में से संचित करते हुए मार्च 2019 तक ₹ 32.18 करोड़ की राशि अव्ययित शेष रही।

1.10.4.4 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि

उपरोक्त आरक्षित निधियों के अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि का गठन किया था, जिसे निजी निक्षेप खाते (पीडी खाते) के रूप में संचालित किया जा रहा है।

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 जैसे कानून, निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने के लिए बनाए है। मंडल के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, उपकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, सभी संस्थापना चाहे केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग/संगठन अथवा अर्द्ध सरकारी संगठन या निजी संस्थाएँ भवन या अन्य निर्माण कार्य कर रहे हो, उपकर (निर्धारित दरों पर) पर लगाया गया था।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम 2009 बनाए तथा “राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि” (निधि) का गठन किया। नियमों के अनुसार, उपकर की राशि संग्रहण के 30 दिवस के भीतर निधि को हस्तान्तरित होनी चाहिए।

यद्यपि, यह देखा गया कि, मार्च 2019 तक राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि में ₹ 382.34 करोड़ की राशि राज्य की संचित निधि में से हस्तान्तरण के लिए लम्बित थी जैसा कि तालिका 1.37 में दिया गया है।

तालिका 1.37: उपकर के संग्रहण एवं निधि में हस्तान्तरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संग्रहित उपकर का प्रारम्भिक शेष	उपकर संग्रहण	योग (3+4)	मंडल को हस्तान्तरित राशि	अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2014-15	251.95	278.75	530.70	251.95	278.75
2	2015-16	278.75	322.45	601.20	278.75	322.45
3	2016-17	322.45	342.69	665.14	322.70	342.44
4	2017-18	342.44	338.60	681.04	342.69	338.35
5	2018-19	338.35	382.59	720.94	338.60	382.34

तालिका से यह स्पष्ट है कि, वर्ष 2018-19 के दौरान संग्रहित राशि ₹ 382.59 करोड़ में से, ₹ 43.99 करोड़ की राशि निधि में कम हस्तान्तरित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण निधि में मार्च 2019 तक ₹ 100.03 करोड़ की अव्ययित राशि के भारी शेष को छोड़ते हुए, राशि ₹ 302.90 करोड़ का व्यय किया गया।

विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि निधि में शेष राशि (₹ 100.03 करोड़) कोषालय में भुगतान के लिए लंबित बिलों के कारण थी।

इस प्रकार, आरक्षित निधियों की समीक्षा में, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान चार आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 1,564.30 करोड़ की राशि का कम हस्तान्तरण कर नियमों की अवहेलना की

तथा, इस प्रकार, अपनी वर्तमान वर्ष की देयता को आगामी वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है, जो राजकाशीय घाटे को समतुल्य राशि द्वारा कम दर्शाए जाने का प्रभाव रखता है।

सिफारिश 9:

राज्य सरकार को इन निधियों के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ साथ राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण सुनिश्चित करने के लिए सभी बकाया प्राप्तियों को संवैधानिक आरक्षित निधियों/जमा निधियों में हस्तान्तरण करने पर विचार करना चाहिए।

1.10.5 आकस्मिक देयताएँ

(i) प्रत्याभूतियों की स्थिति

प्रत्याभूतियाँ राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएँ हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिये प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण म. होती है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ, उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार, गत तीन वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका 1.38 म. दी गई है।

तालिका 1.38: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

	(₹ करोड़ म)			
प्रत्याभूतियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026
प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	53,620	51,119	61,761	70,430
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि (प्रतिशत में)	160.8	108.4	88.0	95.0
संचित निधि में कुल अनुमानित प्राप्तियाँ	1,34,430	1,67,405	1,77,390	2,08,306
अनुमानित प्राप्तियों के सम्बन्ध में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	39.9	30.5	34.8	33.8

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज

बकाया प्रत्याभूतियाँ, वर्ष 2017-18 में ₹ 61,761 करोड़ से 14 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018-19 म. ₹ 70,430 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,37,873 करोड़) की 51.1 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच

विद्युत् कम्पनियों (₹ 57,193 करोड़), शहरी विकास एवं आवास क्षेत्र (₹ 4,696 करोड़), एक सड़क एवं परिवहन निगम (₹ 2,758 करोड़) एवं सात सहकारी संस्थाओं (₹ 4,766 करोड़) से संबंधित थी। कर्जे/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान हेतु, बॉण्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने एवं निर्दिष्ट दरों पर ब्याज चुकाने के लिए विद्युत् कम्पनियों को प्रत्याभूतियाँ दी गई थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (33.8 प्रतिशत) एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर रहा था।

• **प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि**

राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 म. प्रत्याभूति मोचन निधि संस्थापित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबन्ध करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के पाँच प्रतिशत के इच्छित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना है। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 को ₹ 4,080.16 करोड़ का शेष था, जो कि कुल बकाया प्रत्याभूतियों (₹ 70,430 करोड़) का 5.8 प्रतिशत था। इससे अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 533.11 करोड़ की प्राप्य राशि के समक्ष ₹ 532.36 करोड़ गारन्टी कमीशन प्राप्त हुआ।

(ii) **बजट से इतर उधार**

राज्य सरकार की राजकोषीय देयताओं के अतिरिक्त, कम्पनियों/निगमों/जिला परिषदों द्वारा विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बाजार/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये उधारों जिन्हें राज्य बजट के बाहर परिलक्षित किया जाता है, की प्रत्याभूतियाँ राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं। यद्यपि, राज्य सरकार यह निर्दिष्ट करती है कि इन कार्यक्रमों के लिए जुटाई गई निधियाँ इन कम्पनियों/निगमों/जिला परिषदों द्वारा जुटाये गए संसाधनों से वहन की जाएगी, तथापि इनमें से कई संस्थानों द्वारा लिए गए उधारों का पुनर्भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जो अन्ततोगत्वा राज्य सरकार की देयताएँ हो जाती हैं। तदनुसार, इन्हें बजट से इतर उधार कहा जा सकता है।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (जून 2019) कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना (सीएमबीपीएल) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु जिला परिषदों द्वारा शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से लिए गए ऋण राशि ₹ 3,948.66 करोड़ के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्थान सरकार ने प्रारम्भिक बकाया शेष ₹ 2,372.91 करोड़ में ₹ 1.15 करोड़ की प्रत्याभूतियों की वृद्धि की और वर्ष 2018-19 के अन्त में ₹ 2,137.42 करोड़ का बकाया शेष छोड़ते हुए ₹ 236.64 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ समायोजित की।

यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा, 31 जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में ₹ 236.64 करोड़ मूलधन एवं ₹ 209.64 करोड़ ब्याज के पेटे उनके द्वारा सीएमबीपीएल आवास योजना के लिए, हुडको से लिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु हस्तान्तरित किए गए, जो यह इंगित करता है कि योजनागत व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सरकार बजट से इतर उधारों का सहारा ले रही है।

1.10.6 सरकार के उधारों का विश्लेषण

राज्य सरकार का लोक ऋण वर्ष 2014-15 के ₹ 1,00,511 करोड़ से 33 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़कर वर्ष 2018-19 म. ₹ 2,33,239 करोड़ हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान यह पिछले वर्ष से 9.9 प्रतिशत बढ़ा। विस्तृत विवरण तालिका 1.39 म. दिया गया है:

तालिका 1.39: वर्ष 2014-19 के दौरान बकाया उधार

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
(अ) आन्तरिक ऋण					
बाजार कर्ज	61,386	75,193	89,518	1,10,445	1,37,267
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	6,482	7,624	8,377	9,077	9,183
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ	20,126	20,040	18,504	16,968	15,408
अन्य संस्थानों से कर्ज	5,483	45,435*	67,886*	63,754*	57,454*
योग (अ)	93,477	1,48,292	1,84,285	2,00,244	2,19,312
(ब) केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम					
गैर-आयोजना कर्ज	44	39	34	29	24
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	6,980	8,209	11,095	12,024	13,893
अन्य योजनागत कर्ज	10	10	10	10	10
योग (ब)	7,034	8,258	11,139	12,063	13,927
कुल उधार (अ + ब)	1,00,511	1,56,550	1,95,424	2,12,307	2,33,239
वृद्धि दर	15.1	55.8	24.8	8.6	9.9
बाजार कर्ज का कुल ऋण से प्रतिशत	61	48	46	52	59

स्रोत: वित्त लेखे

* इसमें वर्ष 2015-16: ₹ 40,050 करोड़, वर्ष 2016-17: ₹ 62,422 करोड़, वर्ष 2017-18: ₹ 58,272 करोड़ एवं वर्ष 2018-19: ₹ 51,636 करोड़ उद्य के अन्तर्गत बकाया उधार सम्मिलित थे।

वर्ष 2015-19 की अवधि म. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण और अग्रिम तथा आन्तरिक ऋण के बकाया उधारों म. उत्तरोत्तर बढ़ती प्रदर्शित हुई। कुल उधारों से बाजार ऋण का अंश वर्ष 2017-18 के 52 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 म. 59 प्रतिशत हो गया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने- राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं प्रारम्भिक घाटा, एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त प्रबन्धन म. समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखों म. घाटा, प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन की

विवेकशीलता का एक पैमाना होती है। साथ ही, जिस प्रकार घाटे को वित्त पोषित किया जाता है तथा संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, वह इसके राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। यह भाग इन घाटों को वित्त पोषित करने की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके को दर्शाता है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत तय किये गये लक्ष्यों के समक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के आंकलन को भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्ति


घाटे की प्रवृत्तियाँ तथा जीएसडीपी के सापेक्ष इसके सूचक तालिका 1.40 में सारांशीकृत किये गये हैं:

तालिका 1.40: जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16		2016-17		2017-18	2018-19
		उदय रहित	उदय सहित	उदय रहित	उदय सहित		
राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 5,954	(-) 9,114	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900
राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+)	(-) 19,000	(-) 23,020	(-) 63,070	(-) 23,946	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473
प्राथमिक घाटा	(-) 8,537	(-) 11,012	(-) 51,062	(-) 6,269	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/ जीएसडीपी	(-) 0.5	(-) 0.9	(-) 0.9	(-) 1.2	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	(-) 3.1	(-) 3.4	(-) 9.2	(-) 3.2	(-) 6.1	(-) 3.0	(-) 3.7
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	(-) 1.4	(-) 1.6	(-) 7.5	(-) 0.8	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4
राजस्व घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	16.9	25.9	9.4	38.1	39.1	73.1	83.8
राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में	3.5	5.9	5.9	8.4	16.6	14.6	21.0
राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में	20.8	25.21	62.89	23.88	42.48	19.91	25.0


स्रोत: वित्त लेखे

संचित्र 1.11 एवं 1.12 वर्ष 2014-19 की अवधि के दौरान, घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



* उदय रहित

संचित्र 1.12: जीएसडीपी के सापेक्ष घाटे के सूचकों (उदय सहित) की प्रवृत्ति



1.11.1.1 राजस्व अधिशेष/घाटा

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अन्तर को प्रदर्शित करता है। राजस्व अधिशेष उधारों को कम करने में सहायता करता है।

राज्य सरकार वर्ष 2012-13 में राजस्व अधिशेष से वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटे वाले राज्य में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व घाटा (₹ 28,900 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 18,535 करोड़) से ₹ 10,365 करोड़ (55.9 प्रतिशत) बढ़ा। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर के समक्ष राजस्व व्यय की वृद्धि दर 14.4 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राप्त के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटे के अनुपात में वृद्धि, वर्ष 2017-18 के 14.6 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 21 प्रतिशत थी। यह राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की उत्प्लावकता में वृद्धि के कारण थी, जो राजस्व व्यय में वृद्धि की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

इस मामले की विस्तृत विवेचना अनुच्छेद 1.2.1 में की गयी है।

सिफारिश 10:

बढ़ते हुए राजकोषीय घाटे के साथ वृहत राजस्व घाटे की स्थिति (83.8 प्रतिशत) अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी उधारों पर राज्य सरकार की बढ़ती निर्भरता का द्योतक है। राज्य सरकार को प्राथमिकता से अपने राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

1.11.1.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सामान्यतः सरकार की निवल वृद्धिजन्य देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों को प्रदर्शित करता है। घाटे की पूर्ति या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखे की अधिशेष निधियों के उपयोग से की जा सकती है। मुख्य घटकों से संबंधित घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति तालिका 1.41 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.41: राजकोषीय घाटा तथा उसके मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के रूप में		
				जीएसडीपी से	गैर-ऋण प्राप्तियों से	कुल व्यय से
2014-15	92,346	1,11,346	19,000	3.09	20.6	17.1
2015-16*	1,01,757	1,64,827	63,070	9.25	62.0	38.3
2016-17*	1,10,767	1,57,085	46,318	6.10	41.8	29.5
2017-18	1,42,457	1,67,799	25,342	3.03	17.8	15.1
2018-19	1,53,051	1,87,524	34,473	3.71	22.5	18.4

स्रोत: वित्त लेखे

* इस स्थिति में उदय का प्रभाव सम्मिलित है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 के 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3.71 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, बाजार ऋण में (₹ 8,264 करोड़) वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा गत वर्ष से ₹ 9,131 करोड़ बढ़ गया।

जीएसडीपी से प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 में 3.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 3.71 प्रतिशत हो गया, जोकि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 में निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटे को नियमित रूप से एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में नियंत्रित रखने के पश्चात, वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत के लक्ष्य के अन्तर्गत रखने में असफल रही है।

1.11.1.3 राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्तपोषण का स्वरूप

तालिका 1.42, वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.42: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके मद-वार वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

		निवल संवितरण/बहिर्गमन					2018-19#		
		2013-14	2014-15	2015-16#	2016-17#	2017-18#	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
(अ) राजकोषीय घाटे की संरचना									
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	1,039	3,215	5,954	18,114	18,535	1,37,873	1,66,773	28,900
2	निवल पूँजीगत व्यय	13,654	16,088	21,961	16,952	20,607	20	19,638	19,618
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	496	(-) 303	35,155	11,252	(-) 13,800	15,158	1,113	(-) 14,045
	योग (अ)	15,189	19,000	63,070	46,318	25,342	1,53,051	1,87,524	34,473
(ब) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का ढँचा									
1	बाजार से उधार	7,175	10,002	13,807	14,325	20,927	33,178	6,356	26,822
2	भारत सरकार से कर्ज	(-) 232	286	1,224	2,881	924	2,642	778	1,864
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गयी विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 745	104	(-) 86	(-) 1,536	(-) 1,536	0	1,560	(-) 1,560
4	मार्गोपाय	-	-	-	-	-	0	0	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	4,178	2,789	41,094	23,204	(-) 3,432	2,027	8,221	(-) 6,194
6	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	2,521	2,982	3,267	3,380	3,201	12,849	7,466	5,383
7	जमा तथा अग्रिम	(-) 421	1,409	2,255	3,242	5,703	1,51,092	1,47,036	4,056
8	उचन्त एवं विविध	12	(-) 40	59	(-) 119	(-) 27	08	65	(-) 57
9	प्रेषण	(-) 6	(-) 1	(-) 20	(-) 3	10	2,429	2,420	09
10	आरक्षित निधियाँ	267	(-) 28	918	659	836	4,150	3,583	567
	योग (ब)	12,749	17,503	62,518	46,033	26,606	2,08,375	1,77,485	30,890
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+) (अ-ब)	2,440	1,497	552	285	(-) 1,264	-	-	3,583
12	समग्र घाटा (ब+11)	15,189	19,000	63,070	46,318	25,342	-	-	34,473

इस स्थिति में उदय का प्रभाव सम्मिलित है।

स्रोत: वित्त लेखे

राजकोषीय घाटा, राज्य की कुल उधारों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में, कर्ज एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को विभिन्न उधारों से पूरा करने की सीमा राजकोषीय घाटे की संरचना को प्रकट करती है।

राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग को बाजार के उधारों से निरन्तर वित्तपोषित किया जाता रहा है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इनका अंश वर्ष 2017-18 में 83 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 78 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 34,473 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार के उधार (₹ 26,822 करोड़) से की गई।

1.11.1.4 प्राथमिक घाटा

जबकि राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तब ऐसे संसाधनों के एक हिस्से की आवश्यकता ब्याज के भुगतानों के लिये हो सकती है। ब्याज भुगतान पुराने दायित्वों के व्यय को प्रदर्शित करते हैं और वर्तमान आवंटित प्राथमिकताओं से स्वतंत्र होते हैं। असंतुलन की वर्तमान प्रकृति को समझने के लिये, ऐसे भुगतानों को कुल असंतुलन से अलग करने और घटाने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक अधिशेष कायम रखा गया था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण प्राथमिक अधिशेष वर्ष 2012-13 में प्राथमिक घाटे में परिवर्तित

हो गया। प्राथमिक घाटा वर्ष 2017-18 में ₹ 5,622 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 12,778 करोड़ हो गया।

1.11.2 ऋण रूपरेखा

राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के अनुपात के रूप में वर्ष 2014-15 में 3.1 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 में 9.2 प्रतिशत था। यह वर्ष 2018-19 में घटकर 3.7 प्रतिशत रह गया। तथापि राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान कभी भी राजस्व अधिशेष या प्राथमिक अधिशेष को दर्ज नहीं किया गया है। ऋण स्थिरता का आंकलन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनमें से एक डोमार मॉडल⁴¹ है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करके ऋण स्थिरता का विश्लेषण किया गया था।

विवरण निम्न प्रकार है:

जी-आर (जी: वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर; आर: वास्तविक ब्याज दर जिसे डोमार गैप कहा जाता है।)	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर>0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर में परिवर्तित करना चाहिए।	जीएसडीपी के रूप में लोक ऋण को शून्य से कम एक स्थिर स्तर में परिवर्तित करना चाहिए, जो बचत की स्थिति होगी।
जी-आर<0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण को एक स्थिर स्तर तक परिवर्तित किये बिना, अनिश्चितकाल तक बढ़ना चाहिए।	अपरिभाषित स्थिति

राजस्थान के लिए लागू विश्लेषण का परिणाम निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	वास्तविक वृद्धि दर (जी*)	वास्तविक ब्याज दर (आर**)	जी-आर (डोमार गैप)	प्राथमिक घाटा/ अधिशेष (एस)	टिप्पणी
2014-15	7.3	0.7	6.6	-8537	जी-आर>0 तथा एस<0, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण एक स्थिर स्तर तक पहुंच जायेगा, यद्यपि यह शून्य से अधिक के स्तर पर होगा।
2015-16	8.0	2.2	5.8	-51062	
2016-17	5.6	3.1	2.5	-28641	
2017-18	6.4	4.4	2.0	-5622	
2018-19	7.3	4.3	3.0	-12778	

* वास्तविक वृद्धि दर की गणना वास्तविक जीडीपी के लिए की गयी है।

** वास्तविक ब्याज दर की गणना ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को घटाकर की गयी है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में ऋण का जीएसडीपी से अनुपात 33.5 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात 3.71 प्रतिशत था। चौदहवें वित्त आयोग के राजकोषीय लक्ष्यों के समक्ष ऋण की सीमा 24.4 प्रतिशत तथा राजकोषीय घाटे से जीएसडीपी की सीमा 3 प्रतिशत थी। राज्य का पूंजीगत व्यय वर्ष 2014-19 के दौरान 14.5 प्रतिशत तथा 10.5 प्रतिशत के मध्य रहा।

⁴¹ ई.डी.डोमार, 1914-1997

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान यह देखा गया कि जी-आर (डोमार गैप) सकारात्मक रहा तथा डोमार मॉडल के अनुसार, लोक ऋण की स्थिति को स्थिर कहा जायेगा। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जी-आर (डोमार गैप) लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को दर्ज नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पाँच वर्षों की उल्लेखित अवधि अर्थात् वर्ष 2014-15 से 2018-19 में प्राथमिक घाटा रहा है। अन्य कारक जैसे लोक लेखा देयताओं तथा अप्रत्याशित घटनाओं⁴², राजस्व की किसी गैर मदीय हानि को भी राज्य की ऋण धारणीयता/स्थिरता⁴³ का आंकलन करने में विचार करना होगा।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में संयोजन, राज्य वित्तीय घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उस सीमा जिस तक उधार ली गयी निधियों का वर्तमान उपभोग हेतु उपयोग किया गया, को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से निरन्तर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार लगातार कम होता जा रहा है तथा उधार के एक भाग (राजकोषीय देयतायें) के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं। तालिका 1.40 के अनुसार, यह प्रकट हुआ कि राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात वर्ष 2014-15 में 16.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 83.8 प्रतिशत हो गया। यह इंगित करता है कि राज्य के उधार का वृहत भाग राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

प्राथमिक घाटे के विभाजन (तालिका 1.43) में घाटे की उस सीमा को दर्शाया गया है, जो पूँजीगत व्यय में वृद्धि का कारण है, जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वॉल्लित होगा।

तालिका 1.43: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय ⁴⁴	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय पर गैर ऋण प्राप्ति का आधिक्य	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2014-15	92,346	84,079	16,103	701	1,00,883	(+) 8,267	(-) 8,537
2015-16	1,01,757	94,231	21,986	36,602	1,52,819	(+) 7,526	(-) 51,062
2016-17	1,10,767	1,09,463	16,980	12,965	1,39,408	(+) 1,304	(-) 28,641
2017-18	1,42,457	1,26,122	20,623	1,334	1,48,079	(+) 16,335	(-) 5,622
2018-19	1,53,051	1,45,078	19,638	1,113	1,65,829	(+) 7,973	(-) 12,778

स्रोत: वित्त लेखे।

⁴² जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी तथा इसका जीएसडीपी पर प्रभाव।

⁴³ चूँकि इनका पूर्वानुमान या सांख्यिकीय निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसलिये इनको विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया है।

⁴⁴ प्राथमिक राजस्व व्यय = राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के दौरान, गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।


प्राथमिक व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश वर्ष 2014-15 के 16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2017-18 में 14 प्रतिशत रह गया एवं यह वर्ष 2018-19 में और घटकर 12 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में, गैर-ऋण प्राप्तियों तथा प्राथमिक व्यय में क्रमशः ₹ 10,594 करोड़ एवं ₹ 17,750 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक घाटे में ₹ 7,156 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार का प्राथमिक घाटा वर्ष 2014-15 के ₹ 8,537 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 12,778 करोड़ हो गया, जबकि पूँजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 16 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 12 प्रतिशत रह गया। तथ्य यह है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

1.12 ऋण प्रबन्धन

(i) ऋण परिपक्वता रूपरेखा

31 मार्च 2019 को राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में देय राशि) संचित्र 1.13 में दर्शायी गयी है:



संचित्र 1.13 म. दर्शाये गये आँकड़ों के अनुसार, ₹ 14,575.81 करोड़ के ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थी। लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि राज्य सरकार की ऋण की पुर्नअदायगी देयता, अवधि वर्ष 2019-20, 2020-22 एवं 2022-24 के दौरान क्रमशः ₹ 17,701.95 करोड़, ₹ 32,949.36 करोड़ एवं ₹ 36,459.13 करोड़ होगी जो उस अवधि के दौरान सरकार के बजट पर दबाव डाल सकती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के अन्त में कुल लोक ऋण (₹ 2,33,238.88 करोड़) का लगभग 34.1 प्रतिशत (₹ 79,529.46 करोड़) 7 से 10

वर्ष की परिपक्वता अवधि से संबंधित था। इसलिए, राज्य सरकार को ऋण जाल में फंसने से बचाने के लिए एक सुविचारित ऋण अदायगी की रणनीति पर काम करना होगा।

सिफारिश 11:

राज्य सरकार को अपनी बढ़ती देयता दायित्वों को पूरा करने लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक “समेकित सिंकिंग निधि” उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।

(ii) ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता को भविष्य में उसके ऋणों को चुकाने की सेवा के लिए राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतः ऋण की धारणीयता वचनबद्ध देयताओं को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों से प्राप्त प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि, ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के सादृश्य होनी चाहिए। वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य के ऋण की धारणीयता का विश्लेषण इन सूचकों के अनुसार तालिका 1.44 में किया गया है।

तालिका 1.44: ऋण की धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

ऋण के धारणीयता के सूचक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया ऋण की वृद्धि दर	13.6	41.9	21.8	10.3	10.7
जीएसडीपी की वृद्धि दर	11.7	10.7	11.3	10.1	11.2
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर	7.5	6.7	7.6	7.3	7.3
ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	11.5	12.0	16.2	15.5	15.7
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अन्तर्गत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,34,644	1,99,313	2,01,683	1,86,325	2,08,734
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुर्नभुगतान (मूलधन एवं ब्याज) (₹ करोड़ में)	1,27,408	1,49,544	1,73,744	1,79,865	2,00,237
ऋण मोचन ((मूलधन + ब्याज अदायगी)/ऋण प्राप्तियाँ) (प्रतिशत में)	94.6	75.0	86.1	96.5	95.9
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (₹ करोड़ में) (प्रतिशत में)	7,236 (5.4)	49,769 (25.0)	27,939 (13.9)	6,460 (3.5)	8,497 (4.1)

• **उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता**

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज अदायगी) की कुल ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ये पुराने ऋण के मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात् वर्तमान परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2014-15 में ₹ 7,236 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 8,497 करोड़ हो गया था।

● **ब्याज भार**

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण की धारणीयता को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष से 0.2 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ी एवं राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 15.7 प्रतिशत रही।


(iii) **लोक ऋण की सेवाएँ**

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए लोक ऋण पर ब्याज अदायगी तथा मूलधन पुर्नअदायगी को तालिका 1.45 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.45: लोक ऋण की सेवाएँ

(₹ करोड़ में)

अवधि	लोक ऋण									ऋण सेवाएँ			
	लोक ऋण प्राप्तियाँ			मूलधन की पुनअदायगी			ब्याज अदायगी			(मूलधन की पुनअदायगी + ब्याज अदायगी)			प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में (13/4)*100
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज	योग (2 + 3)	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज	योग (5 + 6)	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज	योग (8 + 9)	आन्तरिक ऋण (5 + 8)	भारत सरकार से कर्ज (6 + 9)	योग (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2014-15	17,346	795	18,141	4,451	509	4,960	7,146	474	7,620	11,597	983	12,580	69.3
2015-16	59,249	1,749	60,998	4,434	525	4,959	8,423	449	8,872	12,857	974	13,831	22.7
2016-17	40,434	3,455	43,889	4,441	574	5,015	14,002	437	14,439	18,443	1011	19,454	44.3
2017-18	27,000	1,557	28,557	11,041	633	11,674	15,797	417	16,214	26,838	1050	27,888	97.7
2018-19	35,205	2,642	37,847	16,137	778	16,915	17,358	446	17,804	33,495	1224	34,719	91.7
योग	1,79,234	10,198	1,89,432	40,504	3,019	43,523	62,726	2,223	64,949	1,03,230	5,242	1,08,472	



तालिका 1.45 एवं संचित्र 1.14 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 के लोक प्राप्तियों में से ऋण सेवाओं का भुगतान 98 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान 92 प्रतिशत रहा। इस प्रकार, वर्ष 2014-19 के दौरान ऋण एवं ब्याज की अदायगी पर औसत व्यय ₹ 21,694 करोड़ रहा जो कि इसी अवधि के दौरान औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹ 37,886 करोड़) का 57.3 प्रतिशत था।

1.13 अनुपालन

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधान मंडल में जुलाई 2019 में प्रस्तुत की गई। तथापि, जन लेखा समिति (पीएसी) में यह रिपोर्ट चर्चाधीन है। पीएसी वर्ष 2015-16 तक की राज्य वित्त की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा एवं सिफारिशें कर चुकी है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश (दिसम्बर 1996) के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित सभी अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी (एटीएन) को पीएसी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो कि राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के तीन माह के भीतर लेखापरीक्षा की संवीक्षा सहित विधिवत रूप से उपलब्ध कराये जाएंगे। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल अनुच्छेदों पर बकाया एटीएन की संवीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित विभागों⁴⁵ से आठ एटीएन नवम्बर 2019 तक लम्बित थे।

⁴⁵ पशुपालन, उपनिवेश, संचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पर्यावरण, वन, भू-जल, उच्च शिक्षा, बागवानी, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, न्याय एवं कानून, स्थानीय निकाय, स्वायत्त शासन, चिकित्सा शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, ग्रामीण विकास, संस्कृत शिक्षा, सैनिक कल्याण, पर्यटन, परिवहन, कोषलय एवं लेखा, जल संसाधन एवं जल संग्रहण विकास एवं भू संरक्षण।

अध्याय II

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या बजट में अन्तर्निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तव में किया गया व्यय, विनियोग अधिनियम के अधीन वर्ष के लिए दिये गये प्राधिकार के अन्तर्गत है और क्या प्रभारित विनियोगों को संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाना आवश्यक है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या किया गया व्यय, विधि, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

राज्य बजट नियमावली (राबनि) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक संभव हो यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में आधिक्य। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी निश्चित मद में व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध कराई गई राशि वह राशि होनी चाहिये जो कि वर्ष में व्यय की जा सकती है तथा यह न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम।

2.2 विनियोग लेखाओं का सारांश

वर्ष 2018-19 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है:

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	कुल प्रावधानों की तुलना में बचतों का प्रतिशत	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि का बचतों से प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7 (6/4*100)	8	9 (8/6*100)	
दत्तमत	I-राजस्व	1,51,149.64	9,712.16	1,60,861.80	1,48,485.32	(-) 12,376.48	7.69	11,467.66	92.7
	II-पूँजीगत	27,246.07	915.17	28,161.24	21,340.12	(-) 6,821.12	24.22	6,672.27	97.8
	III-कर्ज तथा उधार	580.31	559.44	1,139.75	1,113.09	(-) 26.66**	2.34	121.36	
आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-	
योग दत्तमत	1,78,976.02	11,186.77	1,90,162.79	1,70,938.53	19,224.26	10.11	18,261.29	95.0	
प्रभारित	IV-राजस्व	21,621.41	371.87	21,993.28	21,920.42	(-) 72.86	0.33	63.73	87.5

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)	कुल प्रावधानों की तुलना में बचतों का प्रतिशत	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2019 को अभ्यर्पित राशि का बचतों से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7 (6/4*100)	8	9 (8/6*100)
V-पूँजीगत	- ¹	2.53	2.53	2.52	(-) 0.01	-	0.01	100
VI-लोक ऋण पुनर्भुगतान	16,835.70	84.02	16,919.72	16,914.80	(-) 4.92	-	4.92	100
योग प्रभारित	38,457.11	458.42	38,915.53	38,837.74	77.79	0.20	68.66	88.3
कुल योग	2,17,433.13	11,645.19	2,29,078.32	2,09,776.27*	19,302.05	8.43	18,329.95	95.0

* वास्तविक व्यय के आँकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित है (राजस्व: ₹ 3,632.55 करोड़ तथा पूँजीगत: ₹ 1,704.44 करोड़, कुल: ₹ 5,336.99 करोड़)

** मुख्यतः अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास, 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 37- कृषि तथा 47-पर्यटन के अन्तर्गत विभिन्न मुख्य शीर्षों में पुनर्वियोजन के माध्यम से अतिरिक्त निधियों से बचत प्रतिसादित होने के कारण कर्ज एवं अग्रिम में अभ्यर्पण की तुलना में कम बचत दर्शित हुई।

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 2.1 यह इंगित करती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान लिया गया ₹ 11,645.19 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान/विनियोग के स्तर तक भी नहीं आया। ₹ 19,302.05 करोड़ की समग्र बचतें राजस्व अनुभाग के 49 अनुदानों एवं 45 विनियोगों तथा पूँजीगत अनुभाग के 34 अनुदानों एवं चार विनियोगों में बचतों का परिणाम थी।

महालेखाकार, लेखा व हक राजस्थान द्वारा नियंत्रण अधिकारियों से 1,444 उप-शीर्षों में बचतों/आधिक्यों के अंतरों का स्पष्टीकरण मांगा गया। तथापि, 667 उप-शीर्षों (बचत: 555 तथा आधिक्य: 112) से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2019)।

2.3 वित्तीय जवाबदेयता एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 आधिक्य व्यय

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 8.5(5) के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। राबनि के अनुच्छेद 24.1 यह भी यह प्रावधान करता है कि व्यय ना तो किसी प्रयोजन के लिए स्वीकृत आवंटन से अधिक किया जायेगा और ना ही उन मदों पर जिनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, विवरण को अत्यधिक सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि आधिक्य और बचतों के गलत विवरणों से न केवल वित्त विभाग को असुविधा होती है बल्कि अतिरिक्त

¹ केवल ₹ 8,000.

व्यय भी हो सकता है जिसके लिए संबंधित बजट नियंत्रक अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा।

चार अनुदानों के 16 मामलों में, अनुदानों के उप-शीर्षों में आधिक्य व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक रहा जोकि कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था (*परिशिष्ट 2.1*)। अनुदान में समग्र बचत होने के बावजूद भी, अनुदान के अन्दर पुर्नविनियोजन नहीं किया गया।

बजटीय आवंटन से अधिक होने वाला आधिक्य व्यय, बजटीय एवं व्यय नियंत्रणों में कमी को इंगित करता है।

2.3.2 व्यय का प्रवाह

व्यय की समान गति रखना सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति वाले माह में व्यय के प्रवाह को टाला जाना चाहिये।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कुल व्यय (₹ 2,04,439 करोड़) का 35.25 प्रतिशत (₹ 72,055 करोड़) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया। यद्यपि, यह भी ध्यान में आया कि कुल प्राप्तियों (₹ 1,90,898 करोड़) का 33.17 प्रतिशत (₹ 63,324 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में किये गये व्यय में गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 5.23 प्रतिशत (₹ 3,980 करोड़) की कमी हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 9 अनुदानों के अन्तर्गत 9 उप-शीर्षों में ₹ 2,566.16 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 45 प्रतिशत से अधिक) का व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया, जो कि कुल व्यय (₹ 4,376.24 करोड़) का 58.6 प्रतिशत था। इसमें से, अकेले मार्च 2019 में ही ₹ 1,866.47 करोड़ (42.7 प्रतिशत) खर्च किये गये जैसा कि *परिशिष्ट 2.2* में वर्णित है।

मुख्य शीर्षों का विवरण, जिनमें ₹ 25 करोड़ से अधिक के व्यय तथा कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक, या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान या अंतिम माह के दौरान किया गया, को **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में व्यय के प्रवाह के मामलों

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2019 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
1.	2059- लोक निर्माण कार्य	73.68*	77.60	105.32	38.65	52.46
2.	2075-विविध सामान्य सेवायें	538.79	536.91	99.65	536.13	99.51
3.	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2,054.00	1,692.71	82.41	1,081.17	52.64
4.	2404-डेयरी विकास	39.13	36.00	92.00	36.00	92.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2019 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशत	राशि	कुल व्यय का प्रतिशत
5.	2801-बिजली	21,203.73	14,086.50	66.43	13,844.09	65.29
6.	4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	132.01	132.01	100.00	132.00	99.99
7.	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,822.35	3,000.05	78.49	3,000.05	78.49
8.	4802-पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	146.80	146.80	100.00	146.80	100.00

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

* इस शीर्ष में वसूली के समायोजन के कारण वर्ष के अन्त में कम व्यय हुआ।

संयोगवश, निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित/जमा की गई कुल राशि ₹ 31,821.06 करोड़ में से, राशि ₹ 5,002.11 करोड़ (15.7 प्रतिशत) अकेले मार्च 2019 में हस्तांतरित की गई, जैसा कि **अनुच्छेद 3.5** में वर्णित किया गया है।

इस प्रकार, विभागों द्वारा वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय की गयी राशि उत्तरोत्तर व्यय पर कम नियंत्रण को इंगित करता है।

सिफारिश 12:

विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति तथा अंतिम तिमाही/महीने के दौरान व्यय के एक समान प्रवाह पर निगरानी बनाए रख सकते हैं।

2.3.3 बचतें

वित्तीय वर्ष के दौरान बजट आवंटन से पर्याप्त बचतों के मामले ध्यान में आये, जो बजटीय प्रक्रिया तथा बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्न उत्पन्न करते हैं।

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 19,302.05 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, 23 अनुदानों के मामलों में राशि ₹ 17,389.69 करोड़ (90 प्रतिशत) की बचतें, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की, रही जिनको **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

यह इंगित करता है कि विभागों तथा बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इन अनुदानों के व्ययों के बजट अनुमान तैयार करते समय व्यय के अनुमानों से सम्बन्धित राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17,389.69 करोड़ की बचतें हुईं।

सिफारिश 13:

राज्य सरकार वास्तविक आवश्यकता अनुसार बजट तैयार कर सकती है तथा इसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर सकती है।

2.3.4 निरन्तर बचतें

गत तीन वर्षों के दौरान, 6 अनुदानों के 7 मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें 10.5 प्रतिशत से 55.5 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है।

निरन्तर बचतों के कारण मुख्यतः भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां नहीं/कम जारी किया जाना था। बचत के अन्य कारण कार्यों की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन या निष्पादित नहीं होना, ठेकेदारों को निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, पदों का रिक्त रहना आदि थे।

विगत वर्षों में निरन्तर बचतें, राज्य सरकार द्वारा विनियोग विधेयक में निधियों का आवश्यकता से अधिक निर्धारण एवं व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण तथा पिछले वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्तियाँ पर्याप्त संवीक्षा के अभाव की परिचायक थी।

जन लेखा समिति ने अपने 86वें (मार्च 2016) तथा 153वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरन्तर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चिता की सिफारिश की थी। यद्यपि, इन सिफारिशों के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरन्तर बचतों के मामले लगातार जारी रहे।

गत तीन वर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की लगातार बचतों के आधार पर अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास में निरन्तर बचतों की विस्तृत समीक्षा की गई है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

2.3.4.1 अनुदान संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

शहरी विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए (यूडीएच) जिम्मेदार है। यूडीएच विभाग शहरों के व्यवस्थित नियोजन एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख शासन सचिव विभाग के प्रमुख है।

वर्ष 2016-19 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय तथा बचतों की समग्र स्थिति का विवरण **तालिका 2.3** में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.3: यूडीएच के अन्तर्गत बजट के समक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	2016-17				2017-18				2018-19			
	प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें (प्रतिशत)	अभ्यर्पण	प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें (प्रतिशत)	अभ्यर्पण	प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें (प्रतिशत)	अभ्यर्पण
राजस्व	4833.04*	4206.51	626.53 (12.96)	626.53	4984.89*	3881.28	1103.61 (22.14)	1103.61	5099.28*	4015.09	1084.19 (21.26)	873.60
पूँजीगत	1742.68*	959.45	783.23 (44.94)	767.44	1501.58*	950.74	550.84 (36.68)	531.81	1477.17*	1280.37	196.80 (13.32)	192.22
योग	6575.72	5165.96	1,409.76	1,393.97	6,486.47	4832.02	1,654.45	1,635.42	6,576.45	5,295.46	1,280.99	1,065.82

* वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-2019 के दौरान राजस्व भाग के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 809.25 करोड़, ₹ 547.64 करोड़, ₹ 467.82 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान तथा वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान पूँजीगत भाग के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 2,000, ₹ 130.20 करोड़ तथा ₹ 1,000 के अनुपूरक प्रावधान सम्मिलित है।

अनुदानों/अभिलेखों की समीक्षा के आधार पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गई है:

- वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 12.96 प्रतिशत से लेकर 22.14 प्रतिशत तक थी जबकि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान अनुदान के पूँजीगत भाग के अन्तर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 13.32 प्रतिशत से लेकर 44.94 प्रतिशत तक थी, जो कि निधियों के अधिक आंकलन का घोटक है।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व भाग में, ₹ 1,084.19 करोड़ की अंतिम बचत में से राशि ₹ 210.59 करोड़ तथा पूँजीगत भाग में, ₹ 196.80 करोड़ की अंतिम बचत में से राशि ₹ 4.58 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये गये। यह दर्शाता है कि मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजट नियंत्रण की कार्यवाही करने में विभाग विफल रहा।
- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, राजस्व भाग के अन्तर्गत आवंटित क्रमशः ₹ 547.64 करोड़ और ₹ 467.82 करोड़ का आवंटित अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया।

बचतों की उप-शीर्षवार स्थिति:

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान यह पाया गया कि कुछ शीर्षों (विभिन्न उप योजनाओं पर) के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बजट आवंटन के पर्याप्त हिस्से का अनुपयोजित रहना जैसाकि तालिका 2.4 में दर्शाया गया है सम्बन्धित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-उपलब्धि को दर्शाता है। यह भी दर्शाता है कि राबनि के पैरा 13.7 के प्रावधानों की अवहेलना कर गत वास्तविकों को ध्यान रखे बिना बजट आवंटन किये गये थे।

तालिका 2.4: उप शीर्षवार बचतों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 02- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 03- अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	6.80	0.00	6.80	100.00	कम्पनी द्वारा अंकेक्षित लेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी नहीं की गई।	कम्पनी द्वारा अंकेक्षित लेखों को प्रस्तुत नहीं करना विभागीय स्तर पर अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है।
		2017-18	5.87	0.00	5.87	100.00		
		2018-19	1.37	0.00	1.37	100.00		
2.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता 03- ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसिलिटी 01-जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2016-17	5.40	0.00	5.40	100.00	ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसिलिटी प्रोजेक्ट (जीइएफ) के तहत भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होना। भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति।	भारत सरकार से राशि कम/प्राप्त नहीं होना, विभागीय स्तर पर भारत सरकार से राशि का आवंटन करवाने में प्रयास की कमी को दर्शाता है। बजट तैयार करते समय राबनि के पैरा 13.7 का ध्यान नहीं रखा गया।
		2017-18	5.00	0.00	5.00	100.00		
		2018-19	5.50	3.65	1.85	33.64		
3.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 01- अजमेर स्मार्ट सिटी	2016-17	195.00	147.20	47.80	24.51	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	102.00	58.00	36.25		
		2018-19	140.80	0.00	140.80	100.00		
4.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 01- जयपुर स्मार्ट सिटी	2016-17	295.00	214.00	81.00	27.46	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	0.00	160.00	100.00		
		2018-19	176.00	0.00	176.00	100.00		
5.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 03-उदयपुर स्मार्ट सिटी	2016-17	295.00	214.00	81.00	27.46	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	0.00	160.00	100.00		
		2018-19	176.00	0.00	176.00	100.00		
6.	2217-शहरी विकास 05-अन्य शहरी विकास योजनाएं 800- अन्य व्यय 01- स्मार्ट सिटी 04-कोटा स्मार्ट सिटी	2016-17	194.00	145.60	48.40	24.95	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान आवंटित निधियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का अभाव। इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवर्ती निधियां जारी नहीं की गई।	यह विभाग द्वारा निधियों के उपयोग करने में प्रणालीगत त्रुटि को दर्शाता है। निधियों की अनुगामी किरतें प्राप्त नहीं होना नियमों, प्रक्रियाओं तथा दिशा निर्देशों की पालना करने में विभागीय विफलता को दर्शाता है जो परियोजना के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	160.00	103.00	57.00	35.62		
		2018-19	141.40	0.00	141.40	100.00		
7.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 03-किराया तथा अपीलीय प्राधिकरण 01- किराया प्राधिकरण-प्रतिबद्ध	2016-17	2.91	2.17	0.74	25.43	पदों के रिक्त रहने के कारण।	रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 (अ) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें बताया गया है कि रिक्त पदों के लिए प्रावधान नहीं बनाये जायेंगे।
		2017-18	2.54	1.81	0.73	28.74		
		2018-19	2.89	1.97	0.92	31.83		
8.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 001-निर्देशन एवं प्रशासन 03- किराया तथा अपीलीय प्राधिकरण 02- किराया प्राधिकरण-प्रतिबद्ध	2016-17	1.32	1.06	0.26	19.70	पदों के रिक्त रहने के कारण।	रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान रखना राबनि के पैरा 13.18.2 (अ) के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें बताया गया है कि रिक्त पदों के लिए प्रावधान नहीं बनाये जायेंगे।
		2017-18	1.28	0.78	0.50	39.06		
		2018-19	1.55	1.07	0.48	30.97		

वित्तीय प्रबन्ध एवं बजटरी नियंत्रण

क. सं.	शीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
9.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 191- नगर निगम को सहायता 30- पर्यावरण एवं स्वास्थ्य निधि से व्यय 01- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	2016-17	10.99	3.43	7.56	68.79	भूमि विवाद एवं कोर्ट स्टे के कारण कम व्यय होना।	यह विभाग द्वारा उचित आयोजना में कमी को दर्शाता है। प्रस्ताव उचित आयोजना तथा व्यवहार्यता अध्ययन के साथ तैयार किये जाने चाहिये थे।
		2017-18	10.30	0.00	10.30	100.00		
		2018-19	11.33	0.00	11.33	100.00		
10.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 191- नगर निगम को सहायता 35- चौदहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान 02- चौदहवें वित्त आयोग के तहत सामान्य निष्पादन अनुदान	2016-17	53.72	18.43	35.29	65.69	वर्ष 2016-17 में प्रावधान बनाते समय गणना में त्रुटि होने तथा वर्ष 2017-18 के दौरान निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं होना।	भारत सरकार से निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं होना, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंखाओं के अनुसार अनुदान की शर्तों को पूरा नहीं करना इंगित करता है।
		2017-18	57.23	0.00	57.23	100.00		
		2018-19	₹ 1000	0.00	₹ 1000	100.00		
11.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 191- नगर निगम को सहायता 39- प्रधानमंत्री आवास योजना 01- सबके लिए आवास (शहरी)	2016-17	159.09	17.63	141.46	88.92	भारत सरकार द्वारा निधियां सीधे ही योजना के समर्पित खाते में जारी किये जाने से भारत सरकार से निधियां कम प्राप्त हुईं।	विभाग द्वारा आगामी वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया तथा बड़ी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं।
		2017-18	68.00	5.28	62.72	92.24		
		2018-19	48.09	0.12	47.97	99.75		
12.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 08- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि 01-स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	2016-17	93.10	60.58	32.52	34.93	वर्ष 2016-17 के दौरान गौरव पथ निर्माण के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग में देरी होना।	बड़ी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं। निर्धारित अवधि में निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण निधियां अवरोधित हुईं।
		2017-18	370.88	254.00	116.88	31.51		
		2018-19	311.34	110.98	200.36	64.35		
13.	2217-शहरी विकास 80- सामान्य 800- अन्य व्यय 10- मास्टर प्लान एवं अन्य योजनाएं 01- नगर नियोजन विभाग के माध्यम से	2016-17	10.27	6.95	3.32	32.33	आयोजना सीमा में कटौती होना।	यह विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग में प्रणालीगत त्रुटियों को इंगित करता है तथा जो परियोजना के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
		2017-18	5.98	3.84	2.14	35.79		
		2018-19	5.15	2.46	2.69	52.23		
14.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य शहरी विकास योजनाएं 050- भूमि 02- राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के माध्यम से छ: प्रमुख शहरों का विकास (ईएपी) निर्माण कार्य	2016-17	5.00	-3.84*	8.84	176.80	वर्ष 2016-19 के दौरान विभिन्न पैकेजों के प्रथम स्टेज से संबंधित केस वाणिज्यिक न्यायालय एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन होने से सम्पूर्ण निधियां अनुपयोजित रही।	राबनि के अनुसार, विभाग द्वारा आगामी वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। बड़ी बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं।
		2017-18	5.00	-1.00	6.00	120.00		
		2018-19	2.00	-0.98	2.98	149.00		

क. सं.	शीर्ष	वर्ष	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
15.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60- अन्य शहरी विकास योजनाएं 050- भूमि 04- राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनिवेश कार्यक्रम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	2016-17	375.00	106.10	268.90	71.71	कार्यों के आवंटन में देरी होना।	समय से निर्णय, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण द्वारा कार्य की प्रगति उचित स्तर तक सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग की है। निर्धारित समय में निधियों का उपयोग नहीं होने के कारण निधियाँ अवरोधित रही। इसके अतिरिक्त, विलम्बित कार्यों पर लागत वृद्धि से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
		2017-18	450.00	219.20	230.80	51.29	कार्यों की धीमी प्रगति।	
		2018-19	495.00	244.85	250.15	50.54		
16.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 04- गंदी बस्तियों का सुधार 800-अन्य व्यय 04- स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	2016-17	131.61	29.72	101.89	77.42	प्रथम किशत की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण भारत सरकार से द्वितीय किशत की प्राप्ति नहीं हुई।	पूंजीगत परियोजनाओं के प्रस्ताव उचित आयोजना के साथ एवं योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। विभाग को संशोधित प्रस्ताव के साथ संबंधित प्राधिकारी से योजनाओं के लिए पर्याप्त निधियाँ जारी करवाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये।
		2017-18	48.06	4.44	43.62	90.76	भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत करने के कारण कुछ परियोजना से संबंधित कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके, अतः इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई।	
		2018-19	52.87	24.65	28.22	53.38		
17.	4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800- अन्य व्यय 02- शहरी सड़कें एवं नालियाँ आदि (आरओबी) 07- विभिन्न शहरी निकायों के लिए	2016-17	103.01	26.34	76.67	74.43	वर्ष 2016-19 में आरओबी कार्य के लिए भूमि की देरी से उपलब्ध/ नहीं होने के कारण कम व्यय हुआ।	पूंजीगत व्यय के प्रस्ताव उचित आयोजना तथा व्यवहार्यता अध्ययन के साथ तैयार किये जाने चाहिये। उचित नियोजन द्वारा भूमि के देरी से आवंटन/ गैर-आवंटन से बचा जा सकता था।
		2017-18	48.07	41.72	6.35	13.21		
		2018-19	44.65	12.59	32.06	71.80		
18.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 800- अन्य व्यय 01- स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों आदि को सहायता 02- शहरी जन सहभागी योजना	2016-17	17.17	6.83	10.34	60.22	वर्ष 2016-19 में जन सहयोग की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित कलक्टर द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई।	विभाग द्वारा आगामी वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले वर्षों के व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया। लगातार बचतें गलत अनुमान को इंगित करती हैं।
		2017-18	17.03	8.11	8.92	52.38		
		2018-19	17.17	1.74	15.43	89.87		

* ऋणात्मक आंकड़ें वर्ष के दौरान प्राप्ति को इंगित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि:

- इस अनुदान में जयपुर, अजमेर, कोटा तथा उदयपुर की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यों के लिए राशि ₹ 2,253.20 करोड़ के प्रावधान शामिल है, यद्यपि, वर्ष 2016-19 के दौरान प्रावधानों के विरुद्ध मात्र राशि ₹ 925.80 करोड़ (41 प्रतिशत) व्यय की गयी। विभाग द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुदान के उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकने के कारण भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी नहीं की गई।
- वर्ष 2016-19 के दौरान, इस अनुदान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सभी के लिए आवास (शहरी) के लिए राशि ₹ 275.99 करोड़ का प्रावधान शामिल है, यद्यपि प्रावधान के विरुद्ध मात्र राशि ₹ 22.98 करोड़ (8.32 प्रतिशत) व्यय की गई।
- वर्ष 2016-19 के दौरान, इस अनुदान के अन्तर्गत राशि ₹ 32.59 करोड़ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रस्तावित थी। यद्यपि, यह पाया गया कि योजना पर राशि ₹ 3.43 करोड़ (10.5 प्रतिशत) का व्यय किया गया। विभाग ने अवगत कराया कि भूमि विवाद एवं कोर्ट स्टे तथा वित्त विभाग द्वारा आपत्ति लगाये जाने के कारण कम व्यय हुआ।

इस प्रकार, वर्ष 2016-19 के दौरान कुल बजट प्रावधान के समक्ष बचतों में निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई, जो कि विभाग द्वारा पर्याप्त संवीक्षा तथा व्यय के प्रवाह के उचित अनुश्रवण के बिना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण की सूचक थी। पूंजीगत परियोजनाओं पर कम व्यय यह भी दर्शाता है कि विभाग द्वारा प्रस्ताव बिना उचित नियोजन के तैयार किये गये।

अनुदान में प्रतीक (टोकन) प्रावधान

राबनि के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुरूप केवल महालेखाकार (लेखा व हक) की सहमति से नये उपशीर्ष, समूह शीर्ष, उद्देश्य शीर्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं। एक उपशीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो कि लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है तो उसे संबंधित विभाग की अनुदान की मांगों से हटा दिया जाना चाहिये।

अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान इस अनुदान के 101 कुल शीर्षों में से 63 (62.4 प्रतिशत) में प्रतिक प्रावधान किये गये थे, जो कि पुर्नविनियोजन के माध्यम से प्रावधान बढ़ाये बिना टोकन प्रावधान ही रहे तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में सभी शीर्षों के प्रतिक प्रावधान अभ्यर्पित कर दिये गये। टोकन प्रावधान के संबंध में, बजट शीर्ष के नियंत्रक अधिकारियों ने अवगत (जुलाई एवं अगस्त 2019) कराया कि कुछ मामलों में भविष्य में शीर्षों की आवश्यकता की प्रत्याशा में टोकन प्रावधान किये गये थे। तथापि, इन शीर्षों की आवश्यकता नहीं होने के कारण, आगामी वित्तीय वर्ष में टोकन प्रावधानों को शून्य कर दिया जायेगा।

जन लेखा समिति ने भविष्य में निरन्तर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चिता की सिफारिश की थी। यद्यपि, इन सिफारिशों के बावजूद, वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरन्तर बचतों के मामले लगातार जारी रहे।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राबनि का अनुच्छेद 24.2 प्रावधित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान, यदि किसी उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा पर व्यय करने की आवश्यकता होती है जिसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 15 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक, का ₹ 1,852.23 करोड़ का समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुँच पाया (परिशिष्ट 2.5)। इनमें से छः प्रकरणों जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ नीचे तालिका 2.5 में दिये गये हैं।

तालिका 2.5: वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसे मामलों जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 100 करोड़ से अधिक) अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	व्यय	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधानों के कारण
राजस्व-दत्तमत					
1	21- सड़कें एवं पुल	1,535.23	1,362.34	133.41	पेट्रोल तथा डीजल पर सैस से प्राप्त राशि को निधि में हस्तान्तरण करने हेतु तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों के दौरान उत्सव और प्रदर्शियों पर व्यय हेतु।
2	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4,631.46	4,015.09	467.82	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को निधियों के हस्तान्तरण हेतु।
3.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	12,473.80	12,032.40	258.83	भामाशाह योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बद्ध चयनित परिवारों को डिजिटल समावेशन के लिए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण अंशदान मिलान हेतु।
4.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	14,046.25	13,683.69	360.53	भामाशाह योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बद्ध चयनित परिवारों को डिजिटल समावेशन के लिए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अधिक राशि प्राप्त होने पर अंशदान मिलान हेतु।
पूँजीगत-दत्तमत					
5.	21- सड़कें एवं पुल	4,620.21	4,025.55	309.10	राज्य सड़क निधि से सड़कों के निर्माण हेतु।
6.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	588.51	561.67	100.72	स्कूलों के निर्माण के लिए नाबार्ड ऋण से निधि।

स्रोत: विनियोग लेखे

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में यह पाया गया कि अनुदानों के लिए अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था।

यह इन विभागों द्वारा वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिये निधियों की आवश्यकता के आंकलन में कमियों एवं व्यय के प्रवाह के अनुश्रवण में विफलता को इंगित करता है। इसी प्रकार, इन उपशीर्षों में अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के निर्धारण के बिना किये गये।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

राबनि के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य है, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या बचत निश्चित रूप से इससे प्रभावित हो सकती है। पुनर्विनियोजन, किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अंतरण है।

निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अत्यधिक, अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुए और जिसके परिणामस्वरूप 77 उप-शीर्षों में ₹ 134.60 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ एवं 474 उप-शीर्षों में ₹ 969.42 करोड़ की अंतिम बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 43 लेखा शीर्षों में ₹ एक करोड़ से अधिक का अंतिम आधिक्य/बचतें रही (**परिशिष्ट 2.6**)। यहाँ 20 लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, छः लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 17 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

यह इंगित करता है कि इनके पुनर्विनियोजन से पहले निधियों की आवश्यकता/उपलब्धता का उचित आंकलन नहीं किया गया।

2.3.7 प्रत्याशित बचतों का अनभ्यर्पण

राबनि के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिये। राबनि के प्रावधानों के अनुसार, बजट नियंत्रक अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष के अन्त का इंतजार किये बिना तुरन्त सरकार को अभ्यर्पित कर दिया गया है, जब तक कि वे उसी अनुदान के तहत अन्य इकाइयों के आधिक्य को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा कोई भी बचत भविष्य के संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

24 मामलों (18 अनुदानों) में, ₹ 10,151.35 करोड़ तक की एक करोड़ तथा अधिक की बचतों में से राशि ₹ 619.56 करोड़ अभ्यर्पित नहीं किये गये

(परिशिष्ट 2.7)। शीघ्र अभ्यर्पण अन्य क्षेत्रों में, जहां कमी है, संसाधनों का अधिक लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

बचतों को अभ्यर्पित नहीं करना यह वास्तविक वित्तीय नियोजन/अनुश्रवण की कमी एवं कमजोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है।

विभाग द्वारा राशि ₹ 619.56 करोड़ का अभ्यर्पण नहीं करने के कारण/स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2019) सूचित नहीं किये गये थे।

सिफारिश 14:

सभी प्रत्याशित बचतें समय पर अभ्यर्पित की जा सकती हैं जिससे निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके।

2.3.8 एक मुश्त प्रावधान

राबनि के अनुच्छेद 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिये। तथापि, कुछ प्रकरणों में, जहाँ एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो तथा जहाँ एकमुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर, बजट टिप्पणी में एकमुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने चाहिये।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 21 अनुदानों के 123 प्रकरणों के अन्तर्गत (₹ 15 करोड़ से अधिक एवं बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक का अभ्यर्पण था), अनुमानों में ₹ 9,069.71 करोड़ का एक मुश्त प्रावधान किया गया था। इनमें से, ₹ 6,960.31 करोड़ (76.7 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे जिन्हें वर्ष के अन्त में अभ्यर्पित किया गया (परिशिष्ट 2.8)। इन प्रकरणों में एक मुश्त बजट प्रावधान करने के कारण राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2019)।

2.3.9 वास्तविक बचतों/आधिक्य से अधिक अभ्यर्पण

दो अनुदानों में, ₹ 1,164.20 करोड़ की बचतों/आधिक्यों के समक्ष ₹ 1,227.95 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई, जो कि ₹ 63.75 करोड़ से अधिक थी, जैसा कि तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6 : मामलें जहाँ अधिक अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क. सं.		अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत (-)/ आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
1.	राजस्व दत्तमत	21 – सड़कें एवं पुल	306.30	312.67	6.37
2.		46 – सिंचाई	618.77	646.88	28.11
3.	पूंजीगत दत्तमत	46 – सिंचाई	239.13	268.40	29.27
		योग	1,164.20	1,227.95	63.75

स्रोत: विनियोग लेखे

यह दर्शाता है कि विभाग मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रण रखने में विफल रहे।

वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पण के सम्बन्ध में विभागों ने कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये (अक्टूबर 2019)।

2.3.10 योजना/शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

व्यय के अनुमानों में विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण होता है तथा इसमें शामिल व्ययों के विधानसभा से अनुमोदन के लिए सरकार द्वारा वार्षिक औपचारिक अनुरोध किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष के प्रावधान बनाते समय पिछले तीन वर्षों में किये गये वास्तविक व्यय तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान भी ध्यान में रखे जाने चाहिये।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये बजट प्रावधान पूर्ण रूप से अनुपयोजित रहे। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक की कुल राशि ₹ 4,343.08 करोड़ 74 योजना/शीर्षों के अन्तर्गत अनुपयोजित रही। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है।

इसके अलावा, यह भी दर्शित हुआ कि गत 2 से 5 वर्षों में लगातार राबनि के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का ध्यान रखे बिना प्रावधान तैयार किये गये थे तथा वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किये जा रहे थे। तालिका 2.7 में ऐसे कुछ मुख्य शीर्ष दिये गये हैं।

तालिका 2.7: योजना/शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02-03 अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	-	-	6.80	5.87	1.37
2.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2235-02-796-13-07 मिशन ग्राम्य शक्ति	2.50	2.50	2.50	2.50	1.44
3.		3425-01-796-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.05	1.33	3.75	3.19	3.31
4.		4225-02-796-16-04 बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना	-	4.00 में से 3.00	2.50	2.00	2.00
5.		4225-02-796-17-03 जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना	-	3.00 में से 2.00	2.50	2.00	2.00
6.	32- नागरिक आपूर्ति	5475-102-11-01 उपभोक्ता मामलें			1.00	1.00	0.75
7.	33- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति (महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से)	10.60	10.60	10.60	10.60	7.35
8.		4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय आवासीय भवन का निर्माण	-	40.65	40.65	7.00	8.00

क्र. सं.	अनुदान	शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
9.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	3454-02-203-01-07 स्टेट डाटा सेन्टर	-	15.07	15.07	5.07	6.46
10.		3454-02-203-01-13 स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे	-	-	2.77	1.01	1.05
11.		3454-02-203-01-29 नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान (केपेसिटी बिल्डिंग)	1.74	1.74	2.27	1.14	1.22
12.	43- खनिज	4853-01-004-07-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें	-	-	16.00	1.20	5.00
13.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2235-02-789-01-06 मिशन ग्राम्य शक्ति	3.50	3.50	3.50	3.50	1.91
14.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.07	0.41	5.02	4.29	4.75
15.		4236-02-789-02 ऑनबाडी केन्द्र अपग्रेडेशन एवं रखरखाव मय क्रेच निर्माण आईसीडीएस मिशन मोड अन्तर्गत	2.57	2.57	2.58	7.20	7.50

राबनि के अनुसार, एक उपशीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो कि लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है तो उसे संबंधित विभाग की अनुदान की मांगों से हटा दिया जाना चाहिये।

यह दर्शाता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिये बजट प्रवाधान उचित आंकलन, वित्तीय आवश्यकता तथा विभागीय जरूरत के बिना तैयार किये गये।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा

एक विशेष अनुदान का विस्तृत विश्लेषण करने की दृष्टि से “अनुदान संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना” का चयन गत तीन वर्षों के बजटीय अनुमान के विरुद्ध व्यय के आधार पर किया गया है। इस विश्लेषण के अन्तर्गत कई टिप्पणी बजट और व्यय, संशोधित अनुमानों के संबंध में प्राप्ति, पुर्नविनियोजन/अभ्यर्पण के पश्चात आधिक्य व्यय, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं करना, निरन्तर बचतें तथा मुख्यमंत्री के पिछले बजट भाषण की योजनाओं की स्थिति से संबंधित है।

अनुदान संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) परियोजनायें शुरू करने तथा निरूपण करने की रणनीति, अनुसूचित जाति (एससी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को कम करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए है। अनुसूचित जाति की बड़ी संख्या वाले गाँवों में अनुसूचित जाति की आबादी एवं गाँवों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली क्षेत्र उन्मुख योजनाओं के परिव्यय को अनुसूचित जाति उपयोजना में शामिल किया जाना चाहिये। योजना आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक योजना

आवंटनों को जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) तथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) से अलग किया जाना चाहिये। अनुसूचित जाति उप योजना के लिए चिन्हित निधियाँ राज्य की कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिये। अनुसूचित जाति उप योजना के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नोडल विभाग है।

वर्ष 2016-19 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय तथा बचतों की समग्र स्थिति का विवरण तालिका 2.8 में है।

तालिका 2.8: बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2016-17				2017-18				2018-19			
	कुल (मूल + अनुपूरक)	व्यय	बचत (बचत प्रतिशत)	अभ्यर्पण	कुल (मूल + अनुपूरक)*	व्यय	बचत (बचत प्रतिशत)	अभ्यर्पण	कुल (मूल + अनुपूरक)*	व्यय	बचत (बचत प्रतिशत)	अभ्यर्पण
राजस्व	9,549.49	8,304.44	1,245.05 (13.04)	1,240.91	10,383.89	9,517.25	866.64 (8.35)	862.14	14,406.78	13,683.68	723.10 (5.02)	691.06
पूँजीगत	5,988.15	5,412.05	576.10 (9.62)	575.81	5,537.10	3,872.12	1,664.98 (30.07)	1,601.84	5,293.39	3,959.49	1,333.90 (25.20)	1,294.92
योग	15,537.64	13,716.49	1,821.15	1,816.72	15,920.99	13,389.37	2,531.62	2,463.98	19,700.17	17,643.17	2,057.00	1,985.98

* राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में क्रमशः ₹ 1,379.05 करोड़ एवं ₹ 360.53 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में ₹ 50.00 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सम्मिलित है।

इस अनुदान के अन्तर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा दर्शाती है कि:

- वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 5.02 प्रतिशत से 13.04 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान अनुदान के पूँजीगत भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 9.62 प्रतिशत से 30.07 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व अनुभाग में ₹ 723.10 करोड़ एवं पूँजीगत अनुभाग में ₹ 1,333.90 करोड़ की अंतिम बचतों में से, राजस्व भाग में राशि ₹ 32.04 करोड़ एवं पूँजीगत भाग में राशि ₹ 38.98 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई।

उल्लेखनीय बचतें

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 14,406.78 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 13,683.68 करोड़ व्यय करने के परिणामस्वरूप ₹ 723.10 करोड़ (5.02 प्रतिशत) की बचत रही। इसके अलावा, पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत भी ₹ 5,293.39 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 3,959.49 करोड़ व्यय करने के परिणामस्वरूप ₹ 1,333.90 करोड़ (25.2 प्रतिशत) की बचत हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 22 योजनाओं/कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 989.37 करोड़ (जहाँ बचतें ₹ 10 करोड़ या अधिक थी) की उल्लेखनीय बचतें योजनाओं/ कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल अनुदान/विनियोग के 50 प्रतिशत से 99.8 प्रतिशत के मध्य थी। विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: ₹ 10 करोड़ या अधिक की उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम (2018-19)	कुल	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	2217-80-191-39-02-सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप योजना	12.48	0.03	12.45	99.76
2.	2217-80-192-41-02-सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिए उप योजना	36.55	0.08	36.47	99.78
3.	2211-789-03-03-राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	19.75	9.00	10.75	54.43
4.	2401-789-02-05- प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई के रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	21.27	6.16	15.11	71.04
5.	2401-789-03-01-कृषि विभाग के माध्यम से	27.14	9.43	17.71	65.25
6.	2401-789-09-01-कृषि विभाग के माध्यम से	32.72	13.29	19.43	59.38
7.	2501-06-196-06-03-अनुदान	80.91	33.59	47.32	58.48
8.	2501-06-196-10-03-अनुदान	25.18	0.34	24.84	98.65
9.	2515-198-33-03-कार्यकलाप/गतिविधियाँ	490.36	245.18	245.18	50.00
10.	4210-01-789-01-90-निर्माण कार्य	49.52	23.00	26.52	53.55
11.	4210-02-789-01-90-निर्माण कार्य	32.54	13.61	18.93	58.17
12.	4210-03-789-01-01-चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, जयपुर	18.43	4.80	13.63	73.96
13.	4215-01-789-01-58-नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)	25.94	11.79	14.15	54.55
14.	4215-01-789-01-63- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	19.92	4.22	15.70	78.82
15.	4215-01-789-01-65-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय	43.35	15.31	28.04	64.68
16.	4215-01-789-02-46-चम्बल, धौलपुर, भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम पार्ट-11 (शहरी)	18.90	1.95	16.95	89.68
17.	4215-01-789-02-58-बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति परियोजना-द्वितीय चरण (शहरी)	36.00	0.99	35.01	97.25
18.	4515-789-04-01-जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	81.00	40.50	40.50	50.00
19.	4700-34-789-01-निर्माण कार्य	27.00	7.96	19.04	70.52
20.	4700-80-789-02-01- मरूस्थल क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनरुद्धार परियोजना	199.14	71.89	127.25	63.90
21.	4802-02-190-04-02-रिफायनरी (एससीएसपी)	233.00	70.00	163.00	69.96
22.	5054-03-789-03-लघु जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	47.52	6.13	41.39	87.10
	योग	1,578.62	589.25	989.37	

भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्त नहीं होना, पदों का रिक्त रहना, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान कम जारी करना/जारी नहीं होना, कार्यों की धीमी प्रगति, भूमि स्वामित्व विवाद, निधि की अनुपलब्धता, निविदा प्रक्रिया में देरी, कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, फर्म द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करना, बजट सीमा में कटौती तथा पिछले

वर्षों की निधि की उपलब्धता सहित विभिन्न कारण विभाग द्वारा बताये गये। उत्तर इस तथ्य के सूचक थे कि विभाग के पास वित्तीय योजनाओं के प्रावधानों तथा निष्पादन के समुचित आकलन की कमी थी।

लगातार बचतें

राज्य बजट नियमावली के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान बनाते समय गत तीन वर्षों में वास्तविक रूप से किये गये व्यय तथा वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखना चाहिये तथा व्यय के अनुमान यथा संभव सटीक होने चाहिए।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान यह देखा गया कि गत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं में लगातार बचतें थी। यहाँ ऐसे अनुदान थे जहाँ प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक था तथा इनमें गत तीन वर्षों के दौरान लगातार बचतें देखी गयी। विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: गत तीन वर्षों के दौरान लगातार बचतें

शीर्ष का नाम	वर्ष	(₹ करोड़ में)			
		कुल (सू.+अ)	व्यय	बचत (-)/	बचत का प्रतिशत
2202-02-107-14 अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2016-17	12.00	6.39	-5.61	46.75
	2017-18	10.00	4.88	-5.12	51.20
	2018-19	8.00	2.94	-5.06	63.25
2217-80-191-39-02 सबके लिए आवास-अनुसूचित जातियों के लिये उप योजना	2016-17	41.31	4.11	-37.20	90.05
	2017-18	18.00	5.53	-12.47	69.28
	2018-19	12.48	0.03	-12.45	99.76
2401-789-02-04 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2016-17	17.03	4.94	-12.09	70.99
	2017-18	10.67	7.78	-2.89	27.09
	2018-19	11.74	3.40	-8.34	71.04
2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई के रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	2016-17	36.61	4.23	-32.38	88.45
	2017-18	25.02	4.97	-20.05	80.14
	2018-19	21.27	6.16	-15.11	71.04
2401-789-03-01 कृषि विभाग के माध्यम से	2016-17	36.75	25.91	-10.84	29.50
	2017-18	41.18	11.84	-29.34	71.25
	2018-19	27.14	9.43	-17.71	65.25
2501-05-196-07-03 कार्यकलाप संबंधी (अनुसूचित जातियों के लिए)	2016-17	112.33	16.67	-95.66	85.16
	2017-18	96.16	65.85	-30.31	31.52
	2018-19	99.45	65.45	-34.00	34.19
4059-80-789-04 सामान्य निर्माण (भू-राजस्व)	2016-17	16.35	9.11	-7.24	44.28
	2017-18	21.06	5.54	-15.52	73.69
	2018-19	11.38	5.61	-5.77	50.70
4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	2016-17	29.25	5.25	-24.00	82.05
	2017-18	57.50	8.78	-48.72	84.73
	2018-19	32.54	13.61	-18.93	58.17
4210-03-789-01-03 चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय समूह, बीकानेर	2016-17	8.47	2.00	-6.47	76.39
	2017-18	14.96	6.49	-8.47	56.62
	2018-19	16.61	11.18	-5.43	32.69
4215-01-789-01-45 बीसलपुर-दूदू परियोजना चाकसू, फागी एवं बस्सी	2016-17	81.07	42.91	-38.16	47.07
	2017-18	43.43	23.94	-19.49	44.88
	2018-19	8.71	3.96	-4.75	54.54
4215-01-789-01-55 नर्मदा प्रोजेक्ट-कलस्टर (डीआर)	2016-17	5.56	1.39	-4.17	75.00
	2017-18	9.07	7.73	-1.34	14.77
	2018-19	16.15	10.76	-5.39	33.37
4215-01-789-01-58 नर्मदा से शिव तहसील जिला बाड़मेर जलपूर्ति परियोजना (205 गांव)	2016-17	7.34	4.33	-3.01	41.01
	2017-18	10.72	6.32	-4.40	41.04
	2018-19	25.94	11.79	-14.15	54.55

शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू.+अ)	व्यय	बचत (-)/	बचत का प्रतिशत
4215-01-789-01-63 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	2016-17	25.85	8.70	-17.15	66.34
	2017-18	20.36	8.94	-11.42	56.09
	2018-19	19.92	4.22	-15.70	78.82
4217-03-789-07-01 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	2016-17	26.74	6.84	-19.90	74.42
	2017-18	12.48	5.09	-7.39	59.21
	2018-19	11.59	3.27	-8.32	71.79
4217-04-789-02 स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	2016-17	34.17	7.70	-26.47	77.47
	2017-18	12.48	2.00	-10.48	83.97
	2018-19	13.72	6.40	-7.32	53.35
4250-789-01-01 औजार एवं संयंत्र	2016-17	22.31	11.41	-10.90	48.86
	2017-18	12.52	4.31	-8.21	65.58
	2018-19	5.34	3.93	-1.41	26.40
4225-01-789-05 छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण	2016-17	14.63	0.79	-13.84	94.60
	2017-18	18.25	10.63	-7.62	41.75
	2018-19	15.17	6.22	-8.95	58.99
4401-789-04 किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्रों हेतु भवन निर्माण	2016-17	17.10	14.39	-2.71	15.85
	2017-18	16.10	4.39	-11.71	72.73
	2018-19	4.00	1.50	-2.50	62.50
4700-04-789-02-01 निर्माण कार्य	2016-17	11.41	7.78	-3.63	31.81
	2017-18	11.00	5.49	-5.51	50.09
	2018-19	12.10	4.34	-7.76	64.13
4853-01-789-02-01 खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	2016-17	11.00	0.99	-10.01	91.00
	2017-18	50.00	7.48	-42.52	85.04
	2018-19	55.00	29.50	-25.50	46.36
5054-03-789-03 लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	2016-17	10.26	5.84	-4.42	43.08
	2017-18	21.04	2.77	-18.27	86.83
	2018-19	47.52	6.13	-41.39	87.10
5054-04-789-12-01 ग्रामीण सम्पर्क सड़कें	2016-17	21.65	7.53	-14.12	65.22
	2017-18	18.23	7.69	-10.54	57.82
	2018-19	22.12	12.67	-9.45	42.72

बजट नियंत्रण अधिकारी ने बचतों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में धीमी प्रगति, निविदा प्रक्रिया में देरी, पदों का रिक्त रहना, आयोजना सीमा में कटौती, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों में देरी से प्राप्त/प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार से निधियों का देरी से प्राप्त होना/प्राप्त नहीं होना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं होना, कम मांग के बावजूद एससीएसपी श्रेणी के अन्तर्गत बजट का अनिवार्य रूप से आवंटन, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार फर्म द्वारा कुछ वस्तुओं की आपूर्ति नहीं करना तथा भूमि आवंटन में देरी होना/नहीं होना आदि कारणों को जिम्मेदार बताया।

लगातार बचतें यह दर्शाती हैं कि विभाग ने इन विकास कार्यों/ कार्यक्रमों/योजनाओं के संबंध में अनुरूपता से बजटीय निधियों का उपयोग नहीं किया। यह अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, वित्तीय अनुश्रवण तथा व्यय पर कमजोर नियंत्रण को भी दर्शाता है।

विभिन्न योजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहना

राज्य बजट नियमावली के अनुसार, व्यय के अनुमान यथासंभव सटीक होने चाहिये। वर्ष 2018-19 के दौरान, अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के 10 मामलों में किये गये ₹ 255.61 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या अधिक) अनुपयोजित रहे, जैसाकि तालिका 2.11 में दिये गये हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अनुपयोजित प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम (2018-19)	योग	व्यय	बचत	बचतों का प्रतिशत
1.	2217-80-191-42-05- चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	11.63	0.00	11.63	100
2.	2217-80-192-39-02 – स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	18.57	0.00	18.57	100
3.	2217-80-192-46-05- चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	28.93	0.00	28.93	100
4.	2401-789-09-04- जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	14.96	0.00	14.96	100
5.	2851-789-26-01- ऋण पर ब्याज अनुदान	20.00	0.00	20.00	100
6.	2515-198-34-03- कार्यकलाप/गतिविधियाँ	61.84	0.00	61.84	100
7.	4215-01-789-01-19-बाड़मेर लिफ्ट कैनल जल प्रदाय परियोजना फेज-11	12.94	0.00	12.94	100
8.	4515-789-13-01-जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	22.34	0.00	22.34	100
9.	4202-01-789-07-01- सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य (आयोजना)	14.40	0.00	14.40	100
10.	4885-60-789-02-01- भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति	50.00	0.00	50.00	100
	योग	255.61		255.61	

विभाग द्वारा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार द्वारा निधियों का सीधे हस्तान्तरण, पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निधियों की कम प्राप्ति तथा कार्यों की धीमी प्रगति सहित विभिन्न कारण बताये गये। यह दर्शाता है कि विभाग अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजना के लिए प्रावधानों की आवश्यकता का आकलन करने में विफल रहा तथा ये पूर्णरूपेण धारणाओं पर आधारित थे।

अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

राज्य बजट नियमावली के अनुसार, अनुपूरक अनुदान तब लिया जाना चाहिये जब वर्ष के दौरान व्यय करने के लिये मूल विनियोजन में स्वीकृत राशि अपर्याप्त पायी जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व अनुभाग में राशि ₹ 360.53 करोड़ का तथा पूंजीगत अनुभाग में राशि ₹ 50 करोड़ का अनुपूरक अनुदान आवंटित किया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान, संबंधित राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 723.10 करोड़ तथा ₹ 1,333.90 करोड़ की बचतों के मध्येनजर, राशि ₹ 360.53 करोड़ तथा ₹ 50 करोड़ के अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुये। अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान का शीर्ष-वार विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12: अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान के कारण
2018-19					
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02-सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना 05-भामाशाह योजना 2014 01-आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	26.18	300.00	259.46	66.72	भामाशाह योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित परिवारों के डिजिटल समावेशन के लिए।
2017-18					
2202-सामान्य शिक्षा 01- प्रारम्भिक शिक्षा 111-सर्व शिक्षा अभियान 02- अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना (शिक्षा गांटी योजना)	779.85	918.00	952.47	745.38	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वेतन के भुगतान के लिए।
2505-ग्राम रोजगार 01-राष्ट्रीय कार्यक्रम 196-जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों को सहायता 02-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 03-प्रधानमंत्री आवास योजना (अनुसूचित जाति) (आयोजना)	39.86	382.63	325.98	96.51	प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भारत सरकार से अतिरिक्त राशि प्राप्त होने के कारण मैचिंग अंशदान हेतु।

आधिक्य व्यय

वर्ष 2018-19 के दौरान, विनियोग लेखों की जाँच में यह पाया गया कि उक्त अनुदान के कुछ शीर्षों में आधिक्य व्यय हुआ जो कि राज्य बजट नियमावली के पैरा 8.5(5) के प्रावधानों के विरुद्ध था। शीर्षों का विस्तृत विवरण जहाँ आधिक्य ₹ एक लाख से ज्यादा एवं अधिक था, तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: प्रावधानों के विरुद्ध आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान*	अभ्यर्पण/ पुनर्विनियोजन	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1.	4055-789-02-91- स्थापना व्यय के लिए प्रतिशतता प्रभार (2059)	1.14	1.14	**	0.05	0.05
2.	4055-789-02-92- औजार एवं संयंत्र के लिए प्रतिशतता प्रभार (2059)	0.28	0.28	***	0.01	0.01
3.	4055-789-02-93- सड़कें एवं पुल के लिए प्रतिशतता प्रभार (3054)	0.43	0.43	***	0.02	0.02
4.	4215-01-789-01-29-डींग जलपूर्ति योजना (केप्रयो)	5.51	-	5.51	7.37	1.86
5.	4215-01-789-01-42- गागरीन जलपूर्ति योजना (केप्रयो)	4.41	-	4.41	5.72	1.31

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	कुल प्रावधान*	अभ्यर्पण/ पुर्नविनियोजन	निधि की उपलब्धता	वास्तविक व्यय	आधिक्य
6.	4215-01-789-01-48 – चम्बल- भीलवाडा जलपूर्ति योजना (केप्रयो)	18.08	-	18.08	39.90	21.82
7.	4700-34-789-01 –निर्माण कार्य	27.00	20.04	6.96	7.96	1.00
8.	4700-40-789-01-01- निर्माण कार्य	7.20	1.82	5.38	5.40	0.02
9.	4701-69-789-01- निर्माण कार्य	9.90	-	9.90	10.23	0.33
10.	4702-789-02-01-लघु सिंचाई परियोजनायें	18.76	-	18.76	19.98	1.22
11.	4702-789-02-03- जल संचयन संरचना	10.39	-	10.39	10.55	0.16
12.	4702-789-02-04- आधुनिकीकरण/उन्नयन/ पुर्नजीवीकरण	3.60	1.05	2.55	2.56	0.01
13.	4702-789-02-05- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	0.90	-	0.90	0.91	0.01
14.	4702-789-02-07- आधुनिकीकरण/उन्नयन/ पुर्नजीवीकरण/नवीनीकरण	11.36	0.20	11.16	11.33	0.17
15.	4711-01-789-02-01 – मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर (केप्रयो) के माध्यम से	2.39	-	2.39	3.85	1.46

* पुर्नविनियोजन सहित, ** केवल ₹ 2,000, *** केवल ₹ 1,000

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा इन शीर्षों के अन्तर्गत बिना निधि उपलब्धता के व्यय किये गये।

बजटीय आवंटन से अधिक व्यय किया जाना बजटीय व्यय पर दोषपूर्ण नियंत्रण तथा वित्तीय अनुश्रवण में कमी को दर्शाता है।

निधि की उपलब्धता के बिना व्यय करना

विनियोग लेखों की जाँच में यह दर्शित हुआ कि दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पण के पश्चात व्यय किया गया। विवरण तालिका 2.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.14: निधि की उपलब्धता के बिना व्यय करना

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	प्रावधान	अभ्यर्पण	व्यय
4215-01-789-01-31 नर्मदा गुडामलानी जलापूर्ति योजना (केप्रयो)	₹ 1000*	₹ 1000*	0.65
4215-01-789-01-61 भीनमाल कस्बे तथा भीनमाल तहसील के 256 गांवों के लिए जलापूर्ति योजना	₹ 1000*	₹ 1000*	4.05

* वास्तविक आंकड़े

अन्य महत्वपूर्ण मामले:

- (i) लेखापरीक्षा के दौरान यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष '2851-786-26-01' में 'मुद्रा योजना के अन्तर्गत ब्याज अनुदान' के लिये राशि ₹ 20 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में विभाग ने बताया (जुलाई 2019) कि विभाग द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई थी। वित्त विभाग के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया,

जो यह इंगित करता है कि वित्त विभाग द्वारा प्रावधान आवश्यकता/ विभागीय प्रस्ताव के बिना ही बनाये गये थे।

- (ii) लेखापरीक्षा के दौरान यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्य शीर्ष '4515-789-13-01' में 'गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना' के लिए राशि ₹ 22.34 करोड़ का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार द्वारा कोई राशि जारी नहीं की गई थी तथा सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया क्योंकि पिछले वर्ष की शेष राशि निजी निक्षेप खातों में पड़ी हुई थी। विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि 25 जिलों से प्राप्त सूचनानुसार इस योजना से संबंधित राशि ₹ 122.48 करोड़ निजी निक्षेप खातों में (1.4.2018 को शेष) पड़ी थी। इसलिए, इस वर्ष अतिरिक्त राशि जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। जो यह इंगित करता है कि योजना की प्रगति का आंकलन किये बिना प्रावधान बनाये गये।

अनुदान में टोकन प्रावधान

अनुदान की जाँच के दौरान यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2018-19 में, उक्त अनुदान के 870 कुल शीर्षों में से, 234 शीर्षों में टोकन प्रावधान किये गये थे, जो कि पुर्नविनियोजन के माध्यम से प्रावधान बढ़ाये बिना टोकन प्रावधान ही रहे तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में टोकन प्रावधान या तो अभ्यर्पित किये गये या बजट अंतिमीकरण समिति की बैठक के दौरान संशोधित अनुमानों में शून्य कर दिये गये।

पूर्व बजट भाषणों में योजनाओं की स्थिति

बजट भाषण तथा योजना की स्थिति का विवरण तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: बजट भाषण में घोषणायें तथा उन पर की गई अनुवर्तन कार्यवाही

क्र.सं	बजट भाषण की घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्तन कार्यवाही की स्थिति
1.	बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने घोषणा की कि ग्राम पंचायत जैसिधर जिला बाड़मेर में सत्र 2016-17 से एक अनुसूचित जाति के बालकों के लिए तथा एक सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय संचालित किया जायेगा, जिसके लिये राशि ₹ 4.44 करोड़ के अनुमानित व्यय का प्रावधान होगा।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) कि निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण विद्यालयों का संचालन तीन वर्षों से भी अधिक अवधि के पश्चात भी प्रारम्भ नहीं हो सका।
2.	बजट भाषण 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के ऐसे मेधावी बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से कम है, उनको निजी मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में एमबीबीएस एवं स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पृथक योजना लागू की जायेगी।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) कि योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रस्ताव/ फाईल चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है लेकिन उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र.सं	बजट भाषण की घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्तन कार्यवाही की स्थिति
3.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध करवाने के लिए “भैरो सिंह शेखावत अन्तयोदय स्वरोजगार योजना” की घोषणा की। इस योजना में आगामी वर्ष में 50 हजार परिवारों को ₹ 50,000 तक ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर बिना प्रतिभूति जमा के उपलब्ध करवाया जायेगा।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2019 तथा जनवरी 2020) कि योजना के कार्यान्वयन के लिए सहकारिता विभाग द्वारा निर्देश दिये गये थे तथा अनुमोदन के लिए वित्त विभाग को भेजे गये थे। सहकारिता विभाग के स्तर से संशोधित निर्देशों का अनुमोदन नहीं होने के कारण योजना संचालित नहीं की जा सकी। वित्त विभाग के स्तर से योजना बंद की जा चुकी है।

2.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण म. अनियमिततायें

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक बिल (एसी) तैयार करके कुछ राशि निकालने के लिए नियंत्रक एवं वितरण अधिकारी अधिकृत होते हैं तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों (डीसी) (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) को कोषालय के माध्यम से महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नियम 220(1) एसी बिलों के आहरण में तीन माह के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करना उपबन्धित करता है (सिवाय विदेश से मशीनरी/उपकरण एवं अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहाँ डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छः माह में प्रस्तुत किये जायेंगे)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 जून 2019 को राज्य सरकार द्वारा मार्च 2019 तक आहरित राशि ₹ 62.03 करोड़ के 167 एसी बिलों के संबंध में डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये। वर्ष-वार बकाया डीसी बिलों का विवरण तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में लंबन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया डीसी बिल	डीसी बिलों की राशि
मार्च 2011 तक	7	2.93
2012-13	1	1.04
2014-15	3	2.47
2016-17	5	3.27
2017-18	10	34.81
2018-19	141	17.51
योग	167	62.03

स्रोत: वित्त लेखें एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा उपलब्ध सूचना।

तालिका 2.16 से स्पष्ट है कि, राशि ₹ 2.93 करोड़ के 7 बिल 11 से 30 वर्षों तक लंबित थे तथा राशि ₹ 41.59 करोड़ के 19 बिल 2 से 5 वर्षों तक लंबित थे।

ये बकाया डीसी बिल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (राशि ₹ 27.78 करोड़ के 8 एसी बिल); पुलिस विभाग (राशि ₹ 13.29 करोड़ के 17 एसी बिल); भू-राजस्व विभाग (राशि ₹ 3.12 करोड़ के 2 एसी बिल); निर्वाचन (राशि ₹ 2.27 करोड़ के 25 एसी बिल); सहायता विभाग (राशि ₹ 1.04 करोड़ का 1 एसी बिल) तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (राशि ₹ 7.62 करोड़ के 73 एसी बिल) से संबंधित है। जून 2019 तक की अवधि तक के लंबित एसी बिलों के साथ-साथ बकाया राशि का मुख्य शीर्ष वार विवरण **परिशिष्ट 2.10** में विस्तृत है।

इसके अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान, 1,368 एसी बिलों (₹ 143.84 करोड़) में से राशि ₹ 7.02 करोड़ के 49 बिल (3.58 प्रतिशत) केवल मार्च 2019 माह में आहरित किये गये। पुलिस विभाग (राशि ₹ 5.20 करोड़ के 14 एसी बिल) तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (राशि ₹ 1.21 करोड़ के 5 एसी बिल) द्वारा उल्लेखनीय राशि ₹ 6.41 करोड़ आहरित की गई।

(i) डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना

यह भी दर्शित हुआ कि बकाया डीसी बिलों के 167 मामलों में से, 33 मामलों के एसी बिल 8 महीने से 30 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी असमायोजित थे, विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17: डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा विलम्ब के कारण दिये गये
1.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, अलवर	2245	813/19.03.2013	103.50	₹ 4,19,430 की गबन राशि का प्रस्तुतीकरण/जमा नहीं होना तथा राशि ₹ 11,30,400 के भुगतान के लिए विस्तृत दस्तावेज उपलब्ध न होना।
2.	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	2015	64/29.11.2018 73/02.12.2018	15.00 20.00	निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करना।
3.	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	2204	76/21.12.2018 77/21.12.2018	7.35 2.64	राज्य सरकार से अस्थायी यात्रा की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना।
4.	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	2051	299/06.10.2016	2.00	विभाग द्वारा विमुद्रीकरण नोटों को बदलने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
			216/10.08.2018	6.91	विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।
			260/30.08.2018	6.99	
			215/10.08.2018	7.82	
			194/06.08.2018	6.91	
195/06.08.2018	7.82				

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा विलम्ब के कारण दिये गये
5.	जिला कलक्टर, बीकानेर	2052	230/13.08.2018	70.00	संबंधित विभाग को डीसी बिल प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके हैं।
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, उदयपुर	2202	642/10.12.2018	1.03	समायोजन प्रक्रियाधीन है।
7.	प्राचार्य सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	4210 2210	1487/30.03.2018 1317/29.03.2017	2125.67 20.25	संबंधित कार्यालय द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
8.	4-राजस्थान एयर स्कवाड्रन, एनसीसी, जोधपुर	2204	40/07.06.2018	1.14	
9.	उप निदेशक (लेखे), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर	2055	283/6.1.2015 395/27.03.2015 396/27.03.2015 347/22.03.2017 367/29.03.2017 368/29.03.2017 422/28.03.2018 421/28.03.2018 348/09.02.2018 347/09.02.2018	57.00 180.50 9.60 41.00 25.00 239.00 6.00 66.50 83.50 161.50	खरीद की वस्तुओं में बदलाव की स्वीकृति राज्य सरकार से लंबित होने के कारण इन खरीद के डीसी बिल तैयार नहीं किये जा सके, जहाँ निधियों की कमी थी वहाँ अन्य खरीद में शेष बकाया राशि उपयोग की गई, एसटीसी द्वारा दोषपूर्ण बिलों का प्रस्तुतीकरण, कुछ मामलों में बजट की कमी तथा तकनीकी अयोग्यता के कारण आदेश नहीं दिया जा सका तथा पुनः निविदा की जानी थी। इसके अलावा, समायोजन के पश्चात राशि ₹ 61.17 लाख एसटीसी, नई दिल्ली के पास लंबित थी। यह दर्शित होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8(2) एवं नियम 220 की अनदेखी की गई तथा इन खरीद की तात्कालिक आवश्यकता के बिना बिल आहरित किये गये।
10.	प्राचार्य, डाइट, बीकानेर	2202	1989-1990	₹ 30,000	विभागों ने अवगत कराया कि अभिलेखों के अनुसार, बीकानेर,
11.	जिला परिषद, बांसवाडा	4202	66/13.06.1992	₹ 23,700	बांसवाडा तथा राजसमंद में एसी बिलों के माध्यम से यह राशि आहरित नहीं की गई।
12.	जिला परिषद, बांसवाडा	4202	59/27.02.1991	₹ 30,000	
13.	जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	2202	1996-1997	₹ 8,500	

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा विलम्ब के कारण दिये गये
14.	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), कोटा	2202	30/30.05.1992	₹ 25,920	कोटा के संबंध में वसूली अभी तक लंबित है।
15.	सहायक निदेशक, डाइट, जालौर	2202	1990-1991	₹ 30,000	पुराने विभाग के दूसरे विभाग में विलय के कारण डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये जा सके। कोष एवं लेखा विभाग को इन एसी बिलों का पता लगाने तथा संबंधित विभाग को जल्द से जल्द समायोजन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किये जाने आवश्यक है।
16.	राजस्व बोर्ड, अजमेर	2029	183/5.3.2008	292.18	निक्सी, नई दिल्ली से राशि ₹ 15.64 लाख की वसूली लंबित होने कारण डीसी बिल लंबित है। विभाग द्वारा वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। यह दर्शित होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 8(2) एवं नियम 220 की अनदेखी की गई तथा इन खरीद की तात्कालिक आवश्यकता के बिना बिल आहरित किये गये।

विभाग द्वारा दिये गये कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना विभाग के साथ-साथ कोषालय में अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

समेकित निधि में कार्यात्मक लेखाशीर्ष के विरुद्ध एसी बिल के माध्यम से आहरित राशि का लेखांकन होता है। जब तक खाते आवंटित समय के भीतर व्यवस्थित नहीं हो जाते, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ जाता है।

(ii) डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 8(2) में निर्धारित किया गया है कि निधियों का आहरण तभी किया जाये जब तत्काल भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान सक्षम अधिकारी से प्राधिकृत हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान डीसी बिलों की जाँच में डीसी बिलों को तैयार करने में महत्वपूर्ण देरी ध्यान में आई, विवरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

तालिका 2.18: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में बहुत देरी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत डीसी बिलों की संख्या	देरी की अवधि (माह में)	चालान द्वारा जमा कराई गई राशि (एसी बिल राशि)*	देरी के कारण
1.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, भरतपुर	1	115	6.51 (19.01)	एसी बिल के माध्यम से कनावर बांध, भगौरी बांध, महगावां बांध तथा खटनावली बांध के क्लोजिंग ऑफ ब्रीच के कार्य के लिए राशि ₹ 19.01 लाख (सितम्बर 2008) आहरित की गई थी। कार्य एक माह में पूर्ण होना था। तथापि, डीसी बिल प्रस्तुत (जुलाई 2018) करते समय चालान से राशि ₹ 6.51 लाख वापस जमा कराई गई। जो कि यह दर्शाता है कि बांधों से संबंधित मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों के लिए तत्काल भुगतान की आवश्यकता नहीं थी, जिसके बावजूद विभाग द्वारा एसी बिल के माध्यम से राशि आहरित की गई। 10 वर्षों बाद डीसी बिल प्रस्तुत करना दर्शाता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में एसी/डीसी बिलों से संबंधित नियमों का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया।
2.	सहायक निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर	1	54	0	समय से डीसी बिलों के साथ वाउचर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण।
3.	प्राचार्य, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	5	7 से 45	2.58 (18.27) 15.90 (169.96)	टूटी मशीन के प्रतिस्थापन तथा आपूर्ति आदेश में देरी के कारण।
4.	जिला कलक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, उदयपुर	3	3 से 18	2,330.68 (13,007.32) 56.06 (2,776.62) 112.08 (118.00)	प्रभावित किसानों को कृषि (आदान) अनुदान के भुगतान के लिए। कार्यालय द्वारा देरी के कारण सूचित नहीं किये गये।
5.	जिला निर्वाचन अधिकारी, सवाईमाधोपुर	3	9 से 15	0.04 (0.30) 0.03 (1.00)	कर्मचारियों के मतदाता सूची तैयार करने में व्यवस्तता के कारण देरी।
6.	जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमंद	2	9 से 12	0	
7.	मुख्य नियंत्रक, एसएन चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	4	9	0	
8.	कमान्डेन्ट-7, राजस्थान एनसीसी, कोटा	3	7 से 8	0	

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत डीसी बिलों की संख्या	देरी की अवधि (माह में)	चालान द्वारा जमा कराई गई राशि (एसी बिल राशि)*	देरी के कारण
9.	अतिरिक्त निदेशक, (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर	3	6 से 8	0	राजकॉम्प द्वारा देरी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण।
10.	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैथून (कोटा)	1	7	0	कर्मचारियों के मतदाता सूची तैयार करने में व्यवस्तता के कारण देरी।
11.	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	2	33	0	
12.	उप निदेशक, आरडीसीसी, उदयपुर	1	18	0	
		29		2,523.88	

* कोष्ठक में दिये गये आंकड़े एसी बिल की आहरित राशि को दर्शाते हैं।

विस्तृत आकस्मिक बिलों का देरी से प्रस्तुतीकरण दर्शाता है कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना राशि आहरित की गई। नियंत्रक अधिकारी/वितरण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जब तक तत्काल संवितरण की आवश्यकता ना हो एसी बिलों के माध्यम से कोई राशि आहरित नहीं की जाये।

चालान के माध्यम से जमा कराई गई महत्वपूर्ण राशि इंगित करती है कि निधियाँ बिना वास्तविक आवश्यकता के तथा कार्य की जरूरत के आंकलन के आहरित की गयी।

(iii) अन्य अनियमिततायें

सामान्य प्रकृति के कार्यों के लिए एसी बिलों के माध्यम से निधियों का आहरण

एसी बिलों की जाँच में पाया गया कि 'सिस्टम विकास तथा 3 वर्षों के रखरखाव लागत कार्य हेतु' राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड को अग्रिम भुगतान के लिए ₹ 5.27 करोड़ की राशि खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर ने एसी बिल (12345/24.11.2017) के माध्यम से आहरित की। खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने बताया (जुलाई 2019) कि कार्य रखरखाव से संबंधित है, इसलिये 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले राजकॉम्प द्वारा पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि चरण बद्ध कार्य के पूर्ण होने के पश्चात वेन्डर को भुगतान होना था। चूंकि, रखरखाव कार्य आकस्मिक प्रकृति का नहीं है, अतः एसी बिलों के माध्यम से अग्रिम भुगतान तथा निधि का आहरण को तर्कसंगत नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, यह भी ध्यान में आया कि कार्यालय के प्रमुख की वित्तीय शक्तियाँ एक समय में अधिकतम ₹ 75000 तक सीमित कर प्रत्यायोजित की गई है। इसलिये, उपर वर्णित एसी बिल प्रत्यायोजित शक्ति से अधिक के आहरित किये गये। डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों से अधिक के मामलों को वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया, लेकिन उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है। वित्त विभाग ने इस संबंध में स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभाग को पत्र जारी किये थे।

अग्रिमों का लिया जाना तथा उन्हें लेखाबद्ध नहीं करना, क्षय/दुर्विनियोजन/अपकरण आदि की सम्भावना को बढ़ाता है।

तथापि, राजस्थान में लंबित डीसी बिलों की स्थिति गत वर्षों की तुलना में बेहतर थी क्योंकि वर्ष 2013-14 में ₹ 323.57 करोड़ के 1,082 लंबित डीसी बिल उल्लेखनीय राशि एवं संख्या के साथ गिरकर वर्ष 2018-19 में ₹ 62.03 करोड़ के 167 बिल रह गये, जो कि आन्तरिक नियंत्रण तंत्र में सुधार को दर्शाता है

अध्याय III वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

यह अध्याय, वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि), 2012 के नियम 284 एवं 286 में निर्धारित किया गया है कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों¹ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये।

विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2017-19 के दौरान जारी की गई सहायतार्थ अनुदान तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1 : स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई अनुदाने

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19
(अ) स्थानीय निकाय		
नगर निगम एवं नगरपालिकाएँ	3,695.48	3,811.13
पंचायती राज संस्थान	18,550.27	14,834.25
योग (अ)	22,245.75	18,645.38
(ब) अन्य		
शैक्षणिक संस्थान, (अनुदानित विद्यालय, अनुदानित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि)	1,283.29	1,452.88
विकास प्राधिकरण	11.68	13.65
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	918.96	1,241.07
अन्य संस्थान	10,525.42	13,509.23 ²
योग (ब)	12,739.35	16,216.83
योग (अ+ब)	34,985.10	34,862.21

स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित वाउचर ।

- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 285 (4) के अनुसार, सामान्य उद्देश्य यथा राज्य निधि अथवा केन्द्रीय सहायता योजनांतर्गत वेतन एवं स्थापना व्यय, हेतु जारी किये गये अनुदानों के मामलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।
- इसमें मुख्यतया: (i) सहकारी संस्थानों: ₹ 3,700 करोड़; (ii) शिक्षा: ₹ 2,214 करोड़; (iii) परिवार कल्याण: ₹ 1,906 करोड़; (iv) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत: ₹ 1,492 करोड़ तथा (v) फसल कृषि-कर्म: ₹ 1,037 करोड़ हेतु दिया गया अनुदान शामिल है।

यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य/विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ₹ 29,868.64 करोड़³ का सहायतार्थ अनुदान प्रदान किया गया था। यद्यपि, मार्च 2019 तक विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी किये गये अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक) को दो विभागों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी) (₹ 44.45 करोड़) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 1.13 करोड़) के अलावा प्रस्तुत नहीं किये गए थे। महालेखाकार (लेखा व हक) विशिष्ट अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के मामले में वित्त विभाग के साथ समन्वय कर रहा है। इसके अलावा, प्रासंगिक नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये, महालेखाकार (लेखा व हक) को विशिष्ट अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुदान ग्रही विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति की शर्तों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के साथ पत्राचार भी किया जा रहा है।

इस प्रकार, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गई सहायतार्थ अनुदान से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखाओं में प्रकट नहीं किये जा सके। इसके अलावा, 2004-05 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन दो विभागों (तालिका 3.3) को प्रदान की गई अनुदानों (₹ 76.56 करोड़) में से, विभाग से कुल मिलाकर ₹ 5.97 करोड़ के 195 उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2019 तक महालेखाकार (लेखा व हक) को प्राप्त होने बकाया थे। इन दो विभागों की वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति तालिका 3.2 में सांराशीकृत है।

तालिका 3.2: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

विलम्ब की सीमा वर्षों में	30 जून 2019 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	146	5.21
1-3	6	0.12
3-5	12	0.07
5-7	20	0.33
7-9	10	0.12
9 एवं अधिक	1	0.12
योग	195	5.97

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया राशि का लगभग 94.97 प्रतिशत मुख्यतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (185 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 5.67 करोड़) से सम्बन्धित थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण तालिका 3.3 में सांराशीकृत किया गया है।

³ सामान्य उद्देश्यों यथा वेतन (₹ 5,116.24 करोड़) तथा कुछ अन्य विशेष अनुदानों (₹ 0.22 करोड़) के लिए उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि को छोड़ कर जहाँ वित्तीय नियमों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं थी।

तालिका 3.3: विभाग-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति

क्र. सं.	विभाग/ मुख्य शीर्ष	अनुदान जारी करने का वर्ष	जारी किया गया कुल अनुदान		उपयोगिता प्रमाण-पत्र			
			संख्या	राशि (₹ लाख में)	प्राप्त		बकाया	
					संख्या	राशि (₹ लाख में)	संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	समाज कल्याण (2225)	2004-05	308	235.47	307	223.74	1	11.73
2	समाज कल्याण (2235)	2017-18	134	4,463.88	125	4,444.92	9	18.96
3	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (3425)	2009-10	55	84.65	53	83.80	2	0.85
		2010-11	35	176.76	27	166.24	8	10.52
		2011-12	38	752.67	30	735.04	8	17.63
		2012-13	43	1,038.54	31	1,022.58	12	15.96
		2013-14	35	146.67	26	140.26	9	6.41
		2014-15	56	57.66	53	56.90	3	0.76
		2015-16	35	84.71	29	72.35	6	12.36
		2017-18	173	615.29	36	112.97	137	502.32
	योग		912	7,656.30	717	7,058.80	195	597.50

इन दो विभागों में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या तथा राशि वर्ष 2017-18 में 62 उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि ₹ 2.34 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 195 उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि ₹ 5.97 करोड़ हो गयी।

इसके अलावा, पंचायती राज संस्थानों/नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं जिन्होंने 63.56 प्रतिशत अनुदान प्राप्त किया को स्वीकृत अनुदानों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत नहीं किये गये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सूचित (फरवरी 2020) किया कि वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत राशि ₹ 2,008.44 करोड़ में से, राशि ₹ 1,441.74 करोड़ उपयोग की गई तथा राशि ₹ 566.70 करोड़ अव्ययीत शेष है जिसे अगले वर्ष देय अनुदानों के समक्ष समायोजित किया जायेगा।

इसलिये, यह स्पष्ट है कि विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं तथा उनका संधारण कर रहे हैं। परंतु इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्वीकृतियाँ एवं विवरण लेखों में सम्मिलित करने के लिए महालेखाकार (लेखा व हक) को नहीं भेजे जा रहे हैं।

महालेखाकार (लेखा व हक) को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में, यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई अनुदान का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसके अलावा, उपयोगिता प्रमाण पत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण यह दर्शाता है कि विभागीय अधिकारी सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं की जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए नियमों की पालना करने में विफल रहे।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण का लंबित रहना निधियों की जालसाजी एवं दुर्विनियोजन की जोखिम से भरा रहता है।

सिफारिश 15:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी विभाग निर्धारित समय में सहायतार्थ अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रस्तुत करें तथा यह आश्वस्त करे कि अनुदान निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किये गये है।

3.2 स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

3.2.1 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें (डीपीसी)) एक्ट, 1971 अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत जिन संस्थाओं की लेखा परीक्षा की जानी है, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष (i) विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता (ii) प्रदान की गई सहायता का उद्देश्य और (iii) संस्थाओं के कुल व्यय के संबंध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख जो निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची, जिनको कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख और अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया था, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय, इंगित करते हुए लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

विभिन्न स्वायत्त निकायों (एबी) द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखों के आधार पर सीएजी (डीपीसी) एक्ट, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जाती है। इस धारा के अन्तर्गत 149 स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण⁴ शामिल है। इनकी लेखापरीक्षा लेनदेनो, परिचालन गतिविधियों और लेखों, प्रणालियों/प्रक्रियाओं की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण आदि के संबंध में की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 36 निकायों/प्राधिकरणों से संबंधित कुल 62 लेखों (गत वर्षों के लेखों सहित) की लेखापरीक्षा की गई थी।

यद्यपि, वर्ष 2017-18 तक 64 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 96 वार्षिक लेखें जून 2019 तक प्राप्त नहीं हुये थे। निकायों/प्राधिकरणों के विभाग-वार विवरण जिन्होंने लेखापरीक्षा के लिये अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत नहीं किया था,

⁴ महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में उद्योग विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग के 7 निकाय/प्राधिकरण आते हैं।

परिशिष्ट 3.1 में दिये गये हैं। प्रस्तुतीकरण के अभाव में लम्बित रहे वार्षिक लेखों का अवधि-वार विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखों का अवधि-वार विवरण

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या
0-1	51
1-3	9
3-5	2
5 वर्ष से अधिक	2
योग	64

जैसाकि, तालिका से स्पष्ट है कि 62 निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में 1 से 5 वर्षों के मध्य विलम्ब था, जबकि दो निकायों/प्राधिकरणों के संबंध में पाँच वर्ष से अधिक का विलम्ब था।

इसके अलावा, अधिकांश विभागों ने उस प्रयोजन को अवगत नहीं कराया जिसके लिये सहायता स्वीकृत की गई थी जैसाकि लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 में अभिनिर्धारित है। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा विधानमण्डल/सरकार को उनके द्वारा स्वीकृत/भुगतान किए गए अनुदान के उपयोग के तरीके के बारे में, विशेष रूप से विचलन तथा गलत उपयोग के प्रकरणों पर आश्वासन प्रदान करने में सक्षम नहीं थी।

3.2.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

राज्य में 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों⁵ के लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) एक्ट 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है। ये स्वायत्त निकाय राज्य सरकार द्वारा कानूनी सहायता, मानवाधिकार, खादी के विकास, बिजली विनियमन तथा निर्माण कर्मकारों के कल्याण के क्षेत्र में स्थापित की गई हैं।

भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (बीओसीडब्ल्यू) के वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लेखे तथा दो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए), चित्तौड़गढ़ एवं सिरौही के वर्ष 2017-18 के लेखों के अतिरिक्त सभी 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2017-18 तक के लेखे जून 2019 तक प्राप्त हो चुके थे।

राजस्थान राज्य विविध सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के संबंध में वर्ष 2017-18 तक की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ की

⁵ राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग तथा 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

वर्ष 2015-16 तक की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही की वर्ष 2016-17 तक की तथा भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की वर्ष 2015-16 तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) जारी किये जा चुके हैं।

लेखापरीक्षा प्राधिकृत करने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा इसे विधायिका के पटल पर रखने की स्थिति को **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।

3.3 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करने वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों हेतु निर्धारित प्रारूप में वार्षिक प्रोफार्मा लेखे तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं, ताकि सरकार उनके कार्यकलापों का आंकलन कर सके। सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार कर. और उन्हें. वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने के छह माह के भीतर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत करें। मार्च 2019 तक, 10 में से केवल एक उपक्रम द्वारा वर्ष 2017-18 तक के लेखे प्रस्तुत किये गये तथा एक उपक्रम द्वारा वर्ष 2018-19 तक के लेखे प्रस्तुत किये गये।।

विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनके व्यवसाय के संचालन में उनके समग्र वित्तीय परिस्थितियाँ और दक्षता को प्रदर्शित करते हैं। सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति, जिसके लिये प्रोफार्मा लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया है एवं इन उपक्रमों की संचित हानि को **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। यह दृष्टिगत हुआ कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक 10 उपक्रमों के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा राशि ₹ 16,885.83 करोड़ का निवेश किया गया था। इनमें से, विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से लगातार हानि में चल रहे आठ उपक्रमों की संचित हानि ₹ 13,857.86 करोड़ रही। अधिकांश संचित हानि (99.91 प्रतिशत) राजस्थान जलापूर्ति एवं मल निकास प्रबंधन मण्डल से संबंधित है, जो कि राज्य में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के नेटवर्क के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति एवं मल निकास के रखरखाव का काम करती है।

सिफारिश 16:

विभागों के प्रमुख लेखों के अंतिमीकरण में देरी के कारणों का पता लगाने तथा इन उपक्रमों की दक्षता और जवाबदेयता में सुधार के लिए समय से लेखे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता हेतु सुधारात्मक उपाय आरम्भ करने चाहिये।

3.4 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 20 में उल्लेखित है कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, मुद्रांकों, भण्डार या अन्य सम्पत्तियों की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक विभिन्न विभागों के दुर्विनियोजन/गबन (328) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (503) के राशि ₹ 79.45 करोड़ के 831 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही लम्बित (जून 2019) थी। दुर्विनियोजन, हानि एवं जालसाजी के अधिकांश मामले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (₹ 22.75 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 14.25 करोड़), राजस्व विभाग (₹ 13.09 करोड़) से संबंधित है। इन लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.4** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक श्रेणी में चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन के लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.5** में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.5: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि का विवरण

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)
0-5	219	37.75	सामग्री की चोरी/हानि	503	21.19
5-10	138	17.24	दुर्विनियोजन/गबन	328	58.26
10-15	163	10.30			
15-20	124	7.31			
20-25	108	4.41	-	-	-
25 एवं अधिक	79	2.44	-	-	-
योग	831	79.45	कुल लम्बित प्रकरण	831	79.45

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को **तालिका 3.6** में वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 3.6: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के बकाया प्रकरणों के विलम्ब के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब का कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	308	39.37
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	447	33.96
न्यायालयों में बकाया	76	6.12
योग	831	79.45

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

सिफारिश 17:

जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निपटायी जानी चाहिये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

3.5 निजी निक्षेप खाते

निजी निक्षेप (पीडी) खाता, लोक लेखे के जमा शीर्ष के अन्तर्गत संबंधित कोषालय के साथ खोले जाने वाला एक खाता है। ये खाते एक बैंक खाते की तरह कोषालय में अनुरक्षित किये जाते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि उन्हें किन्ही कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्ही सामान्य आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2018-19 के दौरान, पीडी खाते के मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-106-निजी निक्षेप में राशि ₹ 31,821.06 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय (₹ 1,87,524 करोड़) का 16.9 प्रतिशत था, जिसमें से ₹ 24,914.25 करोड़ राज्य की समेकित निधि को नामे (डेबिट) करके हस्तान्तरित किये गये। कुल राशि में से, ₹ 5,002.11 करोड़ (20.08 प्रतिशत) की राशि मात्र मार्च 2019 में पीडी खातों में हस्तान्तरित/जमा की गई। राज्य बजट नियमावली के अनुसार बजट अनुदान को समाप्त होने से बचाने के लिये राशि आहरित करने की कार्यप्रणाली तथा सार्वजनिक खातों या बैंक में इस तरह की धन राशि को रखना निषिद्ध है। मार्च माह में निजी निक्षेप खाते में व्यापक राशि का हस्तान्तरण अपर्याप्त बजटरी नियंत्रण को दर्शाता है।

31 मार्च 2019 को राज्य सरकार के इन पीडी खातों (प्रचलित एवं अप्रचलित)की स्थिति तालिका 3.7 में दी गई है।

तालिका 3.7: प्रचलित एवं अप्रचलित पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीडी खातों की संख्या (01 अप्रैल 2018 को)		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		पीडी खातों की संख्या (31 मार्च 2019 को)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रचलित निजी निक्षेप खाते	1,646	9,536.59	253	31,822.20*	36	28,033.38**	1863	13,325.41
अप्रचलित निजी निक्षेप खाते (पाँच वर्षों से अधिक)	20	1.98	36	0.18	20	1.98	36	0.18
योग	1,666	9,538.57	289	31,822.38	56	28,035.36	1899	13,325.59

* अप्रचलित पीडी खाते से ₹ 1.14 करोड़ हस्तांतरित राशि सम्मिलित है।

** बंद पीडी खाते ₹ 0.84 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

वर्ष के दौरान पीडी खातों में राशि ₹ 31,821.06 करोड़ हस्तान्तरित/जमा की गई। कुल हस्तान्तरित राशि में से 1,899 पीडी खातों में ₹ 13,325.59 करोड़ का अव्ययीत शेष था। इनमें, 21 पीडी खाते⁶ (प्रत्येक में ₹ 100 करोड़ और अधिक का शेष), जिनमें ₹ 7,685.59 करोड़ की राशि अर्थात् कुल अव्ययीत शेषों का 57.68 प्रतिशत था, सम्मिलित है।

अवधि-वार पीडी खातों का विवरण तालिका 3.8 में दिया गया है:

तालिका 3.8: 31 मार्च 2019 तक पीडी खातों का अवधि-वार विवरण

क्र.सं.	पीडी खातों का आयु सीमा	पीडी खातों की संख्या	31 मार्च 2019 तक राशि (करोड़ में)
1.	0-1 वर्ष	245	215.67
2.	1-3 वर्ष	216	3,903.42
3.	3-5 वर्ष	50	305.41
4.	5-10 वर्ष	526	2,197.22
5.	10 वर्ष से अधिक	667	5,687.50
6.	विवरण उपलब्ध नहीं	195	1,016.37
	योग	1,899	13,325.59

पीडी खातों के विस्तृत विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें दर्शित हुईं:

3.5.1 राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा संचालित नयी पेंशन योजना के लिए पीडी खाता

नई पेंशन योजना (एनपीएस)⁷ को लागू करने के लिए, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक कोषालय कार्यालय में एनपीएस अंशदान के लिए बजट

⁶ राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹ 1,057.06 करोड़); उप प्रबंधक, राजस्थान राज्य कॉरपोरेशन बैंक, जयपुर शहर (₹ 986.49 करोड़); सचिव, राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जयपुर (शहर) (₹ 873.02 करोड़); राज कॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 616.93 करोड़); राजस्थान शहरी ढाँचागत वित्त एवं विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 578.67 करोड़); डीएमएफटी, भीलवाड़ा (₹ 479.95 करोड़); डीएमएफटी, राजसमन्द (₹ 457.59 करोड़); निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर (₹ 451.74 करोड़); निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर (सचिवालय) (₹ 414.09 करोड़); प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹ 226.10 करोड़); इन्दिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय) (₹ 198.48 करोड़); आयुक्त, जन जाति विकास विभाग, उदयपुर (₹ 164.05 करोड़); कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा (₹ 161.09 करोड़); अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर (₹ 154.68 करोड़); चेयरमैन, डीएमएफटी फण्ड, अजमेर (₹ 149.74 करोड़); राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर शहर (₹ 146.95 करोड़); प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पुल/सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 126.52 करोड़); डीएमएफटी, उदयपुर (ग्रामीण) (₹ 126.43 करोड़); डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़ (₹ 114.42 करोड़); डीएमएफटी, पाली (₹ 101.56 करोड़) एवं राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर शहर (₹ 100.03 करोड़)।

⁷ नयी अंशदायी पेंशन योजना, नेशनल पेंशन प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है।

शीर्ष 8443-106-00 के अन्तर्गत अलग से एक पीडी खाता (479) खोलने का निर्णय (12 अक्टूबर 2011) लिया। राज्य सरकार/पंचायती राज के कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के अंशदान उनके वेतन से काटा जायेगा। राज्य बीमा तथा प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कटौती के अंक मिलान के बाद राशि ट्रस्टी बैंक (बैंक ऑफ इण्डिया) को आगे हस्तान्तरण करने के लिये पीडी खाता संख्या 479 में हस्तान्तरित की जायेगी। चूंकि यह पीडी खाता ब्याज रहित खाता है, अतः कर्मचारी योगदान पर प्रतिफल ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरण के पश्चात ही प्राप्त होगा।

वर्ष 2018-19 के लिये इस पीडी खाते के कोषालयवार अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह दर्शित हुआ कि 16 कोषालयों में ₹ 30.17 करोड़⁸ का प्रारम्भिक शेष था, जो कि 20 कोषालयों में बढ़कर ₹ 90.79 करोड़⁹ का अंतिम शेष हो गया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि ₹ 90.79 करोड़ में से, डूंगरपुर कोषालय द्वारा ₹ 27 करोड़ गलती से पीडी खाते में हस्तान्तरित किये गये थे तथा इसे अंतरण प्रविष्टि (अप्रैल 2019) द्वारा सही कर दिया गया था। मार्च 2019 के अंतिम सप्ताह में 3 कोषालयों द्वारा राशि ₹ 29.32 करोड़ हस्तान्तरित किये गये तथा अन्य कोषालयों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा था। विभाग ने आगे बताया (सितम्बर 2019) कि राशि ₹ 18.38 करोड़ लीगेसी राशि पर ब्याज से संबंधित थी तथा ₹ 0.66 करोड़ जो कि पीडी खाते को नामे की जानी थी त्रुटिवश एलआईसी को नामे कर दी गई थी तथा समायोजन प्रक्रियाधीन था। इसके अलावा, फरवरी तथा मार्च से संबंधित राशि ₹ 12.59 करोड़ के अंक मिलान की प्रक्रिया प्रगतिरत थी। शेष राशि ₹ 2.84 करोड़ के लिए, कोई टिप्पणी नहीं की गई थी।

यद्यपि, तथ्य यह है कि राशि ₹ 15.43 करोड़ की कटौती कर्मचारी के एनपीएस अंशदान हेतु या तो फरवरी/मार्च में या उससे पहले की गई थी, जो कि सितम्बर 2019 तक ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरण करने के लिए लंबित थी। इसके परिणामस्वरूप अंशदानों के ट्रस्टी बैंक को हस्तान्तरण तक कर्मचारी को देय लाभ का विलम्बन हुआ।

3.5.2 सरकारी कर्मचारी को भवन निर्माण ऋण के लिए पीडी खाता

राजस्थान सरकार ने दो बैंको एसबीबीजे तथा एचडीएफसी के सहयोग से सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम (एचबीए) उपलब्ध करवाने के लिये एक नई योजना (जनवरी 2004) शुरू की। तदनुसार, 1.4.2004 से, राज्य कर्मचारियों को इन

⁸ जयपुर (ग्रामीण), अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झालावाड़, करौली, अलवर, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, जयपुर (सचिवालय), धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर (शहर), जयपुर कोषालय कार्यालय (पेंशन) तथा चूरू।

⁹ जयपुर (ग्रामीण), अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, झालावाड़, करौली, अलवर, कोटा, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, जयपुर (सचिवालय), धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर (शहर), जयपुर कोषालय कार्यालय (पेंशन), डूंगरपुर, नागौर, जालौर, दौसा एवं झुन्झुनू।

बैंकों से सीधे भवन निर्माण अग्रिम दिया जाना था। बकाया एचबीए का शेष भी बैंकों को हस्तान्तरित किया जाना था। बकाया एचबीए की वसूली बैंक के एस्करो खाते¹⁰ में भेजने से पूर्व कटौतियों (मूल/ब्याज) को रखने के लिए एक निजी निक्षेप खाता (संख्या 473) खोला जाना था। योजना के अनुसार, एचबीए ऋण की ₹ 319.71 करोड़ (अप्रैल 2004 से पूर्व की) की बकाया राशि बैंक द्वारा अधिग्रहित की गई थी।

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रणाली (14 मई 2004) के अनुसार, कोषालय अधिकारियों को प्रबंधक, एसबीबीजे के साथ मासिक लेखों के मिलान के पश्चात् पीडी खाते (संख्या 473) से वसूली (मूल/ब्याज) का हस्तान्तरण, इस प्रयोजन के लिये 'भवन ऋण के पुनर्भुगतान' के नाम से खोले गये एस्करो खाते में करना आवश्यक था।

यद्यपि, यह दर्शित हुआ कि मार्च 2019 तक पीडी खाता (संख्या 473) में पड़ी हुई मूल एवं एचबीए के ब्याज की कटौती ₹ 39.04 करोड़ एस्करो खाते में हस्तान्तरण की जानी थी। जो यह दर्शाता है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों से मूल एवं ब्याज की कटौती कर ली थी, तथापि, उनके ऋण खाते में जमा होनी लंबित थी। यह उस सीमा तक राज्य सरकार के दायित्व को भी प्रदर्शित करती है।

इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया (मार्च 2007) कि मौजूदा एचबीए 'मुख्य शीर्ष 7610-सरकारी कर्मचारी को ऋण' के तहत शेष राशि सरकारी खाते में शून्य कर दी जावेगी, क्योंकि सभी बकाया एचबीए को राजस्थान सरकार द्वारा एसबीबीजे को हस्तान्तरित कर दिया गया था तथा सभी आधिक्य/समायोजन प्रविष्टियाँ सरकारी लेखों में मुख्य शीर्ष 7610 के स्थान पर पीडी खाते के माध्यम से की जावेगी। यद्यपि, यह दर्शित हुआ कि मार्च 2019 तक सरकारी लेखे (मुख्य शीर्ष 7610) में राशि ₹ 67.32 लाख का शेष पड़ा हुआ था। जो कि यह दर्शाता है कि ₹ 67.32 लाख के एचबीए ऋण को पीडी खाते या बैंक के एस्करो खाते में हस्तांतरित किया जाना अभी तक लंबित था।

कोष एवं लेखा विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2019) कि पेंशन विभाग द्वारा इस खाते में दिखाई गई राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भवन निर्माण अग्रिम से सम्बन्धित है। इन शेषों को पीडी खातों या बैंक के एस्करो खाते में हस्तान्तरण करने की आवश्यकता है।

¹⁰ एस्करो खाता दो पक्षों के बीच लेन-देन की प्रक्रिया के दौरान तीसरे पक्ष द्वारा रखे गए खाते में एक अस्थायी पास है। यह एक अस्थायी खाता है जो कि लेन-देन की प्रक्रिया पूरी होने तक संचालित होता है, जिसे खरीदार और विक्रेता के बीच की सभी शर्तों के बाद लागू किया जाता है।

3.5.3 पिछले प्रतिवेदनों में प्रदर्शित मदों का अनुपालन

पिछले वर्ष, दो पीडी खातों का विस्तृत विश्लेषण किया गया था तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 में प्रदर्शित किया गया था। अनुच्छेद 3.5.1 तथा 3.5.2 की अनुपालना की विवेचना नीचे की गयी है:

(i) जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 के अनुच्छेद 3.5.1 के अनुसार, यह ध्यान में आया कि डीएमएफटी निधियों का अंतिम शेष वर्ष 2017-18 में ₹ 1,629.02 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 2,177.54 करोड़ हो गया, जो कि 35 पीडी खातों में पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, राशि ₹ 498.17 करोड़ संबंधित डीएमएफटी निधियों में हस्तान्तरण के लिए वर्ष 2017-18 से लंबित थे।

निदेशालय, खान एवं खनिज ने अवगत कराया (अगस्त 2019) कि अगस्त 2019 तक इस खाते में ₹ 450.89 करोड़ पड़े हुए हैं, इसमें से राशि ₹ 402.74 करोड़ का अंक मिलान किया जा चुका है तथा संबंधित जिलों को हस्तान्तरण की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं।

डीएमएफटी के नाम से सभी जिलों में ब्याज रहित पीडी खाते खोलने के लिए वित्त (मार्गोपाय) विभाग ने निर्देशित (अप्रैल 2017) किया। इन ब्याज रहित पीडी खातों को बाद में ब्याज वाले पीडी खातों में परिवर्तित (जून 2018) किया जाना था।

विभाग ने अवगत कराया (अगस्त 2019) कि ब्याज रहित पीडी खातों को डीएमएफटी के नाम से ब्याज वाले पीडी खातों में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव अभी नहीं किया गया है तथा प्रक्रियाधीन है।

(ii) राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017-18 के अनुच्छेद 3.5.2 में बताया गया है कि मार्च 2018 को राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर के पीडी खाते में राशि ₹ 355.56 करोड़ का अव्ययीत शेष था, जो मार्च 2019 में बढ़कर ₹ 616.93 करोड़ हो गया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विभाग को शेष राशि लौटाई जायेगी।

उपर्युक्त पीडी खातों के शेषों में वृद्धि इंगित करती है कि पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद भी वित्त विभाग इन पीडी खातों में धन के अवरुद्ध रहने की जाँच करने में विफल रहा।

पीडी खातों में अव्ययीत राशि को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करना निधियों के दुरुपयोग, कपट तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

सिफारिश 18:

वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इन पीडी खातों में पड़ी निधियों को इन खातों में अवरुद्ध रखने की बजाय इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए।

3.5.4 अप्रचलित निजी निक्षेप खाते

राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 यह प्रदत्त करता है कि कोषधिकारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में प्रचलित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में अप्रचलित रहे खातों की सूची तैयार करेगा एवं इनको बन्द करने की अनुशंसा करेगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे गये पीडी खातों की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2019 को, राशि ₹ 18.35 लाख के शेष वाले कुल 36 पीडी खाते गत पाँच वर्षों (2014-19) से अप्रचलित थे। इन पीडी खातों की वर्तमान स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। इनमें से 12 अप्रचलित पीडी खातों में पिछले पाँच वर्षों में शून्य शेष है, जबकि 6 पीडी खातों (शून्य शेष सहित 3 पीडी खातों) को बन्द कर दिया गया है। यह कोषालय स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है। इन खातों को कोषालय द्वारा यथाशीघ्र बंद करने की आवश्यकता है।

पाँच वर्षों तक अप्रचलित रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद नहीं किया जाना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(2) तथा राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.5.5 स्थानीय निधियों को जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 के अनुसार जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा-109-पंचायत निकाय निधियों के अन्तर्गत) का रखरखाव करती है, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल हुआ या वसूली योग्य राशि और पंचायती राज संस्थानों द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशि, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि और स्व-राजस्व, जिसमें पंचायतों की कर प्राप्तियाँ और कर-भिन्न प्राप्तियाँ शामिल हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 79 यह परिकल्पित करती है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा धारित किया जावेगा। अधिनियम के तहत

वसूल हुई या वसूली योग्य राशि और नगरपालिका द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशि को नगरपालिका निधि के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों को जमा-102-नगरपालिका निधि में रखा जाता है।

31 मार्च 2019 को पंचायती राज संस्थानों की स्थानीय निधियों एवं नगरपालिका निधि में जमा की स्थिति तालिका 3.9 में दी गई है।

तालिका 3.9: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद निधि (8448-109-03)				पंचायत समिति निधि (8448-109-02)				वर्ष के अंत में कुल अंतिम शेष	नगरपालिका निधि (8448-102)			
	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष		प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5+9) 10	11	12	13	14
2012-13	1,104.83	2,356.16	2,044.31	1,416.68	470.2	884.48	704.67	650.01	2,066.69	337.78	1,545.16	1,284.08	598.86
2013-14	1,416.68	2,619.37	2,578.78	1,457.27	650.01	1,568.13	1,473.86	744.28	2,201.55	598.86	1,637.98	1,688.86	547.98
2014-15	1,457.27	2,732.06	2,753.13	1,436.20	744.28	1,289.63	1,140.81	893.10	2,329.30	547.98	1,841.45	1,772.50	616.93
2015-16	1,436.20	4,412.58	3,879.91	1,968.87	893.1	1,091.19	967.73	1,016.56	2,985.43	616.93	2,217.67	1,903.89	930.71
2016-17	1,968.87	3,044.50	3,330.05	1,683.32	1,016.56	1,546.68	1,283.19	1,280.05	2,963.37	930.71	2,647.54	2,160.13	1,418.12
2017-18	1,683.32	2,220.82	2,032.13	1,872.01	1,280.05	1,599.99	1,430.26	1,449.78	3,321.79	1,418.12	2,351.12	2,117.23	1,652.01
2018-19	1,872.01	1,781.83	2,144.98	1,508.86	1,449.78	1,776.44	1,762.27	1,463.95	2,972.81	1,652.01	2,527.25	2,775.08	1,404.17

यह देखा गया कि वर्ष 2012-19 के दौरान, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि तथा नगरपालिका निधि में वृहत् शेष उपयोग के लिए लंबित पड़े हुए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान इन निधियों में अन्तिम शेष क्रमशः ₹ 1,508.86 करोड़, ₹ 1,463.95 करोड़ एवं ₹ 1,404.18 करोड़ था।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों अनुसूचित बैंक की निकटतम शाखा में भी खाते संचालित करती हैं। ग्राम पंचायतों के इन खातों में पड़ी अनुपयोजित निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इनका विवरण ना तो पंचायत समिति स्तर पर ना ही जिला परिषद स्तर पर संकलित किया गया था। ये शेष कोषालय लेखा में भी संधारित नहीं किये जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सूचित (अगस्त 2019) किया कि लेखापरीक्षा की अनुपालना में ग्राम पंचायत के खातों में अनुपयोजित निधियों के विवरण को पंचायत समिति स्तर या जिला परिषद स्तर पर संकलित करने के दिशा निर्देश जारी (कार्यालय आदेश 1929 दिनांक 30 जुलाई 2019 के द्वारा) कर दिये गये हैं।

3.6 ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष (नामे शीर्ष में जमा शेष तथा जमा शीर्ष में नामे शेष) उन लेखाशीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक शेष हैं, जहाँ ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिये।

उदाहरणार्थ, किसी कर्ज या अग्रिम के लेखांकन शीर्ष में, ऋणात्मक शेष अग्रिम दी गई वास्तविक राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

31 मार्च 2019 तक ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के अन्तर्गत 10 मुख्य शीर्षों में राशि ₹ 1,457.92 करोड़ के 65 प्रकरणों¹¹ में प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यतः नगरपालिकाओं/नगर परिषदों के कर्मचारियों की पेंशन निधि (₹ 1,376.65 करोड़) के अन्तर्गत थे।

सिफारिश 19:

ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के 65 प्रकरणों में प्रतिकूल शेषों की राशि ₹ 1,457.92 करोड़ का प्राथमिकता से अंक मिलान एवं समायोजन करने की आवश्यकता है।

3.7 लेखों में अस्पष्टता

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे सभी महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी जानकारी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्ति एवं व्यय को वस्तुतः दर्शा सकें।

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 53 मुख्य लेखाशीर्षों (जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 10,692.43 करोड़ लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 5.74 प्रतिशत था।

मुख्य कार्यों जिनमें व्यय हुआ वित्त लेखों में अलग से नहीं दर्शाये गये परन्तु लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत शामिल किये गये, उन्हें तालिका 3.10 में सारांशीकृत किये गये हैं।

¹¹ केन्द्र सरकार से कर्जे तथा अग्रिम (सात मामले: ₹ 12.23 करोड़), कृषि फसल कर्म के लिए ऋण (एक मामला: केवल ₹ 7,200), सरकारी कर्मचारियों को कर्जे (46 मामले: ₹ 2.71 करोड़), राज्य प्रावधायी निधि (एक मामला: ₹ 0.01 करोड़), बीमा तथा पेंशन निधि (एक मामला: ₹ 1,376.65 करोड़), स्थानीय निधि में जमा (एक मामला: ₹ 11.05 करोड़), सिविल जमा (एक मामला: ₹ 48.98 करोड़), उच्चतम लेखा (तीन मामले: ₹ 3.22 करोड़), सरकार द्वारा जमानत जमा (एक मामला: ₹ 0.33 करोड़) तथा उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन (तीन मामले: ₹ 2.74 करोड़)।

तालिका 3.10: लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय की योजना-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि
1.	सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत जिला और अन्य सड़कें	2,537.12
2.	परिवार कल्याण के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1,261.10
3.	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के अन्तर्गत लघु और सीमांत कृषकों के अलावा कृषि आदान अनुदान	1,195.41
4.	मुख्य, मध्यम तथा सिंचाई (सभी सिंचाई परियोजनाओं) के अन्तर्गत पूंजी लेखों पर ब्याज का कल्पित समायोजन	1,093.57
5.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत लघु तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास के लिए स्थानीय निकायों आदि को जारी निधियाँ	566.93
6.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अन्तर्गत निवेश सहाय्य से संबंधित व्यय	474.73
7.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अन्तर्गत कृषि फसलों, बागवानी फसलों तथा वार्षिक लीज फसलों के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कृषि आदान अनुदान	337.59
8.	मुख्य शीर्ष सड़कों एवं पुलों के अन्तर्गत जिला सड़कों तथा अन्य सड़कों तथा महानगरीय सड़कों का रखरखाव	296.72
9.	सहकारिता के अन्तर्गत सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों/लेनदारों को ब्याज अनुदान	260.04
10.	सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति	128.45
11.	शहरी विकास के अन्तर्गत राजस्थान परिवहन ढाँचागत विकास निधि	110.98
12.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्र विकास (सीएसएस) के लिए जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को सीमा क्षेत्र विकास (केन्द्रीय सहायता) हेतु जारी निधियाँ	110.49
13.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना तथा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना	107.62
14.	फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	106.03
15.	फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	100.54
	योग	8,687.32

यद्यपि इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए विस्तृत मांग के नीचे तथा सम्बन्धित शीर्षवार विनियोग लेखे, जोकि राज्य सरकार के लेखों के भाग है, में प्रदर्शित किया गया है, 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित वृहद् राशि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

सिफारिश 20 :


वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखा व हक) के परामर्श से लेखों को अस्पष्टता से बचाने के लिए 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदर्शित होने वाले सभी मदों के लिए व्यापक समीक्षा आयोजित करनी चाहिये तथा भविष्य में ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को उचित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

जयपुर,
25 जुलाई, 2020


(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-1), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
27 जुलाई, 2020


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग (अ)

(राज्य के सामाजिक संकेतक देखें; पृष्ठ 1)

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक संकेतक

अ. सामान्य आंकड़े

क्र.सं.	विवरण	आंकड़े	
1	क्षेत्रफल	3,42,239 वर्ग किमी	
2	जनसंख्या		
	अ 2001 की जनगणनानुसार	5.65 करोड़	
	ब 2011 की जनगणनानुसार	6.85 करोड़	
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.	
	जनसंख्या घनत्व^ 2011 (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.	
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या * (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9 प्रतिशत)	14.7 प्रतिशत	
5	अ कुल साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 65.4 प्रतिशत)	60.4 प्रतिशत	
	ब कुल साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 प्रतिशत)^@	66.1 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ** (2017) (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)	38	
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा** (2012-16) (अखिल भारतीय औसत = 68.7 वर्ष)	68.3 वर्ष	
8	वर्तमान दर पर 2018-19 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	₹ 9,29,124 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी चक्रवृत्ति वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2011-12 से 2018-19	राजस्थान	9.9 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	11.0 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	10.4 प्रतिशत
10	जीडीपी/जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2018-19)	राजस्थान	11.5 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	12.2 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	11.7 प्रतिशत
11	दशकीय जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019)^#	राजस्थान	15.2 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	12.5 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	12.8 प्रतिशत

ब. वित्तीय आंकड़े\$

सीएजीआर एवं वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में	सीएजीआर		सीएजीआर		वार्षिक वृद्धि		
	2009-10 से 2017-18		2013-14 से 2017-18		2017-18 से 2018-19		
	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	
	(प्रतिशत में)						
(क)	राजस्व प्राप्तियाँ	15.0	17.4	13.5	14.3	12.8	8.3
(ख)	स्व-कर राजस्व	14.8	15.1	11.2	10.9	12.7	13.4
(ग)	कर-भिन्न राजस्व	9.9	16.8	7.5	3.8	19.8	18.2
(घ)	कुल व्यय	14.2	17.6	13.9	16.9	12.7	11.8
(ङ)	पूँजीगत व्यय	13.5	18.9	15.4	10.8	11.9	(-) 4.8
(च)	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.4	14.2	10.7	14.9	9.4	29.7
(छ)	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.5	19.0	17.6	20.6	11.1	21.6
(ज)	वेतन एवं मजदूरी	11.7	13.1	10.5	16.2	11.0	32.4
(झ)	पेंशन	16.1	14.0	13.8	15.6	14.3	46.5

^ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका 2018 की तालिका 2.3

* आर्थिक समीक्षा 2018-19, खण्ड 2, पृष्ठ (क) 168-169, तालिका 9.8

@ आर्थिक समीक्षा 2018-19, खण्ड 2, पृष्ठ (क) 164, तालिका 9.4

** आर्थिक समीक्षा 2018-19, खण्ड 2, पृष्ठ (क) 160, तालिका 9.1

वर्ष 2001-2026 के लिए भारत एवं राज्य के जनसंख्या प्रक्षेपण (दिसम्बर 2006 में संशोधित) पर जनसंख्या (1 अक्टूबर 2001-2026 को लिंगानुसार कुल अनुमानित जनसंख्या) राष्ट्रीय आयोग द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण पर गठित तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका-14 से लिए गये हैं।

\$ वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं।

परिशिष्ट 1.1 भाग (ब)

(राज्य के सामाजिक संकेतक देखें; पृष्ठ 1)

राज्यों की उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	राज्य	सामाजिक आर्थिक मापदंड						वित्तीय मापदंड														
		जीएसडीपी	प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या वर्ष 2011-12 (प्रतिशत में)	साक्षरता दर (प्रतिशत में) वर्ष 2011	शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म (2017)	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (2012-16) (वर्ष में)	राजस्व प्रविष्टियाँ	राजस्व प्रविष्टियाँ / जीएसडीपी	कर राजस्व	कर भिन्न राजस्व	कुल व्यय	कुल व्यय/ जीएसडीपी	पूँजीगत व्यय	शिक्षा पर राजस्व व्यय	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल व्यय	वेतन एवं मजदूरी	पेंशन	सामाजिक सेवाएँ व्यय	आर्थिक सेवाएँ व्यय	विकासात्मक व्यय
	राज्य	2018-19	2018-19	2011-12	2011	2017	2012-16	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19
1	आन्ध्र प्रदेश	933402	180745	9.2	67	32	69.6	114671	12.29	90818	4396	150477	16.12	19976	19342	7225	7400	35240	15291	68469	40687	109156
2	बिहार	557490	47541	33.7	61.8	35	68.7	131793	23.64	29408	4131	147426	26.44	21058	26689	5427	7318	19968	16038	62838	42560	105397
3	छत्तीसगढ़	311660	108058	39.9	70.3	48	64.8	65095	20.89	44886	7703	73555	23.60	9144	12512	3543	3757	17808	5429	25319	31805	57124
4	गोवा	77172	502420	9.9	88.7	8	68.5	11881	15.40	8257	2869	16010	20.75	4189	2048	864	1030	2407	1112	6471	5263	11734
5	गुजरात	1501496	232329	16.6	78	30	69.5	136002	9.06	80103	13417	162548	10.83	28062	23597	6120	9984	11456	18295	59961	44991	104952
6	हरियाणा	707126	250701	11.2	75.6	30	69.4	65885	9.32	42581	7976	93218	13.18	15307	12672	3678	4011	20361	8140	33548	30510	64058
7	झारखण्ड	307581	82430	36.9	66.4	32	67.2	56152	18.26	38658	8258	62829	20.43	10712	7288	3123	3396	12138	5991	20424	23910	44334
8	कर्नाटक	1535224	231491	20.9	75.4	25	69.1	164979	10.75	96830	6773	203446	13.25	39147	23424	8369	9477	28129	15109	80169	74359	154528
9	केरल	781653	225484	7.1	94	10	75.1	91623	11.72	50654	10552	119074	15.23	7431	18571	6847	7099	32514	19012	40169	19616	59785
10	मध्य प्रदेश	809327	99783	31.7	69.3	47	65.4	145152	17.93	42176	13291	170855	21.11	29420	26174	6521	7738	27274	11984	64681	61385	126066
11	महाराष्ट्र	2660318	191827	17.4	82.3	19	72.2	278996	10.49	187436	15844	303616	11.39	35049	50922	11969	13006	32084	26545	114556	82079	196634
12	उड़ीसा	485376	107107	32.6	72.9	41	67.6	99546	20.51	30318	14277	109816	22.63	23318	15797	4697	5703	19567	10520	40972	41890	82861
13	पंजाब	521861	170432	8.3	75.8	21	72.5	62269	19.32	31574	7582	79177	15.17	2412	10103	3143	3244	20885	10089	19368	20411	39778
14	राजस्थान	929124	121581	14.7	66.1	38	68.3	137873	14.84	57380	18603	187524	20.18	19638	34595	11362	11861	49790	20396	72836	59736	132572
15	तमिलनाडू	1664159	215049	11.3	80.1	16	71.4	173741	10.44	105534	14199	227989	13.7	24311	32984	11758	12489	43394	27993	79210	60354	139564
16	तेलंगाना	865688	226264	9.2	66.5	28	71.3	101420	11.72	83235	10007	128435	14.84	22641	11504	4913	6089	22329	11477	51959	41524	93483
17	उत्तर प्रदेश	1542432	68792	29.4	67.7	41	64.8	329978	21.39	120122	30101	370494	24.02	62463	47657	15843	18103	90263	44024	102362	121382	223744
18	पश्चिम बंगाल	1177586	119637	20	76.3	24	70.8	145975	12.40	60732	3658	180957	15.37	23717	28365	8440	9678	41541	16063	76462	46212	122674
	राजस्थान की श्रेणी	8	11	8	17	14	13	7	9	9	2	5	8	12	3	4	4	2	4	6	6	5
	श्रेणी की पद्धति	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	न्यूनतम से विशालतम	विशालतम से न्यूनतम	न्यूनतम से विशालतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम

परिशिष्ट 1.2 भाग-अ

(अनुच्छेद 1.1 देखें; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी कर लिये गये समस्त कर्जे, आन्तरिक एवं बाह्य कर्जे तथा ऋणों के पुर्नभुगतान में सरकार को प्राप्त समस्त राशियों से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वे विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय तथा समेकित निधि से ऐसी समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल की स्वीकृति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण यथा-लघु बचतें, प्रावधायी निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उंचंत, प्रेषण, इत्यादि, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्याधीन नहीं है।

स्रोत: सरकारी लेखांकन नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2 भाग-ब

(अनुच्छेद 1.1 देखें; पृष्ठ 2)

वित्त लेखों का खाका

वित्त लेखों को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 सरकार के वित्तीय विवरणों का सारांशीकृत रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जबकि खण्ड 2 विस्तृत वित्तीय विवरण का प्रतिनिधित्व करता है।

विवरण संख्या	खाका
खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, लेखाओं से टिप्पणियों सहित लेखांकन की नीतियों एवं तेरह सारांशीकृत विवरण सम्मिलित हैं, जैसाकि नीचे दिया गया है:	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2018-19 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संचयी आंकड़े।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियों और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित हैं, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये पुनर्भुगतान ऋण कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूँजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताएँ और ऋण सेवा सम्मिलित हैं, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों, इत्यादि का सारांश।
8	अंश पूँजी में राज्य सरकार के निवेशों का सारांश।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
11	वर्ष के दौरान हुए व्यय का प्रभारित तथा दत्तमत के मध्य वितरण।
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोगों का सारांश लेखा।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश।
खण्ड 2 का भाग I: इस भाग के खण्ड I में दिये गये विवरणों के अनुसार लघुशीर्षों द्वारा लेन-देनों का विवरण प्रस्तुत करने वाले नौ विवरण हैं:	
14	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
15	राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष के आँकड़ों से तुलना।

विवरण संख्या	खाका
16	राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष के आंकड़ों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूंजीगत व्यय भी प्रदर्शित किया गया है।
17	लघुशीर्ष वार उधारों, सभी कर्जों के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2019 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
19	वर्ष 2018-19 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
20	राज्य सरकार द्वारा दी गयी ईकाई वार जमानतों का विवरण।
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
22	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
खण्ड 2 का भाग II: वित्त लेखे के भाग II में वेतन, अर्थ-सहाय्य, योजनावार एवं संस्था-वार सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय तथा राज्य की आयोजनागत योजनाओं इत्यादि के संबंध में योजनावार व्यय का विस्तृत विवरण 12 परिशिष्टों में दिया गया है।	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3

(अनुच्छेद 1.2 देखे; पृष्ठ 3)

वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	1,27,307.18	1,37,873.02	I. राजस्व व्यय	1,45,841.52	1,48,762.37	18,010.82	1,66,773.19
कर राजस्व	50,605.41	57,380.34	सामान्य सेवाएँ	43,450.36	54,301.95	62.11	54,364.06
			सामाजिक सेवाएँ	53,064.07	54,188.14	11,498.78	65,686.92
कर-भिन्न राजस्व	15,733.72	18,603.01	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	26,668.08	28,849.39	5,745.05	34,594.44
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,342.12	9,971.41	1,390.91	11,362.32
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	37,028.01	41,852.35	जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,229.44	6,808.92	806.70	7,615.62
			सूचना एवं प्रसारण	69.21	152.14	-	152.14
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,327.99	1,001.05	500.12	1,501.17
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम तथा श्रम कल्याण	548.71	597.38	1.30	598.68
			समाज कल्याण तथा पोषण	7,799.81	6,742.27	3,054.70	9,796.97
			अन्य	78.71	65.58	-	65.58
केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	(-)0.12	-	आर्थिक सेवाएँ	49,326.98	40,272.19	6,449.93	46,722.12
			कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियाँ	5,113.55	7,906.56	469.78	8,376.34
			ग्रामीण विकास	15,014.94	6,286.39	5,087.15	11,373.54
केन्द्र प्रवर्तित योजनायें	16,103.48	13,316.88	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.74	1.54	0.45	1.99
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,057.07	1,689.04	8.08	1,697.12
वित्त आयोग अनुदान	4,262.40	3,121.46	ऊर्जा	23,455.73	21,207.49	-	21,207.49
			उद्योग तथा खनिज	348.25	271.17	-	271.17
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	3,574.28	3,598.98	परिवहन	2,177.41	1,142.65	683.95	1,826.60
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	19.84	15.60	6.33	21.93
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,138.45	1,751.75	194.19	1,945.94
			सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	0.11	0.09	-	0.09
योग	1,27,307.18	1,37,873.02	योग	1,45,841.52	1,48,762.37	18,010.82	1,66,773.19
II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत किया गया राजस्व घटा	18,534.34	28,900.17	II. अनुभाग-ख को अग्रेनीत राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	1,45,841.52	1,66,773.19	योग	1,45,841.52	1,48,762.37	18,010.82	1,66,773.19
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ शेष	8,112.46	9,376.99	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	16.61	20.13	IV. पूँजीगत परिव्यय	20,623.28	16,794.30	2,843.90	19,638.20
			सामान्य सेवाएँ	527.14	457.36	130.90	588.26
			सामाजिक सेवाएँ	7,221.37	4,862.32	2,050.43	6,912.75
			शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	514.62	462.73	357.49	825.22
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	657.44	422.86	76.31	499.17
			जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,526.40	3,803.79	1,379.88	5,183.67
			सूचना एवं प्रसारण	2.48	1.98	-	1.98
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	277.44	66.95	214.77	281.72
			समाज कल्याण तथा पोषण	28.56	14.97	21.98	36.95
			अन्य	214.43	84.04	-	84.04
			आर्थिक सेवाएँ	12,874.77	11,474.62	662.57	12,137.19
			कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियाँ	391.01	359.08	46.78	405.86
			ग्रामीण विकास	653.00	231.50	-	231.50
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	386.28	153.46	124.90	278.36
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,188.38	2,228.50	183.02	2,411.52
			ऊर्जा	3,916.22	3,969.15	-	3,969.15
			उद्योग तथा खनिज	13.16	22.13	-	22.13
			परिवहन	4,539.32	3,854.36	307.12	4,161.48
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	3.04	1.06	-	1.06
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	784.36	655.38	0.75	656.13
			योग	20,623.28	16,794.30	2,843.90	19,638.20
V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,133.41	15,158.41	V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	1,334.02	-	-	1,113.09
विद्युत परियोजनाओं से	15,057.07	15,056.96	विद्युत परियोजनाओं के लिए	341.57	-	-	176.79
सरकारी कर्मचारियों से	(-) 0.55	0.07	सरकारी कर्मचारियों को	- ¹	-	-	-
अन्य से	76.89	101.38	अन्य को	992.45	-	-	936.30
VI. अद्योनीत राजस्व अधिशेष	-	-	VI. अद्योनीत राजस्व घाटा	18,534.34	-	-	28,900.17
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	28,556.57	37,846.82	VII. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	11,673.66	-	-	16,914.80
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के	26,999.67	35,204.94	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के	11,040.39	-	-	16,137.32

¹ ₹ 0.24 लाख

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
अतिरिक्त आन्तरिक ऋण			अतिरिक्त आन्तरिक ऋण				
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,556.90	2,641.88	भारत सरकार को कर्ज तथा अग्रिम का पुर्नभुगतान	633.27	-	-	777.48
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-
IX. आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	-	-	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,56,811.26	1,70,527.88	X. लोक लेखा संवितरण	1,47,088.02	-	-	1,60,570.22
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	9,345.61	12,848.83	अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,144.84	-	-	7,465.97
आरक्षित निधियाँ	3,465.86	4,150.19	आरक्षित निधियाँ	2,629.45	-	-	3,583.29
उच्चत तथा विविध	51.35	7.69	उच्चत तथा विविध	78.64	-	-	64.50
प्रेषण	1,345.05	2,429.44	प्रेषण	1,334.86	-	-	2,420.02
जमा तथा अग्रिम	1,42,603.39	1,51,091.73	जमा तथा अग्रिम	1,36,900.23	-	-	1,47,036.44
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट	-	-	XI अन्त में रोकड़ शेष	9,376.99	-	-	5,793.75
			खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 6.46	-	-	(-) 12.27
			रिजर्व बैंक के पास जमाये	11.09	-	-	(-) 64.45
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	3.93	-	-	3.73
			रोकड़ शेष निवेश	6,401.72	-	-	2,154.46
			चिन्हित निवेश निधियाँ	2,966.71	-	-	3,712.28
योग	2,08,630.31	2,32,930.23	योग	2,08,630.31	-	-	2,32,930.23

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.4

(अनुच्छेद 1.4 देखें; पृष्ठ 16)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
(i) कर राजस्व	38,673(42)	42,713(42)	44,372(41)	50,605(40)	57,380(42)
कृषि आय पर कर	- ²	- ²	- ²	- ²	- ²
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	12,137(24)	22,938(40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,170 (63)	26,345(62)	28,558(64)	19,008(38)	14,791(26)
राज्य उत्पाद शुल्क	5,586(14)	6,713(16)	7,054(16)	7,276(14)	8,694(15)
वाहनों पर कर	2,830(7)	3,199(7)	3,623(8)	4,363(9)	4,576(8)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	3,189(8)	3,234(7)	3,053(7)	3,675(7)	3,886(7)
भू-राजस्व	289(1)	272(1)	315(1)	364(1)	290(1)
माल तथा यात्री कर	956(3)	848(2)	803(2)	341(1)	51(-)
अन्य कर	1,653(4)	2,102(5)	966(2)	3,441(7)	2,154(3)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	13,229(15)	10,928(11)	11,615(10)	15,734(12)	18,603(13)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	19,817(22)	27,916(28)	33,556(31)	37,028(29)	41,853(30)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	19,608(21)	18,728(19)	19,483(18)	23,940(19)	20,037(15)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	15	25	28	16	20
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,004	1,447	1,713	15,134	15,158
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	92,346	1,01,757	1,10,767	1,42,457	1,53,051
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,141	60,998	43,889	28,557	37,847
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त)	17,346(96)	59,249(97)	40,434(92)	27,000(95)	35,205(93)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	795(4)	1,749(3)	3,455(8)	1,557(5)	2,642(7)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,10,487	1,62,755	1,54,656	1,71,014	1,90,898
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	300	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,26,382	1,46,910	1,56,045	1,56,811	1,70,528
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,37,169	3,09,665	3,10,701	3,27,825	3,61,426
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	27,868(30)	31,016(29)	39,203(31)	43,451(30)	54,364(33)
सामाजिक सेवाएँ	37,754(40)	43,349(41)	49,372(39)	53,064(36)	65,687(39)
आर्थिक सेवाएँ	28,920(30)	31,874(30)	38,565(30)	49,327(34)	46,722(28)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	- ³	- ³	- ³	- ³	- ³
11. पूँजीगत व्यय	16,103	21,986	16,980	20,623	19,638
सामान्य सेवाएँ	534(3)	441(2)	437(2)	527(3)	588(3)
सामाजिक सेवाएँ	5,838(36)	5,996(27)	6,214(37)	7,221(35)	6,913(35)
आर्थिक सेवाएँ	9,731(61)	15,549(71)	10,329(61)	12,875(62)	12,137(62)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	701	36,602	12,965	1,334	1,113
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,11,346	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524
14. लोक ऋणों की अदायगी	4,960	4,959	5,015	11,674	16,915
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त)	4,451(90)	4,434(89)	4,441(89)	11,041(95)	16,137(95)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

² 2014-15: ₹ 0.01 लाख, 2015-16: ₹ 0.01 लाख, 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख एवं 2018-19: ₹ 0.23 लाख।

³ 2014-15: ₹ 0.09 करोड़, 2015-16: ₹ 0.10 करोड़, 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़ एवं 2018-19: ₹ 0.09 करोड़।

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार को कर्जे एवं अग्रिम	509(10)	525(11)	574(11)	633(5)	778(5)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	300	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	1,16,606	1,69,786	1,62,100	1,79,473	2,04,439
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,22,060	1,40,431	1,48,886	1,47,088	1,60,570
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	2,38,666	3,10,217	3,10,986	3,26,561	3,65,009
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 19,000	(-) 63,070	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-) 8,537	(-) 51,062	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778
भाग: घ अन्य आँकड़े					
23. ब्याज अदायगियों (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	10,463	12,008	17,677	19,720	21,695
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	28,329	31,725	32,892	34,985	34,862
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) @	6,15,642	6,81,485	7,58,809#	8,35,558##	9,29,124\$
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अन्त में)	1,47,609	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	94,578	53,620	51,159	61,761	70,430
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	1,61,918	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	199	169	197	247	279
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	11,167	13,072	17,668	20,176	26,409
भाग डः राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.3	6.3	5.8	6.1	6.2
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	2.1	1.6	1.5	1.9	2.0
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	6.4	6.8	7.0	7.3	6.7
II. व्यय प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	18.1	24.2	20.7	20.1	20.2
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	121.9	164.4	144.1	131.8	136.0
राजस्व व्यय/कुल व्यय	84.9	64.5	80.9	86.9	88.9
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	33.9	26.3	31.4	31.6	35.0
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	26.0	19.3	24.6	29.4	24.9
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.5	13.3	10.8	12.3	10.5
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.0	13.1	10.5	12.0	10.2
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 0.5	(-) 0.9	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 3.1	(-) 9.2	(-) 6.1	(-) 3.0	(-) 3.7

संशोधित अनुमान III

संशोधित अनुमान II

\$ द्वितीय अग्रिम अनुमान

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 1.4	(-) 7.5	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	16.9	9.4	39.1	73.1	83.8
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएँ/जीएसडीपी	23.98	30.72	33.61	33.65	33.51
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्तियाँ	161.6	208.8	233.9	220.9	225.8
प्राथमिक घाटा की तुलना म. प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ म.)	(-) 3,081	(-) 44,567	(-) 20,894	(+) 1,263	(-) 1,812
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	94.6	75.0	86.1	96.5	95.9
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	0.82	0.85	0.80	0.76	0.69

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक म. संख्या प्रत्येक उपशीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान सरकार।

परिशिष्ट 1.5

(अनुच्छेद 1.10.1 देखें; पृष्ठ 50)

31 मार्च 2019 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें	31.03.2018 को	31.03.2019 को
आन्तरिक ऋण	2,00,243.86	2,19,311.48
ब्याज सहित बाजार कर्ज	1,10,444.68	1,37,266.92
ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.10	0.08
भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	22.30	18.55
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	16,968.28	15,408.32
अन्य संस्थाओं से कर्ज	72,808.50	66,617.61
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	-	-
केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	12,063.00	13,927.40
1984-85 से पूर्व के कर्ज	5.40	5.40
आयोजना-भिन्न कर्ज	28.63	23.91
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	10,489.18	3,264.84
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	0.29	0.29
केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्ज	4.28	4.28
राज्य/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिये अन्य कर्ज	1535.22	10,628.68
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	42,095.22	47,478.08
जमाएँ	24,762.22	28,817.51
आरक्षित निधियाँ	4,984.46	5,551.37
प्रेषण शेष	-	-
योग	2,84,648.76	3,15,585.84
सम्पत्तियाँ	31.03.2018 को	31.03.2019 को
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय -	1,68,490.76	1,88,108.83⁴
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	45,780.60	49,861.39
अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,22,710.16	1,38,247.44
कर्ज और अग्रिम	37,307.81	23,262.49
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज	33,556.84	18,676.66
अन्य विकासात्मक कर्ज	3,751.92	4,586.85
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	(-) 0.95	(-) 1.02 ⁵
आरक्षित निधि निवेश	2,966.71	3,712.28
अग्रिम	3.21	3.21
प्रेषण शेष	11.47	2.05
उच्चत तथा विविध शेष	149.83	206.65
रोकड़	6,410.28	2,081.47
खजाने म. रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 6.46	(-) 12.27
रिजर्व बैंक के पास जमाएँ	11.09	(-) 64.45
विभागीय रोकड़ शेष	1.03	0.87
स्थायी अग्रिम	2.90	2.86
रोकड़ शेष निवेश	6,401.72	2,154.46
सरकारी लेखे पर घाटा	69,308.69	98,208.86
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	18,534.34	28,900.17
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	50,774.35	69,308.69
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
योग	2,84,648.76	3,15,585.84

4 वर्ष के अन्त तक सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 20.13 करोड़ (पूँजीगत विनिवेश) को प्रोफार्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी है।

5 ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारांशीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखे में घाटा, जैसा **परिशिष्ट 1.5** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं हैं। उचत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाये आँकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये आँकड़ों के मध्य ₹ 3.14 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंकमिलान और समायोजन के उपरान्त अगस्त 2019 तक अन्तर राशि ₹ 0.74 करोड़ (नामे) का अंकमिलान होना बकाया था।

परिशिष्ट 1.6

(अनुच्छेद 1.2.2 देखें; पृष्ठ 7)

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

1	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)	7	8
(1) राजस्व प्राप्ति (क+ख+ग+घ)	1,51,663	1,48,184	1,37,873	(-)13,790	(-) 10,311	(-) 9.09	(-) 6.96
(क) कर राजस्व	58,099	61,907	57,380	(-) 719	(-) 4,527	(-) 1.24	(-) 7.31
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	21,000	23,500	22,938	1,938	(-) 562	9.23	(-) 2.39
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,600	16,500	14,791	(-) 809	(-) 1,709	(-) 5.19	(-) 10.36
राज्य उत्पाद शुल्क	9,300	9,300	8,694	(-) 606	(-) 606	(-) 6.52	(-) 6.52
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	10	10	1	(-) 9	(-) 9	(-) 90.00	(-) 90.00
वाहन कर	4,900	5,000	4,576	(-) 324	(-) 424	(-) 6.61	(-) 8.48
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	4,250	4,750	3,886	(-) 364	(-) 864	(-) 8.56	(-) 18.19
माल तथा यात्री कर	01	38	51	50	13	5000.00	34.21
भू-राजस्व	587	463	290	(-) 297	(-) 173	(-) 50.60	(-) 37.37
विद्युत कर तथा शुल्क	2,450	2,339	2,148	(-) 302	(-) 191	(-) 12.33	(-) 8.17
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	01	07	5	4	(-) 2	400.00	(-) 28.57
(ख) कर-भिन्न राजस्व	20,397	19,966	18,603	(-) 1,794	(-) 1,363	(-) 8.80	(-) 6.83
ब्याज प्राप्ति	6,324	5,810	5,791	(-) 533	(-) 19	(-) 8.43	(-) 0.33
विविध सामान्य सेवाएँ	1,302	1,171	784	(-) 518	(-) 387	(-) 39.78	(-) 33.05
जलापूर्ति तथा सफाई	750	780	609	(-) 141	(-) 171	(-) 18.80	(-) 21.92
पेट्रोलियम	3,500	3,825	3,883	383	58	10.94	1.52
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,800	6,000	5,301	(-) 499	(-) 699	(-) 8.60	(-) 11.65
पुलिस	358	361	345	(-) 13	(-) 16	(-) 3.63	(-) 4.43
श्रम एवं रोजगार	469	427	415	(-) 54	(-) 12	(-) 11.51	(-) 2.81
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	175	166	164	(-) 11	(-) 2	(-) 6.29	(-) 1.20
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	239	259	246	7	(-) 13	2.93	(-) 5.02
वानिकी एवं वन्य जीव	142	154	147	5	(-) 7	3.52	(-) 4.55
मुख्य सिंचाई	94	100	172	78	72	82.98	72.00
लोक निर्माण कार्य	462	126	126	(-) 336	0	(-) 72.73	0.00
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	208	169	160	(-) 48	(-) 9	(-) 23.08	(-) 5.33
लाभान्ना तथा लाभ	71	76	56	(-) 15	(-) 20	(-) 21.13	(-) 26.32
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	68	52	30	(-) 38	(-) 22	(-) 55.88	(-) 42.31
अन्य कर-भिन्न राजस्व	435	490	374	(-) 61	(-) 116	(-) 14.02	(-) 23.67
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	43,310	41,853	41,853	(-) 1,457	0	(-) 3.36	0.00
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	29,857	24,458	20,037	(-) 9,820	(-) 4,421	(-) 32.89	(-) 18.08
(2) विविध पूँजीगत प्राप्ति	30	20	20	(-) 10	0	(-) 33.33	0.00
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	15,735	15,662	15,158	(-) 577	(-) 504	(-) 3.66	(-) 3.22
(4) कुल प्राप्ति (1+2+3)	1,67,428	1,63,866	1,53,051	(-) 14,376	(-) 10,815	(-) 8.59	(-) 6.60
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	1,69,118	1,73,009	1,66,773	(-) 2,345	(-) 6,236	(-) 1.39	(-) 3.60
(क) सामान्य सेवाएँ	53,360	55,017	54,364	1,004	(-) 653	1.88	(-) 1.19
न्याय प्रशासन	1,076	1,213	1,159	83	(-) 54	7.71	(-) 4.45
निर्वाचन	269	367	354	85	(-) 13	31.60	(-) 3.54
भू-राजस्व	804	776	721	(-) 83	(-) 55	(-) 10.32	(-) 7.09
राज्य उत्पाद शुल्क	179	170	160	(-) 19	(-) 10	(-) 10.61	(-) 5.88
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	148	137	139	(-) 9	2	(-) 6.08	1.46
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,237	1,014	994	(-) 243	(-) 20	(-) 19.64	(-) 1.97
वाहन कर	161	149	130	(-) 31	(-) 19	(-) 19.25	(-) 12.75
ब्याज अदायगियाँ	21,413	21,737	21,695	282	(-) 42	1.32	(-) 0.19
सचिवालय-सामान्य सेवाय.	239	264	243	4	(-) 21	1.67	(-) 7.95
जिला प्रशासन	492	498	493	1	(-) 5	0.20	(-) 1.00
कोष तथा लेखा प्रशासन	331	310	284	(-) 47	(-) 26	(-) 14.20	(-) 8.39
पुलिस	5,944	6,170	6,104	160	(-) 66	2.69	(-) 1.07
	204	206	190	(-) 14	(-) 16	(-) 6.86	(-) 7.77

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)	7	8
जेल	334	355	324	(-) 10	(-) 31	(-) 2.99	(-) 8.73
अन्य प्रशासनिक सेवायें	19,712	20,615	20,396	684	(-) 219	3.47	(-) 1.06
पशान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	503	540	539	36	(-) 1	7.16	(-) 0.19
विविध सामान्य सेवायें	89	89	85	(-) 4	(-) 4	(-) 4.49	(-) 4.49
मुद्रांक और पंजीयन	(-) 06	102	74	(-) 80	(-) 28	(-) 1333.33	(-) 27.45
लोक निर्माण कार्य	231	305	280	49	(-) 25	10.82	(-) 8.20
अन्य							
(ख) सामाजिक सेवाएँ	64,456	68,258	65,687	1,231	(-) 2,571	1.91	(-) 3.77
सामान्य शिक्षा	33,206	34,859	34,159	953	(-) 700	2.87	(-) 2.01
तकनीकी शिक्षा	234	206	199	(-) 35	(-) 7	(-) 14.96	(-) 3.40
खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	136	135	111	(-) 25	(-) 24	(-) 18.38	(-) 17.78
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	9,049	8,730	8,559	(-) 490	(-) 171	(-) 5.41	(-) 1.96
परिवार कल्याण	2,790	2,852	2,803	13	(-) 49	0.47	(-) 1.72
जलापूर्ति तथा सफाई	3,163	3,484	3,416	253	(-) 68	8.00	(-) 1.95
शहरी विकास	5,034	4,646	4,151	(-) 883	(-) 495	(-) 17.54	(-) 10.65
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,562	1,614	1,501	(-) 61	(-) 113	(-) 3.91	(-) 7.00
श्रम तथा रोजगार	646	625	599	(-) 47	(-) 26	(-) 7.28	(-) 4.16
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,990	6,160	5,993	1,003	(-) 167	20.10	(-) 2.71
पोषण	1,989	2,238	1,750	(-) 239	(-) 488	(-) 12.02	(-) 21.81
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,288	2,235	2,054	766	(-) 181	59.47	(-) 8.10
अन्य	369	474	392	23	(-) 82	6.23	(-) 17.30
(ग) आर्थिक सेवाएँ	51,302	49,734	46,722	(-)4,580	(-) 3,012	(-) 8.93	(-) 6.06
फसल कृषि-फर्म	3,031	2,802	2,312	(-) 719	(-) 490	(-) 23.72	(-) 17.49
पशुपालन	1,288	1,229	1,174	(-) 114	(-) 55	(-) 8.85	(-) 4.48
वानिकी एवं वन्य जीव	859	790	750	(-) 109	(-) 40	(-) 12.69	(-) 5.06
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	267	279	279	12	0	4.49	0.00
सहकारिता	2,694	3,735	3,728	1,034	(-) 7	38.38	(-) 0.19
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	1,311	831	813	(-) 498	(-) 18	(-) 37.99	(-) 2.17
ग्रामीण रोजगार	3,413	4,405	4,405	992	0	29.07	0.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10,246	8,103	6,155	(-)4,091	(-) 1,948	(-) 39.93	(-) 24.04
मुख्य सिंचाई	1,788	1,346	1,333	(-) 455	(-) 13	(-) 25.45	(-) 0.97
मध्यम सिंचाई	368	215	202	(-) 166	(-) 13	(-) 45.11	(-) 6.05
लघु सिंचाई	155	159	141	(-) 14	(-) 18	(-) 9.03	(-) 11.32
विद्युत	22,607	21,209	21,204	(-)1,403	(-) 5	(-) 6.21	(-) 0.02
नवीन और अक्षय ऊर्जा	18	6	2	(-) 16	(-) 4	(-) 88.89	(-) 66.67
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	136	146	143	7	(-) 3	5.15	(-) 2.05
सड़कें तथा पुल	1,385	1,538	1,242	(-) 143	(-) 296	(-) 10.32	(-) 19.25
सड़क परिवहन	289	609	584	295	(-) 25	102.38	(-) 4.11
सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	51	39	39	(-) 12	0	(-) 23.53	0.00
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	489	1,321	1,284	795	(-) 37	162.58	(-) 2.80
नागरिक आपूर्ति	404	489	494	90	5	22.28	1.02
अन्य	503	483	438	(-) 65	(-) 45	(-) 12.92	(-) 9.32
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	-⁶	-⁷	8⁸	-	-	-	-
(6) पूँजीगत व्यय	25,740	21,061	19,638	(-)6,102	(-) 1,423	(-) 23.71	(-) 6.76
पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	215	312	274	59	(-) 38	27.44	(-) 12.18
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	502	367	306	(-) 196	(-) 61	(-) 39.04	(-) 16.62
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	832	901	825	(-) 7	(-) 76	(-) 0.84	(-) 8.44
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	975	581	499	(-) 476	(-) 82	(-) 48.82	(-) 14.11

6 ₹ 20.87 लाख

7 ₹ 13.86 लाख

8 ₹ 8.43 लाख

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)	7	8
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,509	4,288	3,870	(-)1,639	(-) 418	(-) 29.75	(-) 9.75
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,461	1,376	1,296	(-) 165	(-) 80	(-) 11.29	(-) 5.81
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	335	304	282	(-) 53	(-) 22	(-) 15.82	(-) 7.24
पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	52	21	1	(-) 51	(-) 20	(-) 98.08	(-) 95.24
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	144	89	84	(-) 60	(-) 5	(-) 41.67	(-) 5.62
फसल कृषि-फर्म पर पूंजीगत परिव्यय	410	161	147	(-) 263	(-) 14	(-) 64.15	(-) 8.70
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	155	107	98	(-) 57	(-) 9	(-) 36.77	(-) 8.41
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	597	363	232	(-) 365	(-) 131	(-) 61.14	(-) 36.09
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	440	342	278	(-) 162	(-) 64	(-) 36.82	(-) 18.71
मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,371	1,817	1,738	(-) 633	(-) 79	(-) 26.70	(-) 4.35
मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	177	117	118	(-) 59	01	(-) 33.33	0.85
लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	381	446	451	70	5	18.37	1.12
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	109	92	89	(-) 20	(-) 3	(-) 18.35	(-) 3.26
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,219	3,822	3,822	(-) 397	0	(-) 9.41	0.00
पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	374	147	147	(-) 227	0	(-) 60.70	0.00
उद्योग एवं खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	485	55	22	(-) 463	(-) 33	(-) 95.46	(-) 60.00
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,260	4,269	4,162	(-)1,098	(-) 107	(-) 20.87	(-) 2.51
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	495	650	631	136	(-) 19	27.47	(-) 2.92
अन्य पूंजीगत परिव्यय	242	434	266	24	(-) 68	9.92	(-) 38.71
(7) कर्जें तथा अग्रिमों का संवितरण	581	1,269	1,113	532	(-) 156	91.67	(-) 12.29
(8) कुल व्यय (5+6+7)	1,95,439	1,95,339	1,87,524	(-) 7,915	(-) 7,815	(-) 4.05	(-) 4.00
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	(-) 17,455	(-) 24,825	(-)28,900	(-)11,445	(-) 4,075		
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	28,011	31,473	34,473	6,462	3,000		
(11) प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज अदायगी)	(-) 6,598	(-) 9,736	(-) 12,778	(-) 6,180	(-) 3,042		

स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

परिशिष्ट 1.7

(अनुच्छेद 1.9.4 देखें; पृष्ठ 47)

कर्जदारों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	कर्जदाता का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-19 के दौरान अग्रिम	2003-19 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2019 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को उधार-प्रत्यक्ष उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800(01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	0.04	2.22
5	6235-02-800 (01)	दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	0.53	5.81
6	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
7	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
8	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
9	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अधिकरणों के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
10	6250-60-800(05)	मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से वन श्रम सहकारी समितियों को उधार	0.42	-	0.17	0.25
11	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	163.22	-	1,750.75
12	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
13	6403-102 (02)	सघन पशुधन विकास योजना	4.08	-	(-) 3.60	7.68
14	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
15	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
16	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
17	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
18	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास अधिकरण को उधार	0.33	-	-	0.33
19	6408-02-800(04)	परिवहन वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
20	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी सशक्तिकरण निधि की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
21	6705-800(01)	मृदा संरक्षण	9.47	-	-	9.47
22	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
23	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
24	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों हेतु ठेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
25	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
26	7475-103(05)	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सहकारी भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
महायोग			6,488.29	201.89	(-) 54.52	6,744.70

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.8

(अनुच्छेद 1.9.3 देखे; पृष्ठ 45)

सरकारी निवेश जिनके लेखे प्रस्तुत नहीं किये, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	अन्तिम निवेश का वर्ष	निवेशित राशि	से लेखे प्रतिक्षित	टिप्पणी
सांविधिक निगम					
1	राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर	1977-78	0.65	-	चूंकि निगम का गठन नहीं हुआ था, राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन मण्डल के पास रखी हुई थी।
2	राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर	1980-81 तक	0.08	-	₹ 10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल 1980 में जमा करा दिये गये थे क्योंकि सरकार द्वारा निगम को बंद करने का निर्णय लिया गया।
सरकारी कम्पनियों					
3	राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली	1975-76	45.85	2003-04	
4	राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर	1997-98	5.00	2003-04	
5	राजस्थान राज्य एग्री इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	1995-96	412.97	-	कम्पनी दिनांक 09 अगस्त 2018 से परिसमापनाधीन है।
संयुक्त पूंजी कम्पनियों					
6	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सर्वाईमाधोपुर	1948-49	75.00	1985-86	
7	दी सेंट्रल प्रोविसेज रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई	1910-11	0.08	2003-04	
8	ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा	1962-63	3.66	30 जून 1985	
9	एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा)	1963-64	1.00	31 दिसम्बर 1985	
10	जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर	1987-88	7.50	1996-97	
11	मेटल कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, कोलकाता	1960-61	25.00	-	लेखे प्रतिक्षित है।
12	बूंदी इलेक्ट्रीक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, बूंदी	1936-37	0.12	-	कम्पनी वर्ष 1965-66 से परिसमापनाधीन है।
13	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़	1946-47	0.10	-	कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है।
14	स्टोनवेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	सूचना जयपुर रियासत के समामेलन से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है। सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है।	0.12	-	कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है।
15	श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर	1947-48	1.30	-	कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है।
16	आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड	1945-46	1.25	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1975-76 के दौरान अधिग्रहित की जा चुकी है।
17	कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा	1946-47	2.00	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
18	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	1943-44	17.46	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
19	फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1927-28	0.10	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
20	दी चपरमुख सिलीघाट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1990-91 तक	0.06	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
साझेदारी व्यापार संस्थाएं					
21	कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किरानगढ़	1900-01	0.21	1996-97	
योग			599.51		

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.9

(अनुच्छेद 1.7.2 एवं 1.9.3 देखे; पृष्ठ 31 एवं 45)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार)
1	राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2017-18	77.55	2,079.99	-	77.56
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	210.19	1,516.60	-	193.69
3	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	100.00	126.89	-	100.00
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	180.39	117.19	-	180.84
5	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	21.95	- 145.05	- 123.10	21.95
6	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2015-16	2.16	- 8.71	- 6.55	2.16
7	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	46.06	- 49.89	- 3.83	45.51
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2018-19	6.96	- 25.48	- 18.52	6.64
9	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2.00	37.72	-	2.00
10	बाडमेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2017-18	20.00	-71.87	-51.87	-
11	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड की सहायक)	2017-18	66.99	- 1.62	-	-
12	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2018-19	4,441.04	- 1,269.28	-	4,441.04
13	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	10,067.95	- 4,382.81	-	10,067.95
14	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	10,783.47	- 31,060.49	- 20,277.02	10,783.47
15	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	10,018.03	- 29,018.55	- 19,000.52	10,018.03
16	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	9,954.57	- 29,774.77	- 19,820.20	9,954.57
17	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2018-19	12.94	172.24	-	12.94
18	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 0.04	-	-
19	गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	370.05	- 1,264.77	- 894.72	-
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 0.04	-	-
21	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	30.16	-	-

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार)
22	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 9.62	- 9.57	-
23	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 17.10	- 17.05	-
24	केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	2.05	- 2.05	-	-
25	राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड	2017-18	5.00	50.08	-	5.00
26	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1.27	- 2.37	- 1.10	1.27
27	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ निगम लिमिटेड	2018-19	90.00	16.78	-	90.00
28	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	129.87	- 4.31	-	-
29	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	50.00	0.00	-	50.00
30	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	- 0.02	-	0.05
31	राजस्थान वित्त निगम	2018-19	160.73	- 108.47	-	128.31
32	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2017-18	638.96	- 4,815.98	- 4,177.02	612.13
33	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम लिमिटेड	2016-17	48.67	21.07	-	33.51
34	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	1,694.04	- 287.72	-	1,494.04
35	राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2018-19	5.00	14.71	-	5.00
36	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2017-18	5.00	21.45	-	5.00
37	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2018-19	0.05	- 13.05	- 13.00	0.05
38	राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	50.00	36.73	-	50.00
39	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	7.59	117.92	-	6.33
40	राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2014-15	6.01	- 54.83	- 48.82	4.13
41	राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम	2018-19	7.85	259.46	-	3.93
42	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1.00	2.30	-	1.00
43	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2017-18	4.49	-6.29	-1.80	4.49
	योग		49,290.18	-97,773.89	-64,464.69	48,402.59

परिशिष्ट 1.10

(अनुच्छेद 1.7.3.4 एवं 1.9.5 देखे; पृष्ठ 36 एवं पृष्ठ 47)

पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन के परिणाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार द्वारा दी गई कुल अर्थ-सहाय्य	1,493	2,001	3,200	5,464	6,940	8,626	10,461	17,208	23,674	21,540
ऊर्जा क्षेत्र को सरकार द्वारा दी गई अर्थ-सहाय्य	1,452	1,946	2,800	4,861	6,460	8,330	10,186	16,842	23,391	21,204
कुल अर्थ-सहाय्य का ऊर्जा क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य (प्रतिशत में)	97.3	97.3	87.5	89.0	93.1	96.6	97.4	97.9	98.8	98.4
विद्युत वितरण कम्पनियों की राजस्व अर्थ-सहाय्य/वित्तीय प्राप्ति	1,110.4	1,200.7	1,759.9	2,246.7	621.8	1,647.7	1,784.1	1,263.6	1,433.5	1,467.69
निवल घाटा (-)/ लाभ	(-)10,763.5	(-)10,606.3	(-)12,443.7	(-)12,351.2	(-)15,645.0	(-)12,473.6	(-)11,240.8	(-)1,981.1	2,172.7	2,606.67
संचयी घाटा	26406.9	37,013.2	49,456.9	61,808.1	77,453.2	89,926.7	10,1167.5	94,633.2	92,460.5	89,853.85
वितरण हानि (प्रतिशत में)	26.11	22.30	19.60	19.23	24.05	27.22	27.67	23.29	20.25	20.72
प्रसारण एवं वितरण हानि (प्रतिशत में)	30.96	26.78	24.27	23.78	27.45	31.42	31.44	26.32	24.86	25.68

उदय योजना का परिचालन प्रदर्शन (30 सितम्बर 2019 को)

उदय योजना के मापदण्ड	उदय योजना के अर्न्तगत लक्ष्य	उदय योजना के अर्न्तगत प्रगति	उपलब्धियाँ (प्रतिशत में)
फीडर मीटर (संख्या में)	2521	5873	100
वितरण ट्रांसफॉर्मर पर माप (संख्या में)			
शहरी	60166	16850	28
ग्रामीण	3486	0	0
फीडर वियोजन (संख्या में)	4357	1321	30
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	20203	20248	100
असम्बद्ध घरों को बिजली (संख्या लाखों में)	11.40	23.97	100
स्मार्ट मीटर (संख्या में)	49849	7953	16
एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाखों में)	34.50	58.49	100
ए टी एण्ड सी हानि (प्रतिशत में)	15.0	25.84	0
एसीएस - एआरआर अन्तर (₹ प्रति यूनिट)	0.52	0.64	0
निवल आय या सब्सिडी सहित लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	-2184.32	-2498.24	0

परिशिष्ट 2.1

(अनुच्छेद 2.3.1 देखें; पृष्ठ 75)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	टिप्पणियाँ
राजस्व-दत्तमत								
1.	12	अन्य कर	2030-01-102-01-01 अभिकर्ताओं को विक्रय पर कमीशन-प्रतिबद्ध	0.60	1.63	1.03	171.7	बचत
2.	21	सड़कें एवं पुल	5055-050-01-01 सिविल कार्य	0.30	2.38	2.08	693.3	बचत
3.			5054-02-337-03 सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	35.00	43.52	8.52	24.3	
4.	46	सिंचाई	2700-01-101-05-01 अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध	1.01	2.10	1.09	107.9	बचत
5.			2700-02-800-03 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	31.23	44.93	13.70	43.9	
6.			2700-03-001-01-01 सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध	57.23	84.79	27.56	48.2	
7.			2700-03-101-01-01 अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध	57.23	70.00	12.77	22.3	
8.			2702-01-800-01-02 मद-2701-80 सामान्य से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध	0.62	7.47	6.85	1,104.8	
9.			4701-69-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	4.10	5.41	1.31	32.0	
10.			4702-101-02-04 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना	8.51	12.01	3.50	41.1	
11.			4702-101-07-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	3.59	5.53	1.94	54.0	
12.			4700-02-001-04-16 मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	-	2.14	2.14		
13.			4700-02-001-05-07 मुख्य शीर्ष 2700 बाईं नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	-	1.40	1.40		
14.	4700-32-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 (स्थापना) से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	4.06	38.12	34.06	838.9			
15.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4700-34-789-01 निर्माण कार्य	6.96	7.96	1.00	14.4	बचत
16.			4711-01-789-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर के माध्यम से	2.39	3.85	1.46	61.1	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(अनुच्छेद 2.3.2 देखें; पृष्ठ 75)

व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 45 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2019 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2019 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी- मार्च 2019	जनवरी- मार्च 2019
1.	21-सड़कें एवं पुल	3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	105.34	51.65	223.04	47.2	23.2
2.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-01-201-12 सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारंटी योजना)	131.61	131.61	131.61	100	100
3.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-08 जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय	104.07	87.26	212.40	49.0	41.1
4.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	230.49	230.49	385.36	59.8	59.8
5.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	105.12	105.12	225.14	46.7	46.7
6.	34- राहत एवं प्राकृतिक आपदायें	2245-01-800-03 राहत कार्यों पर व्यय	1,051.50	468.17	1,513.11	69.5	30.9
7.	37-कृषि	2415-01-277-01 विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा	164.48	118.62	243.04	67.7	48.8
8.	41-सामुदायिक विकास	2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	533.39	533.39	1142.36	46.7	46.7
9.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	140.16	140.16	300.18	46.7	46.7
योग			2,566.16	1,866.47	4,376.24	58.6	42.7

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 2.3

(अनुच्छेद 2.3.3 देखें; पृष्ठ 76)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधान से ₹ 100 करोड़ से अधिक थीं।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
1.	9-वन	राजस्व-दत्तमत	816.70	-	816.70	711.99	104.71 (12.8)	पदों का रिक्त रहना, कार्यभारित कर्मचारियों के पदों में कटौती, वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा में कटौती, पिछले वर्षों में जारी की गयी निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
2.	12-अन्य कर	राजस्व-दत्तमत	640.53	311.25	951.78	822.96	128.82 (13.5)	वेतन एवं भत्तों, लेखन सामग्री/मुद्रण, कम्प्यूटरीकरण, कार्यालय व्यय, संविदा व्यय पर कम व्यय, सातवें वेतन आयोग के तहत कार्मिकों के वेतन का स्थिरीकरण नहीं होना तथा बकाया का भुगतान नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
3.	14-बिक्री कर	राजस्व-दत्तमत	1,368.95	18.13	1,387.08	1,120.87	266.21 (19.2)	पदों का रिक्त रहना, वित्तीय वर्ष में निर्धारित अवधि के दौरान प्रकरणों का निपटान नहीं होना तथा संशोधित अनुमानों के दौरान बजट सीमा में कटौती होना।
4.	19-लोक निर्माण कार्य (पूंजीगत-दत्तमत)	पूंजीगत-दत्तमत	1,024.80	-	1,024.80	560.35	464.45 (45.3)	निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय का समायोजन, कार्य की धीमी प्रगति, कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होना, परियोजना में परिवर्तन होना तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति। विभाग द्वारा बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
5.	21-सड़कें एवं पुल	राजस्व-दत्तमत	1,535.23	133.41	1,668.64	1,362.34	306.30 (18.4)	सातवें वेतन आयोग के बकाया का कार्यभारित कर्मचारियों को अनुमान से कम भुगतान तथा मरम्मत एवं संधारण तथा मजदूरी पर कम व्यय, भारत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा भारत सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि की राशि की कम प्राप्ति। विभाग द्वारा बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	4,620.21	309.10	4,929.31	4,025.55	903.76 (18.3)	निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय का समायोजन। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
6.	22-क्षेत्र का विकास	पूंजीगत-दत्तमत	386.29	-	386.29	264.48	121.81 (31.5)	डॉंग क्षेत्र विकास, मेवात क्षेत्र विकास, मगरा क्षेत्र विकास के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कम निष्पादन, पदों का रिक्त रहना तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति।
7.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	पूंजीगत-दत्तमत	588.51	100.72	689.23	561.67	127.56 (18.5)	कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होना, भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना, सीमा में कटौती तथा राजकॉम्प से उपयोगिता प्राप्त पत्र प्राप्त नहीं होना।
8.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	राजस्व-दत्तमत	9,922.01	-	9,922.01	9,417.78	504.23 (5.1)	पदों का रिक्त रहना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, निजी निक्षेप खातों में निधि के हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं होना, अनुदान की सीमा में कटौती, राजस्थान चिकित्सा शिक्षा को कम अनुदान जारी करना, सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होना, स्वास्थ्य बीमा को 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना।
9.	27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	3,511.88	331.28	3,843.16	3,633.83	209.33 (5.4)	कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं होना, बिजली के बिलों में विरोधाभास, संवेदको द्वारा बिलों का प्रस्तुत नहीं करना तथा वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय।
		पूंजीगत-दत्तमत	3,744.05	-	3,744.05	2,700.23	1,043.82 (27.9)	कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होना, परियोजना का कार्यान्वयन नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
10.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1,012.06	-	1012.06	769.29	242.77 (24.0)	भारत सरकार से निधियों कम/देरी से प्राप्त होना/प्राप्त नहीं होना, वार्षिक कार्य योजना 2018-19 की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना तथा परियोजना का बन्द होना/ प्रारम्भ नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	308.25	-	308.25	154.13	154.12 (50.0)	जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में पर्याप्त अव्ययीत राशि की उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा द्वितीय किशत जारी नहीं करना।
11.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	राजस्व-दत्तमत	4,631.46	467.82	5,099.28	4,015.09	1,084.19 (21.3)	राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी/जारी नहीं करना, भारत सरकार द्वारा निधियों कम प्राप्त/प्राप्त नहीं होना, राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को कम अनुदान जारी करना, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान जारी नहीं करना, योजनाओं का चालू नहीं होना। विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	1,477.17	-	1,477.17	1,280.37	196.80 (13.3)	कार्यों के निष्पादन के लिये निधियों कम जारी करना, निर्माण कार्यों पर कम व्यय, भारत सरकार से निधियों कम प्राप्त होना, परियोजना ऋण लागत के अनुसार व्यय, सीवरेज लाईन का तृतीय चरण के कार्य प्रारम्भ नहीं होना, कार्य की धीमी प्रगति, बजरी की अनुपलब्धता तथा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से कर्ज कम प्राप्त होना। विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
12.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	राजस्व-दत्तमत	12,473.80	258.83	12,732.63	12,032.40	700.23 (5.5)	वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, कोषालय द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं किया जाना, अध्यापकों के स्थानान्तरण पर व्यय लेखा शीर्ष में परिवर्तन के कारण, वित्त विभाग द्वारा व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								की सीमा में कटौती, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्त नहीं होना, पदों का रिक्त रहना, स्वास्थ्य बीमा को 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट के कारण अनुदान कम जारी किया जाना, योजना का कार्यान्वयन नहीं होना, बचत सीमा में कटौती, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विधवा पेंशन योजना में परिवर्तित किया जाना, भारत सरकार द्वारा विभाग को निधियां सीधे ही हस्तान्तरित किया जाना, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ऋण को सहाय्य में बदलना, राज्य सरकार द्वारा शुल्क सहाय्य में कटौती तथा बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों के खातों में राशि हस्तांतरित नहीं करना। विभाग द्वारा अन्य शीर्षों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	3,632.02	50.00	3,682.02	2,903.21	778.81 (21.1)	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना, कार्यों का निष्पादन कम होना/नहीं होना, परियोजना का कार्यान्वयन नहीं होना, आवश्यकता के अनुसार निधियां जारी नहीं होना, व्यय की कमी, निविदा प्रक्रिया में देरी, बजट सीमा में कटौती, निर्माण कार्यों पर कम व्यय, पिछले वर्षों की निधियां उपलब्ध होना, राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, कार्यों का निष्पादन नहीं होना, दिशा-निर्देश जारी नहीं करना, निवेश सीमा में कटौती, निर्माण कार्य परिष्वय के अनुसार प्रतिशतता व्यय का समायोजन तथा सड़क निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
13.	33- सामाजिक सुरक्षा एवं	राजस्व-दत्तमत	5,593.90	859.86	6,453.76	5,912.99	540.77 (8.4)	ऋण की उच्च लागत के कारण अनुदान की कम राशि जारी करना/कम स्वीकृत होना, जिला

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
	कल्याण							कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सकना, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं करना, पदों का रिक्त रहना, पोर्टल पर छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, ग्राम्य शक्ति योजना का क्रियान्वयन नहीं होना, जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रारूप में आंकड़ें प्राप्त नहीं होना, पात्र लाभार्थियों के आवेदन कम प्राप्त/प्राप्त नहीं होना, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विधवा पेंशन योजना में हस्तान्तरित करना, स्वयं सहायता समूह के द्वारा समय पर खाद्य बिल प्रस्तुत नहीं करना, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना से संबंधित परिवारों की आधार सूचना उपलब्ध नहीं होना, योजना का अन्य लेखा शीर्ष में हस्तान्तरण होना, समय पर संविदा सेवाओं की निविदा नहीं होना, मानदेय का भुगतान नहीं होना, कोषालय द्वारा बिलों की वापसी, स्कूल मदों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया का पूरा नहीं होना तथा मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
14.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	राजस्व-दत्तमत	2,564.72	1,779.41	4,344.13	3,570.19	773.94 (17.8)	सूखा/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार राहत कार्य निष्पादित किया जाना।
15.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	राजस्व-दत्तमत	310.99	544.82	855.81	722.48	133.33 (15.6)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना, कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय, कार्यों की धीमी प्रगति, बीपीएल/राज्य बीपीएल/अन्त्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों एवं भामाशाह डीजिटल परिवार योजना के खातों में राशि हस्तान्तरित नहीं होना, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार पर कम व्यय, प्रशिक्षण कैम्प

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								आयोजित नहीं किये जाना, कम्प्यूटरीकरण तथा संबंधित संचार पर कम व्यय। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
16.	36-सहकारिता	पूंजीगत-दत्तमत	32.13	730.00	762.13	634.20	127.93 (16.8)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन अनुमान से कम प्राप्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा कम स्वीकृति जारी किया जाना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
17.	37-कृषि	राजस्व-दत्तमत	2,507.20	-	2,507.20	2,013.91	493.28 (19.7)	प्रचार-प्रसार पर कम व्यय, प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रोटैक मीट ग्राम जोधपुर का आयोजन नहीं होना, कृषकों के बीमा दावों का बैंक द्वारा भुगतान नहीं होना, कटाई के लिए प्रोत्साहन पर कम व्यय, राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट फोन एवं क्लोज्ड यूजर ग्रुप सिम की स्वीकृति जारी नहीं किया जाना, भारत सरकार द्वारा नये दिशा-निर्देश का खरीफ फसल में क्रियान्वयन नहीं होना, कोषालयों/बैंकों द्वारा बिलों को पारित नहीं करना, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के निजी निक्षेप खातों में गत वर्षों की अव्ययीत राशि की उपलब्धता, प्रचार प्रसार कार्यों का निष्पादन कम होना बजट सीमा में कटौती तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना।
		पूंजीगत-दत्तमत	391.70	26.00	417.70	183.53	234.17 (56.1)	निर्माण कार्यों पर कम व्यय, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, भारत सरकार द्वारा सीधे ही विभाग को निधियों का हस्तान्तरण, व्यय की प्रगति अनुसार बजट सीमा में कटौती, कोषालयों द्वारा कुछ बिल पारित नहीं करना तथा गोदामों के निर्माण की धीमी प्रगति। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
18.	41-सामुदायिक विकास	राजस्व-दत्तमत	7,542.14	-	7,542.14	4,450.66	3,091.48 (41.0)	गत वर्ष की अव्ययीत राशि की उपलब्धता, भारत सरकार द्वारा निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना। विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
19.	42-उद्योग	पूंजीगत-दत्तमत	433.41	-	433.41	21.94	411.47 (94.9)	डीएमआईसी परियोजना के अन्तर्गत कुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं होना।
20.	46-सिंचाई	राजस्व-दत्तमत	2,384.72	-	2,384.72	1,765.95	618.77 (25.9)	वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज का कम समायोजन, पदों का रिक्त रहना, राज्य सरकार के निर्णयानुसार पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन नहीं होना, पंचायत समितियों से सहायतार्थ अनुदान (वेतन) की कम मांग तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	1,653.77	-	1,653.77	1,414.63	239.14 (17.7)	अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक नहर के नियमन होने से नहरी क्षेत्र में ठेकेदारों को निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, साख सीमा कम जारी करना, कार्यों का निष्पादन कम होने, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए मरू क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुर्ननिर्माण परियोजना की आयोजन सीमा में कटौती। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
21.	48-विद्युत्	राजस्व-दत्तमत	15,388.49	-	15,388.49	14,454.61	933.88 (6.1)	राज्य सरकार द्वारा कुल सहायता में कटौती, बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा कम्पाउण्डिंग प्रभारों की वसूली के अनुसार सहायता जारी करना।
		पूंजीगत-दत्तमत	2,831.48	-	2,831.48	2,555.21	276.27 (9.8)	निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनी में कम निवेश तथा एशियन डवलपमेंट बैंक तथा कोएफडब्ल्यू से ऋण कम प्राप्त होना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
22.	50-ग्रामीण रोजगार	राजस्व-दत्तमत	1,814.96	443.30	2,258.26	2,137.92	120.34 (5.3)	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति।
23.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	राजस्व-दत्तमत	14,046.25	360.53	14,406.78	13,683.69	723.09 (5.0)	बजट सीमा में कटौती, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना, पदों का रिक्त रहना, छात्रवृत्ति हेतु दावे कम प्राप्त होना, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी होना/जारी नहीं होना, स्वास्थ्य बीमा पर लगाये गये 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट के कारण अनुदान कम जारी होना, राज्य वित्त आयोग के अनुसार नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान कम जारी होना, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, कोषालयों द्वारा कुछ बिल पारित नहीं करना, बैंक द्वारा कुछ बिलों का भुगतान नहीं करना, विभिन्न संस्थानों से मांग प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष हस्तान्तरण करना, योजना बन्द होना, ग्राम पंचायतों को निधि कम जारी करना, चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ कम जारी करना, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ऋण को सहाय्य में कम परिवर्तित करना, सरकार द्वारा विभागीय सहाय्य की दरों में कटौती करना, बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अंत्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों के खातों में राशि हस्तांतरित नहीं करना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	5,243.39	50.00	5,293.39	3,959.49	1,333.90 (25.2)	कार्यकारी अभिकरणों को मांग के अनुसार निधियाँ जारी नहीं करना, कार्यों का कम निष्पादन, खेल विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, भूमि पर स्वामित्व विवाद, निधियों की अनुपलब्धता, निविदा प्रक्रिया में देरी, कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना,

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								परियोजना/कार्यालय प्रारंभ नहीं होना, बजट सीमा में कटौती, पिछले वर्षों की निधियों उपलब्ध होना, राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती, कार्यों की धीमी प्रगति, निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नहीं होना, निवेश सीमा में कटौती एवं भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
	योग		1,14,433.17	6,774.46	1,21,207.63	1,03,817.94	17,389.69	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(अनुच्छेद 2.3.4 देखें; पृष्ठ 77)

विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र, जहाँ वर्ष 2016-19 के दौरान निरन्तर बचतें कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2016-17	949.64	741.41	208.23	21.9
		2017-18	934.93	770.68	164.25	17.6
		2018-19	1,012.06	769.29	242.77	24.0
2.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2016-17	4,833.04	4,206.51	626.53	13.0
		2017-18	4,984.89	3,881.28	1,103.61	22.1
		2018-19	5,099.28	4,015.09	1,084.19	21.3
3.	37- कृषि	2016-17	2,482.89	2,160.90	321.99	13.0
		2017-18	2,471.37	2,212.86	258.51	10.5
		2018-19	2,507.20	2,013.91	493.29	19.7
पूँजीगत-दत्तमत						
4.	19- लोक निर्माण कार्य	2016-17	1,617.69	719.52	898.17	55.5
		2017-18	1,509.83	884.68	625.15	41.4
		2018-19	1,024.80	560.35	464.45	45.3
5.	27- पेयजल योजना	2016-17	3,876.33	2,980.11	896.22	23.1
		2017-18	3,901.51	3,218.49	683.02	17.5
		2018-19	3,744.05	2,700.23	1,043.82	27.9
6.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2016-17	1,742.68	959.45	783.23	44.9
		2017-18	1,501.58	950.74	550.84	36.7
		2018-19	1,477.17	1,280.37	196.80	13.3
7.	46- सिंचाई	2016-17	1,503.68	1,264.09	239.59	15.9
		2017-18	1,616.99	1,381.46	235.53	14.6
		2018-19	1,653.77	1,414.63	239.14	14.5

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(अनुच्छेद 2.3.5 देखें; पृष्ठ 83)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	3-सचिवालय	282.98	277.21	5.77	16.16
2.	14-बिक्री कर	1,368.95	1,120.87	248.08	18.13
3.	17- जेल	203.53	189.74	13.79	2.96
4.	19-लोक निर्माण कार्य	495.91	476.82	19.09	43.38
5.	21-सड़कें एवं पुल	1,535.23	1,362.34	172.89	133.41
6.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4631.46	4015.09	616.37	467.82
7.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	12,473.80	12,032.40	441.40	258.83
8.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	14,046.25	13,683.69	362.56	360.53
राजस्व-प्रभारित					
9.	6-न्याय प्रशासन	136.97	127.55	9.42	1.75
पूँजीगत-दत्तमत					
10.	21-सड़कें एवं पुल	4,620.21	4,025.55	594.66	309.10
11.	21-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	588.51	561.67	26.84	100.72
12.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,632.02	2,903.21	728.81	50.00
13.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	188.63	161.51	27.12	13.44
14.	37-कृषि	391.70	183.53	208.17	26.00
15.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	5,243.39	3,959.49	1,283.90	50.00
	योग	49,839.54	45,080.67	4,758.87	1,852.23

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(अनुच्छेद 2.3.6 देखें; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ 1 करोड़ से अधिक थीं)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1.	12	अन्य कर	3055-800-08-01 परिवहन विभाग के माध्यम से	(-) 28.18	(-) 2.28
2.	27	पेयजल योजना	2215-01-101-08 जलपूर्ति योजना जोधपुर-प्रतिबद्ध	(-) 12.63	(-) 1.22
3.			2215-01-101-11 जलपूर्ति योजना उदयपुर-प्रतिबद्ध	(-) 7.18	(-) 1.89
4.			4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजना	(-) 86.63	(-) 1.94
5.			4215-01-102-54 फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल योजना	(-) 3.27	(-) 2.12
6.			33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-277-02 अन्य पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्ति तथा वजीफा
7.	2236-02-101-01-01 पोषाहार केश योजना	(-) 47.73			(-) 1.32
8.	2236-02-101-01-02 एकीकृत बाल विकास योजना	(-) 54.68			(-) 1.14
9.	2236-02-197-01-02 ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय	(-) 239.52			(-) 1.52
10.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-114-09-01 बाढ़	(-) 89.48	(-) 196.17
11.			2245-02-114-09-02 ओलावृष्टि	(-) 32.08	(-) 8.50
12.			2245-05-101-02-01 राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरण	(-) 31.50	(-) 95.78
13.	46	सिंचाई	2700-04-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	(-) 28.42	(-) 10.71
14.			2701-80-005-01-02 निष्पादन	(-) 6.31	(-) 1.23
15.			4700-32-001-01-01 निर्माण कार्य	(-) 110.06	(-) 10.97
16.			4700-34-001-01-01 निर्माण कार्य	(-) 61.97	(-) 7.51
17.			4702-101-02-04 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना	(+) 1.64	(+) 3.50

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
18.	46	सिंचाई	4702-101-07-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(+) 1.29	(+) 1.94
19.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4702-789-02-01 लघु सिंचाई परियोजना	(+) 1.30	(+) 1.22
20.			4711-01-789-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से	(+) 2.26	(+) 1.46
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
21.	27	पेयजल योजना	2215-01-101-09 जोधपुर लिफ्ट कैनाल, जोधपुर-प्रतिबद्ध	(+) 4.46	(-) 8.68
22	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-800-08-01 स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	(+) 10.23	(-) 210.59
23	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-03-05 कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान	(+) 18.48	(-) 105.04
24	46	सिंचाई	2700-80-800-02-01 राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया-प्रतिबद्ध	(+) 12.33	(-) 12.33
25			4700-32-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)	(-) 23.84	(+) 34.06
26	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-01-48 चम्बल भीलवाड़ा जल प्रदाय योजना- कलस्टर	(+) 4.39	(-) 26.78
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
27	21	सड़कें एवं पुल	5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-1 (एशियाई विकास बैंक)	(+) 34.37	(-) 2.81
28	27	पेयजल योजना	4215-01-102-02-03 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति एवं सफाई 02-001(09)से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)	(+) 11.45	(-) 3.45
29			4215-01-102-71 चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-कलस्टर	(+) 39.47	(-) 14.34

(₹ करोड़ में)					
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
30	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी द्वितीय चरण (ईएपी)	(+) 5.36	(-) 1.14
31	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	(+) 30.87	(-) 1.23
32	32		2235-60-196-03-03 अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	(+) 142.49	(-) 1.31
33	33		3456-796-03-03 अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु	(+) 30.80	(-) 1.26
34	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-04-01 अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	(+) 67.58	(-) 1.06
35			2225-03-196-05-02 विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	(+) 6.00	(-) 2.23
36	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-03-06 लघु सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान	(+) 452.03	(-) 78.25
37			2245-02-114-10-01 बाढ़	(+) 64.68	(-) 22.79
38	46	सिंचाई	4711-01-103-03-03 अन्य जिले	(+) 9.96	(-) 1.16
39	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2236-02-789-01-01 पोषाहार केश कार्यक्रम	(+) 20.95	(-) 1.25
40			2202-02-107-05-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	(+) 10.65	(-) 8.28
41			2225-01-789-01 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियाँ	(+) 96.59	(-) 14.28
42			4700-32-789-01 निर्माण कार्य	(-) 100.76	(+) 5.68
43			5054-03-789-10 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-1 (एशियाई विकास बैंक)	(+) 8.88	(-) 2.21
					(-) 868.58 (+) 47.86

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(अनुच्छेद 2.3.7 देखें; पृष्ठ 85)

₹ 1 करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचतें
1	2	3	4	5
	राजस्व-प्रभारित			
1	ब्याज अदायगियां	42.18	40.49	1.69
2	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10.67	4.20	6.47
	राजस्व-दत्तमत			
3	7-निर्वाचन	14.64	11.76	2.88
4	9-वन	104.71	103.60	1.11
5	12-अन्य कर	128.82	127.42	1.40
6	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	209.92	133.13	76.79
7	16-पुलिस	70.69	64.93	5.76
8	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	502.35	492.86	9.49
9	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	504.22	498.41	5.81
10	27-पेयजल योजना	209.33	185.57	23.76
11	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,084.19	873.60	210.59
12	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	700.23	680.90	19.33
13	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	540.77	507.73	33.04
14	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	364.64*	261.20	103.44
15	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	57.52	56.12	1.40
16	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	723.10	691.07	32.03
	पूंजीगत-दत्तमत			
17	9-वन	40.03	38.90	1.13
18	19-लोक निर्माण कार्य	464.45	462.75	1.70
19	21-सड़कें एवं पुल	903.75	898.10	5.65
20	22-क्षेत्र का विकास	121.81	120.59	1.22
21	27-पेयजल योजना	1,043.82	1,017.39	26.43
22	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	196.80	192.22	4.58
23	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	778.81	773.93	4.88
24	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,333.90	1,294.92	38.98
	योग	10,151.35	9,531.79	619.56

स्रोत: विनियोग लेखे

*(₹ 773.94 करोड़ - ₹ 409.30 करोड़)

परिशिष्ट 2.8

(अनुच्छेद 2.3.8 देखें; पृष्ठ 85)

एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
1.	12	अन्य कर	3055-800-08-01 परिवहन विभाग के माध्यम से	89.42	80.40	89.91
2.	14	बिक्री कर	2040-800-02-05 रोजगारोन्मुख सहाय्य	30.25	16.38	54.15
3.			2040-800-02-07 निवेश सहाय्य (आरआईपीएस 2014)	102.25	61.04	59.70
4.	19	लोक निर्माण कार्य	4059-80-001-01-91 स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	27.30	15.71	57.55
5.			4059-80-051-22 सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)	45.02	32.11	71.32
6.			4210-03-105-01-90 निर्माण कार्य	26.96	19.04	70.62
7.			4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	302.75	176.70	58.36
8.	21	सड़कें एवं पुल	3054-04-800-01-03 अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा पर व्यय-प्रतिबद्ध	43.54	41.32	94.90
9.			3054-02-337-01-02 रखरखाव एवं पुर्नस्थापना	173.49	88.06	50.76
10.			5054-03-337-04 सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान	182.18	158.31	86.90
11.			5054-03-337-16-01 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य	530.97	331.86	62.50
12.			5054-04-800-11-17 सड़क उन्नयन परियोजना (एकविशतितमः)	42.86	35.56	82.97
13.			22	क्षेत्र का विकास	4575-02-102-01-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	33.44
14.	25	कोषागार व लेखा प्रशासन	2054-800-04-01 विश्व बैंक द्वारा पोषित	44.55	32.69	73.38
15.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	100.10	64.49	64.43
16.			2210-05-105-06-01 सहाय्यार्थ अनुदान	314.90	240.90	76.50
17.			2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	15.30	15.30	100
18.			2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	76.58	41.98	54.82
19.	27	पेयजल योजना	4215-01-101-01-31 चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना	34.35	22.07	64.25
20.			4215-01-101-11-02 बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना, फेज-11 (शहरी)	34.35	30.53	88.88
21.			4215-01-102-01-23 बीसलपुर बांध से टॉक, उनियारा एवं देवली जलपूर्ति योजना	34.01	22.64	66.57
22.			4215-01-102-01-54	25.81	25.81	100

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
23.	27	पेयजल योजना	जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
24.	4215-01-102-01-58		जिला बारां की अंता-मांगरोल तहसील की सोनवा पेयजल परियोजना	22.95	15.06	65.62
25.	4215-01-102-03-05		मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	195.66	111.54	57.01
26.	4215-01-102-19		चम्बल-बालेर सवाईमाधोपुर जल प्रदाय योजना	28.68	17.18	59.90
27.	4215-01-102-50		बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-11	43.95	43.95	100
28.	4215-01-102-61		बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-11, भाग-ब (68 गांवों की कलस्टर योजना)	22.95	17.68	77.04
29.	4215-01-102-68		बीसलपुर-दूधू परियोजना, चाकसू, फागी एवं बस्सी	38.76	24.06	62.07
30.	4215-01-102-85		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	64.88	47.61	73.38
31.	4215-01-102-86		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित राशि	25.95	22.28	85.86
32.	28		ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-06-01 अनुदान	139.50	81.58
33.	2501-06-196-10-01 अनुदान	43.41		42.84	98.69	
34.	2515-196-05-01 कार्यकलाप संबंधी	24.69		18.71	75.78	
35.	4515-101-11 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	308.25		154.12	50	
36.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-01 अजमेर स्मार्ट सिटी	140.80	140.80	100
37.	2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी		141.40	141.40	100	
38.	2217-05-800-01-02 जयपुर स्मार्ट सिटी		176.00	176.00	100	
39.	2217-05-800-01-03 उदयपुर स्मार्ट सिटी		176.00	176.00	100	
40.	2217-80-191-36-01 स्वच्छ भारत मिशन		30.37	30.37	100	
41.	2217-80-191-39-01 सबके लिए आवास (शहरी)		48.09	47.97	99.75	
42.	2217-80-191-42-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान		44.80	44.80	100	
43.	2217-80-192-36-01 विद्युत प्रभार हेतु - प्रतिबद्ध		21.00	21.00	100	
44.	2217-80-192-39-01 स्वच्छ भारत मिशन		71.53	71.53	100	
45.	2217-80-192-41-01 सबके लिए आवास (शहरी)		140.81	140.49	99.77	
	2217-80-192-46-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	111.45	111.45	100		

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
46.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-797-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	200.00	200.00	100
47.			4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	44.65	32.06	71.80
48.			4217-04-800-04 स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	52.87	28.22	53.38
49.			4217-60-050-04 राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	495.00	250.15	50.54
50.			4217-60-190-04-01 अजमेर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	35.20	35.20	100
51.			4217-60-190-04-04 कोटा स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	34.60	34.60	100
52.			30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2211-796-07-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	25.20
53.	2217-80-192-41-03 सबके लिए आवास- जनजातिय क्षेत्र उपयोगना	27.63			27.57	99.78
54.	2217-80-192-46-06 चौदहवे वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	21.87			21.87	100
55.	2401-796-96-01 कृषि विभाग के माध्यम से	24.50			20.38	83.18
56.	2501-06-196-06-02 अनुदान	58.59			34.26	58.47
57.	2501-06-196-10-02 अनुदान	18.23			18.01	98.79
58.	2515-198-34-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	46.38			46.38	100
59.	4059-80-796-03-02 अन्य भवन	23.81			20.81	87.40
60.	4210-03-796-01-05 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	38.45			27.11	70.51
61.	4215-01-796-01-02 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति एवं सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संभारण-प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	46.08			23.95	51.97
62.	4215-01-796-02-58 बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	24.00			23.25	96.88
63.	4515-796-05-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	60.75			30.37	50
64.	4515-796-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	16.76			16.76	100
65.	4700-45-796-01-01 निर्माण कार्य	30.00			30.00	100
66.	4700-80-796-02-01 राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया	69.00			39.78	57.65
67.	5054-03-796-03 लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	35.79			31.03	86.70
68.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-01-793-01 अनुसूचित जाति उपयोगना	60.00	59.86	99.77
69.			2236-02-101-01-10 आईसीडीएस- IV (विश्व बैंक)	117.34	74.03	63.09

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
70.			2236-02-101-01-12 राजीव गांधी कृषिरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना	51.13	49.95	97.69
71.			2236-02-101-01-13 सशर्त मातृत्व लाभ योजना	44.96	29.86	66.41
72.			4236-02-800-10 आईसीडीएस मिशन मोड के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र उन्नयन एवं रखरखाव मय शिशु-गृह निर्माण	16.16	16.16	100
73.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-102-11-01 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति	22.50	21.97	97.64
74.			2245-01-102-11-04 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जलपूर्ति	76.89	69.51	90.40
75.			2245-01-104-09-01 परिवहन	25.00	25.00	100
76.			2245-01-104-09-04 पशु शिविर/गौशाला	160.00	135.49	84.68
77.			2245-01-800-03-04 तलाशी, बचाव एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	50.00	49.05	98.10
78.			2245-02-106-08-01 सड़कों की मरम्मत तथा पुर्नःस्थापना	70.00	70.00	100
79.			2245-02-114-09-01 बाढ़	141.00	90.83	64.42
80.			2245-02-114-09-02 ओलावृष्टि	45.00	43.01	95.58
81.			2245-02-122-02-01 बाढ़ से प्रभावित क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं निर्माण कार्य हेतु सहायता	35.00	23.21	66.31
82.	36	सहकारिता	4425-195-01-02 केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु निवेश	150.00	76.24	50.83
83.			6425-108-07 स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार	25.00	21.69	86.76
84.	37	कृषि	2401-109-02 कृषि सूचना	25.83	24.21	93.73
85.			2401-196-06-31 परम्परागत कृषि विकास योजना	33.75	19.74	58.49
86.			2401-800-23 आजीविका मिशन	47.70	27.09	56.79
87.			2401-800-27-01 कृषि विभाग के माध्यम से	115.97	82.27	70.94
88.			4401-800-03-02 उद्यान विभाग के माध्यम से	32.51	26.78	82.37
89.			4401-800-03-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	22.00	16.42	74.64
90.			4401-800-04-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	64.40	64.40	100
91.			6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को उधार	80.00	53.00	66.25
92.	41	सामुदायिक विकास	2515-198-34-01 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	235.35	235.35	100
93.	42	उद्योग	2851-111-05-01 ऋण पर न्याज अनुदान	20.00	20.00	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
94.			4885-60-800-24 दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)	418.64	411.10	98.20
95.	43	खनिज	4802-02-190-04-01 रिफायनरी	113.00	66.20	58.58
96.	46	सिंचाई	2700-03-800-01-01 पूंजी लेखों पर ब्याज-प्रतिबद्ध	15.85	15.85	100
97.			2700-04-800-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से -प्रतिबद्ध	37.55	25.49	67.88
98.			2701-24-800-01 अन्य व्यय -प्रतिबद्ध	21.83	21.83	100
99.	46	सिंचाई	2700-02-800-03 अन्य व्यय -प्रतिबद्ध	70.93	39.70	55.97
100.			4700-02-001-04-01 मुख्य नहर	33.00	30.00	90.91
101.			4700-02-001-05-05 पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण	35.45	17.93	50.58
102.			4700-41-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	15.00	100
103.			4700-42-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	15.00	100
104.	50	ग्रामीण रोजगार	4515-101-20-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	85.90	85.90	100
105.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	2217-80-192-39-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	18.57	18.57	100
106.		विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-192-41-02 सबके लिए आवास- अनुसूचित जातियों के लिए उपयोग	36.55	36.47	99.78
107.			2217-80-192-46-05 चौदहवे वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	28.93	28.93	100
108.			2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	21.27	15.11	71.04
109.			2401-789-03-01 कृषि विभाग के माध्यम से	27.14	17.71	65.25
110.			2401-789-09-01 कृषि विभाग के माध्यम से	32.72	19.43	59.38
111.			2501-06-196-10-03 अनुदान	25.18	24.84	98.65
112.			2851-789-26-01 ऋण पर ब्याज अनुदान	20.00	20.00	100
113.			4210-01-789-01-90 निर्माण कार्य	49.52	26.52	53.55
114.			4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	32.54	18.92	58.14
115.			4215-01-789-01-63 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	19.92	15.64	78.51
116.			4215-01-789-01-65 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय	43.35	28.04	64.68
117.			4215-01-789-02-46 चम्बल, धौलपुर भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, भाग-II (शहरी)	18.90	16.95	89.68
118.			4215-01-789-02-58 बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	36.00	35.01	97.25

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
119			4515-789-04-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	81	40.50	50
120			4515-789-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	22.34	22.34	100
121			4700-34-789-01 निर्माण कार्य	27.00	20.04	74.22
122			4885-60-789-02-01 भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति	50.00	50.00	100
123.			5054-03-789-03 लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	47.52	41.24	86.78
			योग	9,069.71	6,960.31	76.74

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(अनुच्छेद 2.3.10 देखें; पृष्ठ 86)

योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. + अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत	
1.	8-राजस्व	2029-103-09-01 वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला	11.70	-	11.70	100	
2.	22-क्षेत्र का विकास	4575-02-102-01-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	33.44	-	33.44	100	
3.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-107-11 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	45.21	-	45.21	100	
4.		2202-02-109-12 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को परिवहन वाउचर की सुविधा	12.42	-	12.42	100	
5.		2202-02-109-18 आईसीटी (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)	16.80	-	16.80	100	
6.		2202-02-109-31-01 सार्वजनिक निजी सहभागिता योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों को सहायताार्थ अनुदान	125.00	-	125.00	100	
7.		4202-02-104-02 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	10.04	-	10.04	100	
8.		26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी	15.30	-	15.30	100
9.			4210-03-105-12-01 एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	14.00	-	14.00	100
10.	4210-03-105-13-01 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर		11.01	-	11.01	100	
11.	27-पेयजल योजना	4215-01-102-01-54 जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	25.81	-	25.81	100	
12.		4215-01-102-01-60 झालीजी का बराना पेयजल परियोजना	12.40	-	12.40	100	
13.		4215-01-102-01-61 गरडदा पेयजल परियोजना	12.40	-	12.40	100	
14.		4215-01-102-01-62 कछावन पेयजल परियोजना	12.40	-	12.40	100	
15.		4215-01-102-03-05 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 (के.प्र.यो) से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	80.43	-	80.43	100	
16.		4215-01-102-50 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-11 (के.प्र.यो)	15.27	-	15.27	100	
17.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-01 अजमेर स्मार्ट सिटी	140.80	-	140.80	100	
18.		2217-05-800-01-02 जयपुर स्मार्ट सिटी	176.00	-	176.00	100	
19.		2217-05-800-01-03 उदयपुर स्मार्ट सिटी	176.00	-	176.00	100	
20.		2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	141.40	-	141.40	100	

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. + अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
21.		2217-80-192-36-01 विद्युत प्रभार हेतु-प्रतिबद्ध	21.00	-	21.00	100
22.		2217-80-192-39-01 स्वच्छ भारत मिशन	71.53	-	71.53	
23.		2217-80-192-46-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	111.45	-	111.45	100
24.		2217-80-797-01-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	200.00	-	200.00	100
25.		2217-80-191-36-01 स्वच्छ भारत मिशन	30.37	-	30.37	100
26.		2217-80-191-42-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान	44.80	-	44.80	100
27.		4217-60-190-04-01 अजमेर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	35.20	-	35.20	100
28.		4217-60-190-04-04 कोटा स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	34.60	-	34.60	100
29.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2217-80-192-39-03 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	14.04	-	14.04	100
30.		2217-80-192-46-06 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	21.87	-	21.87	100
31.		2225-02-796-09-44 सोलर लाईटों के लिए अनुदान	10.00	-	10.00	100
32.		2401-796-76-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	11.96	-	11.96	100
33.		2515-198-34-02 कार्यकलाप संबंधी	46.38	-	46.38	100
34.		2851-796-25-01 ऋण पर ब्याज अनुदान	10.00	-	10.00	100
35.		4202-01-796-12-01 सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य (आयोजना)	10.80	-	10.80	100
36.		4210-03-796-05-02 चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर	14.17	-	14.17	100
37.		4210-03-796-05-03 चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर	14.17	-	14.17	100
38.		4215-01-796-01-02 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 (के.प्र.यो)से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण में प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	15.76	-	15.76	100
39.		4515-796-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	16.76	-	16.76	100
40.		4700-43-796-01-01 निर्माण कार्य	10.00	-	10.00	100
41.		4700-44-796-01-01 निर्माण कार्य	10.00	-	10.00	100
42.		4700-45-796-01-01 निर्माण कार्य	30.00	-	30.00	100
43.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-196-19-18 बीपीएल परिवारों को जन बीमा योजना (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) हेतु सहायता	12.48	-	12.48	100
44.		4236-02-800-09 आईसीडीएस मिशन मोड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	13.96	-	13.96	100

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत	
45.		4236-02-800-10 आईसीडीएस मिशन मोड अन्तर्गत आंगनबाडी केंद्र उन्नयन एवं रखरखाव मय शिशु गृह निर्माण	16.16	-	16.16	100	
46.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-09-01 परिवहन	25.00	-	25.00	100	
47.		2245-01-104-09-02 पशु पोषण केंद्र	10.00	-	10.00	100	
48.		2245-02-106-08-01 सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	70.00	-	70.00	100	
49.	36-सहकारिता	2425-107-25 कोर बैंकिंग	22.28	-	22.28	100	
50.		2425-107-27 ग्राम सेवा सहकारी समिति	12.00	-	12.00		
51.	37-कृषि	2401-800-23 आजीविका मिशन (के.प्र.यो)	14.19	-	14.19	100	
52.		4401-800-04-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	64.40	-	64.40	100	
53.		4401-800-06-04 पशुपालन विभाग के माध्यम से	18.13	-	18.13	100	
54.	41-सामुदायिक विकास	2515-198-34-01 कार्यकलाप/गतिविधियां	235.35	-	235.35	100	
55.	42-उद्योग	2851-111-05-01 ऋण पर ब्याज अनुदान	20.00	-	20.00	100	
56.	46-सिंचाई	2700-800-01-01 पूँजी लेखों पर ब्याज -प्रतिबद्ध	15.85	-	15.85	100	
57.		2701-23-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	12.38	-	12.38	100	
58.		2701-24-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	21.83	-	21.83	100	
59.		2701-35-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	10.70	-	10.70	100	
60.		2701-43-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	10.17	-	10.17	100	
61.		4700-41-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	-	15.00	100	
62.		4700-42-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	-	15.00	100	
63.		50-ग्रामीण रोजगार	4515-101-20-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	85.90	-	85.90	100
64.		51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-191-42-05 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	11.63	-	11.63	100
65.			2217-80-192-39-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	18.57	-	18.57	100
66.	2217-80-192-46-05 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान		28.93	-	28.93	100	
67.	2401-789-09-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से		14.96	-	14.96	100	
68.	2515-198-34-03 कार्यकलाप/गतिविधियां		61.84	-	61.84	100	
69.	2851-789-26-01 ऋण पर ब्याज अनुदान		20.00	-	20.00	100	
70.	4202-01-789-07-01 सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य (आयोजना)		14.40	-	14.40	100	

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
71.		4215-01-789-01-19 बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फंज- II	12.94	-	12.94	100
72.		4515-789-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	22.34	-	22.34	100
73.		4885-60-789-02-01 भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति	50.00	-	50.00	100
74.	व्याज अदायगियां	2049-01-101-05-99 नये ऋण	1,494.00	-	1,494.00	100
		कुल	4,343.08		4,343.08	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.10

(अनुच्छेद 2.5 देखें; पृष्ठ 97)

वर्ष 2018-19 तक बकाया सारांशीकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
1.	2015	2018-19	25	227.24
	योग		25	227.24
2.	2029	2007-08	1	292.18
		2018-19	1	19.50
	योग		2	311.68
3.	2051	2016-17	1	2.00
		2018-19	72	760.07
	योग		73	762.07
4.	2052	2018-19	3	72.50
	योग		3	72.50
5.	2055	2014-15	3	247.10
	2055	2016-17	3	305.00
	2055	2017-18	4	317.50
	2055	2018-19	7	453.50
	योग		17	1329.10
6.	2058	2018-19	1	0.41
	योग		1	0.41
7.	2070	2018-19	2	21.90
	योग		2	21.90
8.	2202	1989-90	1	0.30
		1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.26
		1996-97	1	0.09
		2018-19	1	1.03
	योग		5	1.98
9.	2204	2017-18	2	9.99
	2204	2018-19	9	15.05
	योग		11	25.04
10.	2210	2016-17	1	20.25
		2018-19	1	0.03
	योग		2	20.28
11.	2250	2018-19	1	5.00
	योग		1	5.00
12.	2245	2012-13	1	103.50
	योग		1	103.50
13.	2403	2017-18	1	0.09
	योग		1	0.09
14.	2406	2018-19	2	0.90
	योग		2	0.90
15.	2851	2018-19	3	16.50
	योग		3	16.50
16.	2853	2018-19	1	1.68
	योग		1	1.68
17.	3425	2018-19	8	18.31
	योग		8	18.31

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
18.	4202	1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.24
योग			2	0.54
19	4210	2017-18	2	2626.17
	4210	2018-19	4	131.26
योग			6	2757.43
20.	4853	2017-18	1	526.92
योग			1	526.92
कुल योग			167	6203.07

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.1

(अनुच्छेद 3.2.1 देखें; पृष्ठ 107)

निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये

क्र.सं.	विभाग	स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के नाम	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जब से लेखे प्राप्त नहीं हुये
1.	उच्चतर शिक्षा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2017-18
2.	उच्चतर शिक्षा	महाराजा सुरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	1	2017-18
3.	उच्चतर शिक्षा	गोविन्द गुरु जन जातीय विश्वविद्यालय, बाडमेर	1	2017-18
4.	उच्चतर शिक्षा	राजर्षि भतृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	1	2017-18
5.	शहरी विकास एवं आवास	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1	2017-18
6.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, अलवर	1	2017-18
7.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, बारां	1	2017-18
8.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, बीकानेर	1	2017-18
9.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, बूंदी	1	2017-18
10.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, चित्तौड़गढ़	1	2017-18
11.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, चूरू	1	2017-18
12.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, झुन्झुनू	1	2017-18
13.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, पाली	1	2017-18
14.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, उदयपुर	1	2017-18
15.	उद्योग	उद्योगिता एवं प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर	1	2017-18
16.	उद्योग	किशनगढ़ मार्बल उद्योग विकास समिति, मदनगंज, अजमेर	1	2017-18
17.	उद्योग	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़	1	2017-18
18.	कला एवं संस्कृति	जयपुर कथक केन्द्र, जयपुर	1	2017-18
19.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर	1	2017-18
20.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर	1	2017-18
21.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	1	2017-18
22.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर	1	2017-18
23.	कला एवं संस्कृति	रवीन्द्र मंच, जयपुर	1	2017-18
24.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान पुरातत्व विकास प्राधिकरण, जयपुर	1	2017-18
25.	कला एवं संस्कृति	राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर	1	2017-18
26.	कला एवं संस्कृति	भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	1	2017-18
27.	आयुर्वेद	राजस्थान राज्य औषधीय वनस्पति मण्डल, जयपुर	1	2017-18
28.	आयुर्वेद	राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर	1	2017-18
29.	आयुर्वेद	राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी, जयपुर	1	2017-18
30.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	राजस्थान राज्य एडस कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर	1	2017-18
31.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्थान स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2017-18
32.	अल्पसंख्यक मामलात	राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर	1	2017-18
33.	अल्पसंख्यक मामलात	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर	1	2017-18
34.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	1	2017-18
35.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	1	2017-18
36.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	सेवा मंदिर, उदयपुर	1	2017-18
37.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	स्वच्छ जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	1	2017-18

क्र.सं.	विभाग	स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के नाम	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जब से लेखे प्राप्त नहीं हुये
38.	महिला एवं बाल विकास	हितकारी महिला आगनबांडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	1	2017-18
39.	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्थान राज उड्डयन विद्यालय, सांगानेर हवाई अड्डा, जयपुर	1	2017-18
40.	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय	राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर	1	2017-18
41.	पशुपालन	अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, अलवर	1	2017-18
42.	पशुपालन	उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर	1	2017-18
43.	पशुपालन	चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, चित्तौड़गढ़	1	2017-18
44.	पशुपालन	चूरू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, सरदारशहर, चूरू	1	2017-18
45.	पशुपालन	सीकर झुन्झुनू दुग्ध उत्पादन सहाकारिता महासंघ, पलसाना, सीकर	1	2017-18
46.	पशुपालन	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर	1	2017-18
47.	पशुपालन	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	1	2017-18
48.	पशुपालन	राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर	1	2017-18
49.	कृषि	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1	2017-18
50.	कृषि	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	1	2017-18
51.	पर्यावरण	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर	1	2017-18
52.	खेल एवं युवा मामले	क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू	2	2016-18
53.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2	2016-18
54.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	जन जाति महिला विकास संस्थान, सर्वाईमाधोपुर	2	2016-18
55.	पशुपालन	श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़	2	2016-18
56.	कृषि	महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	2	2016-18
57.	उद्यान	राजस्थान उद्यान एवं पौधशाला उद्यान समिति, जयपुर (राजहंस)	2	2016-18
58.	सिंचाई	सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा	2	2016-18
59.	खेल एवं युवा मामले	राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जयपुर	3	2015-18
60.	कृषि	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	3	2015-18
61.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	4	2014-18
62.	महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास (ल्यूपिन) परियोजना, कुम्हेर, भरतपुर	4	2014-18
63.	सहकारिता	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर	6	2012-18
64.	कृषि	कृषि सेवा राजस्थान के सेवानिवृत्त सदस्यों की एसोसिएशन, जयपुर	11	2007-18
	योग		96	

परिशिष्ट 3.2

(अनुच्छेद 3.2.2 देखें; पृष्ठ 108)

स्वायत्त निकायों द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने तथा लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	निकाय का नाम	वर्ष जब तक के लेखें प्राप्त हुए	अवधि जब तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमण्डल में रखना	लेखों के प्रस्तुतिकरण में देरी	30.6.19 तक देरी की अवधि (माह में)
1	भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू)	2015-16	2014-15	-	2016-17 2017-18	24 12
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़	2016-17	2015-16	सूचना प्राप्त नहीं हुई	2017-18	12
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही	2016-17	2016-17	सूचना प्राप्त नहीं हुई	2017-18	12

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.3

(अनुच्छेद 3.3 देखें; पृष्ठ 108)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	तक लेखाओं का अंतिमीकरण	विगत अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश ⁹	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2016-17	2.56	2.32
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2016-17	0.75	0.78
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2016-17	1.63	1.52
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2015-16	2.31	2.98
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2018-19	2.61	2.31
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2017-18	0.46	0.74
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2016-17	2.42	1.92
8	वन कूपों का विभागीय व्यापार	2015-16	शून्य ¹⁰	-
9	तेन्दू पत्ता योजना	2016-17	शून्य ¹⁰	-
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2016-17	16,873.09	13,845.29
	योग		16,885.83	13,857.86

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

⁹ निवेश वित्तीय वर्ष, जब तक लेखों का अन्तिमीकरण किया गया, के अंतिम दिवस को सरकार के स्थाई एवं वर्तमान पूँजी लेखों के शेष को दर्शाते हैं।

¹⁰ सरकार का पूँजी निवेश शून्य है क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण, सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.4

(अनुच्छेद 3.4 देखें; पृष्ठ 109)

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2019 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)

(प्रकरणों की संख्या)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	13	14	16	10	06	01	60
2.	शिक्षा	64	43	36	17	13	12	185
3.	चिकित्सा	15	25	11	08	09	04	72
4.	सार्वजनिक निर्माण	01	02	00	03	16	07	29
5.	जल संसाधन	00	00	01	01	01	00	3
6.	भू-जल	00	02	03	03	02	00	10
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	00	00	00	01	00	01	2
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	01	01	05	03	00	01	11
9.	वन	01	02	00	00	01	01	5
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	25	23	49	49	44	35	225
11.	न्याय	01	03	03	02	00	04	13
12.	पुलिस	05	05	05	02	02	03	22
13.	महिला एवं बाल विकास	02	02	03	01	01	01	10
14.	स्वायत्त शासन विभाग	00	00	01	06	00	00	7
15.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	71	08	09	12	09	06	115
16.	विविध	20	08	21	06	04	03	62
	योग	219	138	163	124	108	79	831

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.5

(अनुच्छेद 3.4 देखें; पृष्ठ 109)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	28	177.19	32	1,132.13	60	1,309.32
2.	शिक्षा	110	141.21	75	1,283.32	185	1,424.53
3.	चिकित्सा	23	248.11	49	471.72	72	719.83
4.	सार्वजनिक निर्माण	06	26.46	23	482.47	29	508.93
5.	जल संसाधन	01	0.05	02	33.95	3	34.00
6.	भू-जल	08	11.44	02	3.40	10	14.84
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	02	4.12	00	0.00	2	4.12
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	06	12.56	05	69.73	11	82.29
9.	वन	03	26.42	02	77.32	5	103.74
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	208	205.63	17	90.42	225	296.05
11.	न्याय	04	1.67	09	15.43	13	17.10
12.	पुलिस	14	53.08	08	33.38	22	86.46
13.	महिला एवं बाल विकास	04	5.11	06	8.14	10	13.25
14.	स्वायत्त शासन विभाग	01	1.94	06	40.67	7	42.61
15.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	59	1,079.58	56	1,195.49	115	2,275.07
16.	विविध	26	124.54	36	888.11	62	1,012.65
	योग	503	2,119.11	328	5,825.68	831	7,944.79

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.6

(अनुच्छेद 3.5.4 देखें; पृष्ठ 115)

वर्ष 2014-19 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप (पीडी) खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	2014-19 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गये कारण
1	उप निदेशक, कृषि, अजमेर	0.30	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
2	अधीक्षक, आईटीआई महिला, अजमेर	0.51	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
3	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, अलवर	0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
4	अधीक्षक, आईटीआई महिला, बाड़मेर	1.95	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
5	अधीक्षक, आईटीआई महिला, भरतपुर	0.90	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
6	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, भरतपुर	0.01	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
7	सरकारी महाविद्यालय, पहाड़ी	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
8	सरकारी महाविद्यालय, कामां	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
9	अधीक्षक, आईटीआई गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	1.64	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
10	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, भीलवाड़ा	0.14	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
11	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, भीलवाड़ा	0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
12	प्राचार्य सरकारी महाविद्यालय, रायपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
13	प्राचार्य सरकारी महाविद्यालय, डुंगरगढ़, बीकानेर	0.00	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
14	कलक्टर सिविल डिफेन्स एसटीजी, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	0.40	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
15	उप निदेशक (आईसीडीएस), महिला विकास प्राधिकारी, श्रीगंगानगर	0.82	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
16	उप निदेशक (सीडी), महिला एवं बाल विकास विभाग, हनुमानगढ़	0.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
17	निदेशक, ईएसआई, जयपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
18	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
19	एमडी, राजस्थान राज्य हैण्डलूम सहकारिता, जयपुर (सचिवालय)	2.19	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
20	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय)	0.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
21	राजस्थान एक्स-एसई, जयपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
22	राजस्थान संवाद	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
23	राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
24	राजस्थान वेटेनरी सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय)	0.00	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	4.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
26	मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसलमेर	1.75	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
27	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, जैसलमेर	0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
28	सहकारिता रजिस्ट्रार, जालौर	0.35	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
29	पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक, गृह रक्षा प्रशिक्षण	0.00	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
30	उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जोधपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
31	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, पाली	0.35	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
32	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, पाली	0.47	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
33	अधीक्षक, आईटीआई, शिवगंज, सिरोंही	0.89	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
34	अधीक्षक डीडी डीआरसीटीईडी. प्रतापनगर, उदयपुर (शहर)	0.06	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
35	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, उदयपुर (शहर)	0.04	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
36	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, नई दिल्ली	1.22	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
	योग	18.35	

परिशिष्ट 4.1

पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि})-1]*100$
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]*100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]*100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि दर - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + कर्जों तथा अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	विवरण
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशापी निकाय	स्वायत्तशापी निकाय (सामान्यतः पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के बिना सरकार के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे-सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।

पद	विवरण
आकस्मिकता निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती हैं तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जें इत्यादि) पर निर्भर करते हुए बनते अथवा नहीं बनते हैं।
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना पर निर्भर करते हुए बनते अथवा नहीं बनते हैं जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताये हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत की जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल है, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा किये गये ऋणों तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं हैं।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्ति से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।

पद	विवरण
उच्चत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मर्दे जिन्ह. तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के सैक्टर 'एल' के "उच्चत एवं विविध" भाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "8658-उच्चत लेखा" में रखा जायेगा। (अग्रेतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उच्चत शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।
कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाएँ हैं जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग करते हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु तथा सड़क आधारभूत संरचनाएँ इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसे सामान हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता के आधार पर होने चाहिए। इन सामानों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि हैं।
विकासात्मक व्यय	व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय बनाते हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

परिशिष्ट 4.2

सारांशों की सूची

मदें	पूर्ण विवरण
एसी बिल	सारांशीकृत आकस्मिक बिल
ए ई	समग्र व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ई	पूँजीगत व्यय
सी एस एस	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
डीसी बिलों	विस्तृत आकस्मिक बिलों
डी एम एफ टी	जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट
ई डब्ल्यू एस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफआरबीएम	राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन
XIV-एफसी	चौदहवें वित्त आयोग
जीसीएस	सामान्य श्रेणी राज्य
सावि एवं लेनि	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम
जीआरबी	जेंडर रिस्पॉनसिव बजटिंग
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
एचएलएमसी	उच्च स्तरीय अनुश्रवण कमेटी
हुडको	आवासन तथा नगरीय विकास निगम
आईएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
एलएसजीडी	स्वायत्त शासन विभाग
एमटीएफपीएस	मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
एमजीएस	मिशन ग्राम्य शक्ति
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनएसडीएल	नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनपीएस	नवीन अंशदायी पेंशन योजना
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
पीडी	निजी निक्षेप
पीएमएमवीवाई	प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना
पीएसी	जन लेखा समिति
पीपीपी	निजी जन सहभागिता
पीडब्लूडी	सार्वजनिक निर्माण विभाग

मदें	पूर्ण विवरण
आरआरएलपी	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
आरडीपीआरडी	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
आर.आर	राजस्व प्राप्तियाँ
आर.ई	राजस्व व्यय
आर.ई	संशोधित अनुमान
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
रा.ब.नि.	राज्य बजट नियमावली
एसआईपीएफ	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि
एसडीआरएफ	राज्य आपदा मोचन निधि
एससीएडीए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण
टीएडी	जनजाति क्षेत्रीय विकास
यू सी	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों
उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
डब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास
जेड पी	जिला परिषद

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

<http://agraj.cag.gov.in>